राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३) तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का प्रथम दिवस (संख्या १

बुधवार, दिनांक २७ फरवरी १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

चीनी आक्रमण के समय देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए वीरों के प्रति श्रद्धान्जलि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस विधान सभा का जब पिछला सत्र चल रहा था उसके दौरान में हमारे देश पर चीन द्वारा हमला किया गया और उससे युद्ध की स्थिति बन गई। उस समय इस सदन में उस स्थिति पर विचार किया गया और देश में जो संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई थी उसके विषय में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे। जो सदन की कार्यवाही हुई उसकी प्रतिलिपि प्रधान मन्त्री के पास व हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भेजी गई और पत्र द्वारा उनको यह आश्वासन दिलाया गया कि हमारी विधान सभा के सदस्यगण और बड़े तौर से राजस्थान के सारे निवासी इस संकट-कालीन स्थिति में भारत सरकार के साथ हैं और जो भी कदम भारत सरकार व प्रधान मन्त्रीजी उठायेंगे इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उसमें हमारे प्रदेश के लोग तन-मन-धन से सहयोग देंगे। उस पत्र का जवाब राष्ट्रपति जी ने भेजा, वह इस प्रकार है :

"Rashtrapati Bhavan,
New Delhi
November 5, 1962.

Dear Shri Ram Nivas Mirdha,

Thank you for your letter of the 25th of October and its enclosure. Kindly convey my thanks to the Members of the Assembly for their kind support in this hour of emergency.

With best wishes,

Yours sincerely,
S. Radhakrishnan."

(श्री अध्यक्ष)

ग्रौर इसी प्रकार से प्रधान मन्त्रीजी की ग्रोर से भी एक पत्र ग्राया है।

एक बात इस समय, जिसका मैं ग्रापके सामने उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि उस लड़ाई के दौरान में, जो हमें हमारी सीमाग्रों पर लड़नी पड़ी, हमारे देश के ग्रौर विशेष तौर से हमारे प्रदेश राजस्थान के कई वीर योद्धा काम में ग्राये। हमारा यह फ़र्ज़ हो जाता है कि जो वीर योद्धा फ़ौज में लड़ते २ काम ग्राये उनके प्रति हम सम्मान व श्रद्धा प्रकट करें ग्रौर उन्होंने जो क़ुर्बानी हमारे देश के लिये की है उसका इस ग्रवसर पर स्मरण करें। विशेष तौर से मैं मेजर शैतानसिंह का उल्लेख इस समय करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही वीरता ग्रौर साहस का परिचय दिया ग्रौर चुशूल के क्षेत्र में लड़ाई करते हुए वे काम ग्राये जिसके परिणाम-स्वरूप उनको परमवीरचक्र, जो हमारे देश की सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ा जो मैडल है वीरता के लिये, उनको प्रदान किया गया। हमारे देश में यह चक्र तीन योद्धाग्रों को मिला है, उनमें से एक मेजर शैतानसिंह हैं। यह हमारे प्रदेश के लिये बहुत गौरव की बात है। इसलिये उनके प्रति ग्रौर दूसरे जो ग्रौर शूरवीर फ़ौज में काम ग्राये, युद्ध में काम ग्राये उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, मैं निवेदन करूंगा, कृपया कुछ समय के लिये ग्राप खड़े हो जायें।

(दो मिनट सदन में खड़े होकर दिवंगत वीरात्माग्रों के प्रति मौन-सम्मान प्रकट किया गया)।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, विद्युत, विधि एवं न्याय, निर्वाचन, सार्वजनिक निर्माण, पशु-पालन एवं यातायात-विभाग)

(११.१० म. पू.)

नगरपालिका रायसिहनगर के वेतन-स्तर

१. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिह-नगर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या नगरपालिका रायसिहनगर की ग्रोर से उसके कर्मचारियों के वेतन-स्तर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में परिवर्तित करने की प्रार्थना की गई थी?

(२) ग्रगर हां, तो क्या स्वीकृति दी गई?

(३) ग्रगर स्वीकृति नहीं दी गई तो क्यों?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) राजस्थान नगरपालिका ग्रधि-नियम के ग्रन्तर्गत कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलायें निर्धारित करने सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : क्या राय-सिहनगर नगरपालिका के कर्मचारियों को ग्राश्वासन दिया गया था कि उनका वेतन-स्तर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा?

श्री दौलतराम सारण : आप दुबारा फरमावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपकी ओर से नगरपालिक के कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था?

श्री दौलतराम सारण: मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह सारे राजस्थान के लिये विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिराम।

तिजारा (जिला अलवर) के अस्पताल की आवश्यकताओं की पूर्ति

२. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तिजारा, जिला अलवर के अस्पताल में दवाइयों, चारपाइयों और बिस्तरों की कमी है?

(२) क्या यह सही है कि वहां पर बीमारों के रखने का और दूध का भी प्रबन्ध नहीं है?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कमियों के कारण जनता को बड़ी असुविधा हो रही है? क्या सरकार इसके लिये कोई कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(१) कमी नहीं है।

(२) बीमारों के रखने व दूध का प्रबन्ध है।

(३) सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है कि उपरोक्त कमियों के कारण जनता को बड़ी असुविधा हो रही है। ऐसी स्थिति में कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री हरिराम चौहान: सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री अध्यक्ष: कृपया फिर से पढ़ दें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: (१) कमी नहीं है।

(२) बीमारों के रखने व दूध का प्रबन्ध है।

(३) सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है कि उपरोक्त कमियों के कारण जनता को बड़ी असुविधा हो रही है। ऐसी स्थिति में कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री हरिराम चौहान: क्या आप बता सकेंगे कि कितनी चारपाइयां हैं और कितने बीमार हैं और उनको देखते हुए काफी हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके लिये यूनिसेफ का पैटर्न है कि ६ बैड्स हर सेन्टर में होने चाहिये, उसके अनुसार छः बैड्स वहां पर हैं।

श्री हरिराम चौहान : वहां पर बीमारों का ढेर रहता है। ६ चारपाइयों से कोई काम नहीं चल सकता। बहुत बीमार यों ही पड़े रहते हैं। इसलिए उनको बहुत असुविधा हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): इसके लिये यूनिसेफ का फिक्स पैटर्न है। उसके अनुसार ६ बैड्स रखने चाहिये। इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो यूनिसेफ से जो हमें मदद मिलती है वह विथड्रॉ कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको अनआॅफिशियली यह कह देना चाहता हूँ कि अनआॅफिशियली ६ से ज्यादा बैड्स का प्रबन्ध कर रख है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

जिला पुलिस प्रशासन के लिये सलाहकार समिति

३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-
क्या यह सही है कि आय व्ययक सत्र, १९६२ में जिला पुलिस प्रशासन के लिए सलाहकार समिति नियुक्त करने की गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) जी हां।

(२) राज्य के ६ प्रमुख जिलों अर्थात् जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा में पुलिस प्रशासन सलाहकार समितियां स्थापित कर दी गई हैं।

श्री भीमसेन : बाकी जगह अभी तक देरी क्यों हुई है?

श्री भीमसिंह : शनैः शनैः बाकी के एरिया में बना दी जावेंगी।

श्री भीमसेन : विधान सभा में कमेटियें बनाने के लिये आश्वासन दिया गया था।

श्री भीमसिंह : Not audible.

श्री भीमसेन : विधान सभा में आश्वासन दिया गया था और यह महसूस किया गया था कि सलाहकार समितियें बनाई जावेंगी सारे जिलों के लॉ एण्ड ऑर्डर को और कुछ दूसरी बातों को देखने के लिये, मगर अभी तक जो समितियें बनाई गई हैं वे सिर्फ ट्रैफिक की दृष्टि से ही बनी हैं।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रैफिक की कमेटियां अलग हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह माना जावे की दोनों कमेटियें बनीं?

श्री मथुरादास माथुर : एक लाख से ज्यादा आबादीवाले शहर हैं उन जिलों में ट्रैफिक समितियां बनीं। बाकी पुलिस एड्वाइजरी कमेटीज ६ जगह बनी हैं। जो हमने आॅर्डर दिया उसको गजट में छपाया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उसमें क्या आधार रखा गया है? जन-प्रतिनिधियों को लिया जावेगा?

श्री मथुरादास माथुर उसमें एम. एल. एज. को जहां तक हो सकता है नहीं रखा जावेगा, क्योंकि उनको सदन में आकर जनता के लिये कहने का अवसर मिलता है। इसलिये दूसरे लोगों को जिनका पब्लिक में असर है, सामाजिक जीवन में और सार्वजनिक क्षेत्र में उनको रखा जावे।

श्री जगनसिंह (दांता रामगढ़) : इस का क्या क्राइटेरिया है? एम.एल.ए. का पब्लिक के साथ सीधा सम्पर्क रहता है।

Page No.5

श्री मथुरादास माथुर : उन लोगों को जिनका असर समाज पर है उनको अपने विचार रखने का मौका मिलता है, इसलिये उनको रखा है और जो लोग चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड या दूसरे समाज के व्यक्ति हैं उनको कमेटी में रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वहां की बातों का और उनकी बातों का सामंजस्य नहीं हो जावे।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-मु०): आपने घोषणा की कि पब्लिक इस प्रकार का काम लेकर किसी एम.एल.ए. के पास नहीं जावे ।

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक खूब समझती है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हमको तो रोजाना परेशान करते हैं और आप यह समझते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या माननीय मंत्री यह उचित समझते हैं कि एम.एल.ए. जिसका वह क्षेत्र है उसको रखने से ज्यादा बल मिलेगा बजाय उस कमेटी में दूसरों को रखने के ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बहस का प्रश्न है। आप बहस नहीं कर सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : क्या इसमें किसी एक्स क्रिमिनल को रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बीकानेर स्टेट के रूरल रीकन्स्ट्रक्शन विभाग के तहत डेयरी में गबन

४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या भूतपूर्व बीकानेर रियासत में रूरल रीकन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेन्ट था ?

(२) यदि हां, तो क्या उपरोक्त महकमे के तहत एक डेयरी भी खोली गई थी जिसमें ७५,००० रु०) का गबन निकला ? यदि हां; तो उसकी जांच किसने की और उसकी रिपोर्ट क्या है व यह गबन किसने किया ?

उप मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां।

(२) एक डेयरी खोली गई थी, किन्तु कोई गबन नहीं पाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में जांच की गई या पुराने रेकॉर्ड में देखा गया है कि इतने हजार का गबन रहा है और उसको वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुछ एड-मिनिस्ट्रेशन में स्लेकनेस की वजह से घाटा हुआ, उसकी जांच हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : वह घाटा किसकी लापरवाही से हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने घाटे का नहीं पूछा है। आपने गबन का पूछा है, इसलिये यह बात कही गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिसको आप घाटा सामझते हैं, मैं गबन समझता हूं। मगर मैं, यह पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह से हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं इस घाटे को गबन समझता हूं। आप घाटा कह दीजिये; मगर आप इसको स्पष्ट तो करें।

श्री अध्यक्ष : आपको बता दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अगर गबन नहीं हुआ तो रिकवरी की कार्यवाही क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने इन्कार किया है।

श्री मुरलीधर व्यास: अगर····

श्री अध्यक्ष : "अगर" का प्रश्न नहीं है। आप सुबूत पेश कीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

जयपुर और बीकानेर स्थित उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में अन्तर

५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित उद्योगों को आम तौर पर दो आने प्रति यूनिट दर पर बिजली दी जा रही है जबकि बीकानेर में तीन आने प्रति यूनिट दर से दी जाती है ?

(२) क्या सरकार पिछड़े इलाक़े के उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु बिजली की दर में समानता लाने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, हमें मुख्य मन्त्री द्वारा सस्ती दरों के बारे में आश्वासन दिया गया था और घोषणा की गई थी। उसमें जयपुर वालों को दो आना प्रति यूनिट दर पर बिजली दी जा रही है; मगर बीकानेर में उद्योगों के लिये तीन आने प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है। इस कारण से उनको घाटा हो रहा है। चूंकि मुख्य मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में घोषणा की थी उसके मुताबिक दरें होनी चाहियें।

श्री भीमसिंह : मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी वह जयपुर के लिये ही है। इसके अलावा जो भाखरा से बिजली आती है उसके लिये अलग अलग इन्डस्ट्रीज में अलग अलग स्केल्स हैं। स्माल स्केल उद्योगों में १३ नये पैसे, मध्यम के लिये ८ या ९ नये पैसे और बड़े उद्योग धन्धों के लिये इससे भी कम है, ये पुरानी रेटें होंगी।

श्री भीमसेन : ये नई रेटें कब से चालू की हैं ?

श्री भीमसिंह : नवम्बर, १९६२ से।

श्री भीमसेन : क्या बीकानेर में लागू हो गई हैं और इस हिसाब से रिकवरी होती है ?

श्री भीमसिंह : इसका मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

अलवर जिले में जैन औषधालय के लिये भूमि अलॉट करने के लिये सिफारिश

६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में लाल दरवाज़े के बांई तरफ़ की ज़मीन को म्यूनिसिपल कौन्सिल ने जैन औषधालय के लिये निःशुल्क अलॉट करने के लिये सरकार से सिफारिश की है ?

(२) यदि हां, तो म्यूनिसिपल कौन्सिल, अलवर द्वारा यह सिफ़ारिश कब की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि म्यूनिसिपल कौन्सिल ने उन शरणार्थी दूकानदारों को, जो कि इस जगह पर पिछले १०-१५ वर्ष से बैठे हुए हैं, हटा कर यह जमीन जैन औषधालय को देने के लिये सिफ़ारिश की है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इन शरणार्थी दूकानदारों में इस सिफारिश के प्रति तीव्र असन्तोष है ?

(५) क्या सरकार ने अलवर म्यूनिसिपल कौन्सिल की सिफारिश पर अभी कोई निर्णय लिया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) १६-२-६२ को।

(३) जी नहीं।

(४) सवाल नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

नगरपालिका कामां की नल–योजना

७. **श्री रामकिशन** (बैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगरपालिका कामां ने सरकार को कोई नल योजना भेजी है? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय दिया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): जी हां, अभी विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : क्या विचाराधीन है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो आपने पूछा है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, साफ करवाया जाय; 'जी हां, विचाराधीन है' या कोई मामला विचाराधीन है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नगरपालिका ने जो स्कीम भेजी है वह विचाराधीन है।

श्री रामकिशन: मैं यह समझा था कि 'जी हां' विचाराधीन है। तो यह योजना कब आई ?

Page No.8

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजना आई इसकी निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है पर म्युनिसिपैलिटी लोन मांगेगी और सरकार मन्जूर कर लेगी तब यह स्कीम हाथ में लेकर चालू कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

पुलिस चौकी बड़ौदा मेव में एक व्यक्ति को पिटाई

८. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुछ अर्से पहले तहसील लक्ष्मणगढ़ (जिला अलवर) पुलिस चौकी बड़ौदा मेव में एक व्यक्ति की पुलिस ने बुरी तरह मार-पीट की थी ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने पुलिस की इस मारपीट के खिलाफ हड़ताल भी की थी, जिसकी सरकार की तरफ से जांच भी की गई थी ?

उप मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं, प्रभाती मेव को मु० नं० ३६ दिनांक १७-६-६१ धारा ४५७।३८० भा. दं. सं. पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ के सिल-सिले में शक होने से दिनांक १२ अगस्त, १९६१ को चौकी बड़ौदा मेव पर पूछताछ के लिये बुलाया अवश्य गया था।

(२) जी हां।

(३) जांच से कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। मगर जांच से सन्तोष नहीं होने से राज्य सरकार ने डी. एम. अलवर को दुबारा जांच करने के आदेश दिये हैं।

श्री हरिराम चौहान : क्या यह बतायेंगे कि हड़ताल कितने दिन चली थी ?

श्री भीमसिंह : दो दिन।

श्री हरिराम चौहान : जब पीटा ही नहीं केवल बुलाया तो क्या पब्लिक का दिमाग खराब था कि हड़ताल की ? बुलाया और केवल बुलाने पर ४ दिन हड़ताल पब्लिक कर सकती है ? वास्तव में दोषी को सजा नहीं दी गई है और अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सही नहीं है।

श्री भीमसिंह : हो सकता है कि कुछ महानुभावों की उत्तेजना से जनता ने हड़ताल की हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या जांच से ऐसे तथ्य मालूम हुए हैं ?

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इस जांच में ऐसा इशारा जरूर आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या डी. एम. की रिपोर्ट आ गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी, अभी तक नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चौमू नगरपालिका की नल योजना

९. **श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमू)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चौमू नगर-पालिका ने अपने क्षेत्र में नल-योजना के कार्य के लिये सरकार को प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

Page No.9

(श्री भानुप्रसाद कराडिया)

(२) क्या भविष्य में उक्त क्षेत्र की जनता की पानी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही हो सकेगी?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) योजना विचाराधीन है।

श्री भानुप्रसाद कराडिया: कब तक चालू कर दी जायगी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: स्वीकार होने पर आवश्यक कार्यवाही पूरी होने के बाद शीघ्र ही।

श्री अध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

नगरपालिका कर्मचारियों के सेवा-नियम

१०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या अधिशासी अधिकारी, सचिव, राजस्व अधिकारी आदि कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य नगारपालिका कर्मचारियों के सेवा-नियम बनाये जाने का सरकार का विचार है?

(२) अगर है, तो कब तक ये सेवा नियम बना दिये जायेंगे?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) एस्टीमेट्स तैयार हो रहे हैं।

(२) योजना विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या यह १० नं० के अनुसार ही जवाब दिया है?

श्री अध्यक्ष: जसा पूछा वैसा जवाब दिया गया है।

(विराम)

श्री विट्ठल!

बांसवाड़ा दाहोद के बीच अनाल नदी का पुल

११. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा दाहोद के बीच में अनाल नदी का ब्रिज (पुल) गत ३ वर्ष से बैठ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है? अगर नहीं, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि नदी का ब्रिज (पुल) टूटने से पी. डब्ल्यू. डी., बांसवाड़ा द्वारा मरम्मत की गई? अगर हां, तो कितने रुपये अब तक खर्च हुए?

(३) क्या यह भी सही है कि पुलिया की मरम्मत के बाद भी मोटर गाड़ियां बन्द हैं? यदि हां, तो क्यों?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं। सितम्बर, १९६१ में क्षतिग्रस्त हुआ था। जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विट्ठल: प्रश्न नहीं उठता है, पर जो पुल दो साल से टूटा हुआ है उसका प्रश्न ही नहीं उठता क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: आपने पूछा कि मरम्मत की है क्या, इसका जवाब दिया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न किस तरह उठ सकता है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): जिस तरह आप उठाना चाहें ।

श्री अध्यक्ष: पुल यातायात के लिये खुला है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: आम लोगों के आवागमन के लिये खुला है, पर ट्रक्स वगैरह के यातायात के लिये बन्द है ।

श्री विट्ठल: बसें अभी तक बन्द हैं । बड़ा लम्बा रास्ता है । एक बस इधर खड़ी रहती है व दूसरी बस उधर खड़ी रहती है । इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है । फिर भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ है और कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता; तो फिर कब प्रश्न उठता है ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): आपने कहा कि 'प्रश्न नहीं उठता' कोई मरम्मत नहीं करवाई गई, तो क्या बसें, ट्रकें, हवाई जहाज की तरह वहां से उड़ कर पार होंगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसके लिये पुल दूसरी बनाने की बात है , जिसके लिये डिजाइन तैयार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष: हां, ऐसा कहिये ।

श्री हीराभाई: लाखों रुपया आप उस पर खर्च किये जा रहे हैं, इतना रुपया तो पुल में लगाते तो पुल तैयार हो जाता ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, टैक्निकल राय के खिलाफ काम नहीं कर सकते । टैक्निकल राय है कि पुलिये पर ट्रक चलाये जायं तो it is dangerous for public life, इसलिये बन्द है ।

श्री हीराभाई: इतने दिनों तक बन्द रहे, यह तो ठीक नहीं । टैक्निकल राय कब से मांगी है, किस आधार से मिली, कब से कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन ।

भरतपुर जिले के डेरी फार्म

१२. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या भरतपुर जिले में डेरी फार्म के लिये कर्ज दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को, कब कब और कितना रुपया ?

(२) क्या ये डेरी फार्म्स चल रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और कहां कहां और इनमें कितना माल तैयार होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या सरकार ने इन डेरी फार्म्स को कभी चैक किया है ? यदि हां, तो कब कब ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

सांचोर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट

१३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जुडिशियरी अलग होने पर सांचोर में महीने मे सिर्फ १५ दिन ही भीनमाल मुंसिफ मजिस्ट्रेट सांचोर, काम करने आते हैं? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि सांचोर में एक फुलफ्लेज्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट चलाने के लिये क्रिमिनल व सिविल दोनों मिला कर काफी काम है ? अगर हां, तो सेपरेट मुंसिफ मजिस्ट्रेट की स्थापना सरकार कब तक कर देगी ?

(३) क्या यह सच है कि सांचोर में हमेशा ही एक मुंसिफ व एक प्रथम श्रेणी दण्डाधीश के न्यायालय रहे हैं ? अगर हां, तो उस महत्व को देखते हुए क्या सरकार अब भी दोनों न्यायालय रखने का निर्णय शीघ्र लेने का विचार रखती है ?

(४) अगर सरकार सांचोर में एक फुलफ्लेज्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत कायम करने का निर्णय लेती है तो क्या सरकार जनता की सुविधा के लिये उस अदालत को १०७ सी. आर. पी. सी. १४५ सी. आर. पी. सी. एवं दूसरे स्पेशल एक्ट्स के मुकदमात भी देने का निर्णय करेगी ? अगर नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, न्याय (श्री परसराम मदेरणा): (१) सांचोर में भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है ।

(२) सांचोर में सिविल व क्रिमिनल मुकदमों की सुनवाई के लिये फुलफ्लेज्ड मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है ।

(३) नहीं, केवल मुंसिफ मजिस्ट्रेट को ही सिविल व क्रिमिनल काम करने के लिये नियुक्त किया गया है ।

(४) अभी आंशिक पृथक्करण ही किया गया है तथा जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स को केवल आई. पी. सी. तथा इंडियन रेल्वे एक्ट के मुकदमात सुनने के अधिकार दिये गये हैं । जब पूर्ण पृथक्करण किया जायगा तब सरकार इस विषय पर विचार करेगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: इस वक्त अड़चन क्या है, कानूनी अड़चन क्या है हस्तान्तरित करने में ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री अब्दुल-जब्बार ।

इलेक्शन स्टाफ को रेवेन्यू स्टाफ में मिलाया जाना

१४. **श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा):** क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या इलेक्शन स्टाफ, राजस्थान को रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिला दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो इस प्रकार के रद्दो-बदल से राज्य को क्या लाभ हुआ है और क्या लाभ होने की संभावना है ?

निर्वाचन मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) जिलों में काम करने वाले इलेक्शन स्टाफ अर्थात् वरिष्ठ लेखक, कनिष्ठ लेखक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टरी के अमले के साथ मिला दिया गया है।

(२) इस रद्दोबदल से कलेक्टर अपने जिलों के अच्छे कर्मचारियों को चुनाव के कर्मचारी की जगह नियुक्त कर सकेंगे और कर्मचारियों को भी सुविधा रहेगी कि वे सरकार की नीति के अनुसार अपने जिलों के नजदीक अपनी नियुक्ति करा सकेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार: प्रश्न यह है कि इससे राज्य को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी ?

श्री मथुरादास माथुर: हानि होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लाभ का सवाल है, वह यह कि रेशनलाइज किया है, इससे धनराशि के लाभ होने की संभावना है।

श्री अब्दुलजब्बार: अब सवाल यह आता है कि उनकी सीनियोरिटी का क्या होगा ? रेवेन्यू स्टाफ में जो सीनियर हैं और इलेक्शन में जूनियर हैं तो सीनियोरिटी का क्या आधार होगा ?

श्री मथुरादास माथुर: इलेक्शन स्टाफ को रेवेन्यू स्टाफ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मर्ज किया तो यह लाभ हुआ कि पहले इलेक्शन स्टाफ के सुपरवाइजर का ग्रेड था वह यू. डी.सी. से कम था, अब यू. डी. सी. का ग्रेड है। दूसरा फायदा यह होगा कि इलेक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर से आगे चीफ सुपरवाइजर की केवल एक ही पोस्ट थी। अब यू. डी. सी. से असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिन्टेण्डेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी आदि पदों पर आगे बढ़ सकेंगे। कम खर्चा भी है, इलेक्शन टाइम के अलावा इनकी उपयोगिता नहीं थी इसलिये इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट में यह चैन्ज लास्ट ईयर की गई थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या १५, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

श्री कुमारानन्द !

स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण

१६. **श्री कुमारानन्द (ब्यावर):** Will the Transport Minister be pleased to reply:—

1. Whether any Standing Orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act XX of 1946) have been got certified by the Rajasthan State Road Ways ?

2. If not, why and when the same will be got certified ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल):

1. No, Sir.

2. They have been prepared and are being sent to the labour Department for their approval for inviting objections.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इसमें ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के लिये क्या विभिन्न मजदूर संगठनों की राय ली जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: सारा मामला लेबर डिपार्टमेन्ट में है, वहां से एप्रूवल आ जाय तो जो तरीका है उस तरह ऑब्जेक्शन्स मांगेंगे।

श्री कुमारानन्द : कब तक मांगेंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपको फरमाया कि लेबर डिपार्टमेंट को भेजा है, वहां से आने के बाद में ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपका फरमाना तो सुन लिया, पर क्या गवर्नमेंट एश्योरेन्स दे सकती है कि कब तक भेजेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसे ही लेबर डिपार्टमेंट से आ जायगा।

श्री कुमारानन्द : क्या कोई टाईम लिमिट है इसके लिये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार एमर्जेन्सी में महसूस नहीं करती कि रोडवेज़ की संतोषजनक सर्विस देने के लिये इस काम को एमर्जेन्सी लेवल पर तय करना चाहिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बिना एमर्जेंसी के ही हम जल्दी कर रहे हैं।

श्री कुमारानन्द: कोई टाइम लिमिट है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आंकड़ों में तब्दीली कर दीजिये।

जिला गंगानगर के बोर्डर क्षेत्र का सड़क द्वारा देहली से सम्बन्ध

१७. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर के पाकिस्तान बोर्डर से लगते हुए क्षेत्र को देहली से सड़क मार्ग द्वारा सीधा सम्बन्धित रखने के लिये रावतसर से नोहर तक पक्की सड़क बनाना आवश्यक है ?

(ख) क्या यह सही है कि गंगानगर से रावतसर तक पक्की सड़क है, रावतसर से नोडी ग्राम तक कच्चा रास्ता है और सोनडी से नोहर तक पक्की सड़क तैयार है और नोहर से भादरा तक सड़क निर्माण कार्य चालू है व भादरा से देहली तक पक्की सड़क है ?

(ग) उपरोक्त स्थिति में सरकार रावतसर से सोनडी तक १५ मील का सड़क का टुकडा पूरा करके रावतसर और नोहर की सड़क का पूर्ण निर्माण कब तक करेगी ?

(घ) भादरा से रिसा की सड़क, जो सिर्फ १२ मील का टुकडा है, का निर्माण कार्य सरकार कब चालू करेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) रावतसर से सोनाडी की सडक योजना में स्वीकृत नहीं है।

रावतसर-नोहर सड़क का कार्य योजनानुसार चालू है। आशा है चतुर्थ योजना-काल में ।

Page No.14

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(घ) ऐसी कोई स्वीकृत योजना नहीं है ।

श्री हरदत्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, (घ) का जो प्रश्न है उसके बारे में एक बार माननीय उपमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जावेगा, तो क्या इसको इसी योजना में रखने का आश्वासन देंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं ।

चौथी योजना में फिर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी ।

पशु पालन विभाग की जीपें

१८. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान एनिमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट में कुल कितनी जीपें हैं और उन पर गत तीन वर्षों में कितना रुपया मरम्मत व पैट्रोल में खर्च हुआ है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : पशुपालन विभाग में ३३ जीपें हैं, जिनमें गत तीन साल में कुल २,३३,२४१) रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न था कि मरम्मत में कितना खर्च हुआ और पैट्रोल पर कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अलग अलग आंकडे उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये कुल खर्च पेश किया ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इसका क्या कारण है कि मरम्मत और पैट्रोल अलग अलग जगह से लिये जाते हैं, फिर आंकडे दोनों के क्यों नहीं अलग अलग उपलब्ध हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आंकडे एकत्रित किये जा रहे हैं और चूंकि आंकडे पूरे उपलब्ध नहीं हो सके इसलिये अधूरी जानकारी देना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ३३ जीपें एक ही डिपार्टमेन्ट में हैं और उन ३३ की क्या उपयोगिता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्वेश्चन की जो मंशा थी, दोनों आंकडों को मिला कर उसको हाइड करने की कोशिश की गई है । यदि मरम्मत और पैट्रोल दोनों के आंकडे अलग अलग बताते तो पता चलता कि कितना दुरुपयोग हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को दुबारा लिया जाय और तब तक इसको अनरिप्लाइड ही समझा जाय ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सदस्य महोदय को संतोष नहीं है तो इसको दुबारा किया जा सकता है । कोई बात हाइड नहीं की जा रही है और यह जो कहा जा रहा है वह सही नहीं है । अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स से सूचना पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकी, बाद में दी जा सकती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ढाई लाख के करीब खर्चा हुआ है तो मरम्मत पर कहां तक इसको उचित समझते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मरम्मत और पैट्रोल दोनों हैं ।

श्री कुमारानन्द: आप कहते हैं कि दवाई, डॉक्टर सब पर्याप्त हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: मैंने पहले ही निवेदन किया कि अपर्याप्त हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): रिसीव करने का कोई अरेन्जमेंन्ट है क्या ?

प्रश्न संख्या २१

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित ।

सीकर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग **की शाखा ।**

२२. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) सीकर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की शाखा क्यों नहीं है ? क्या इस जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा निर्माण का कार्य कम है ?

(२) सीकर-जयपुर सडक के राष्ट्रीय-मार्ग घोषित होने के पश्चात् भी अभी तक उस सडक पर परिचयात्मक चिन्हादि एवं सडकों की चौडाई की वृद्धि तथा रास्ते के नदी-नाले आदि की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) शाखायें हैं। जी नहीं ।

(२) कुछ भाग के टेन्डर्स आमन्त्रित किये जा रहे हैं और कुछ भाग के एस्टीमेटस् बनाये जा रहे हैं ।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मैं समझा नहीं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: आपने पूछा कि शाखायें क्यों नहीं हैं । मैंने जवाब दिया कि शाखायें हैं । दो असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स रहते हैं । दूसरा, कुछ भागों के टेन्डर्स आमन्त्रित किये जा रहे हैं और कुछ भाग के एस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं ।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय कहते हैं कि दो असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स हैं पी. डब्ल्यू. डी. के जो वहां रहते हैं, इसलिए आपका कहना सही नहीं है कि वहां कोई शाखा नहीं है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: एक्स. ई एन. हैं ।

श्री अध्यक्ष: एक्स. ई. एन. तो इसमें नहीं हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पोस्ट नहीं बतायी थी । पोस्ट बताते तो जवाब दे सकता था ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): शाखा से मतलब एक्स. ई एन. से और उप-शाखा से असिस्टेन्ट इन्जीनियर ?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मेरा मतलब एक्स. ई एन. से है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये । वर्क लोड पर जांच करके बताया जा सकता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : गाड़ियों की मरम्मत होती है तो प्राइवेट संस्थाओं से मरम्मत कराने के लिये क्या नियम है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अलग प्रश्न है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह नगर): अलग बताने में तो भेद खुलता है।

श्री अध्यक्ष : आपको दुबारा सूचना मिल जायगी।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

लाखेरी नगरपालिका के फूड इन्सपेक्टर

१९. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका में एक क्लर्क फूड इन्सपेक्टर का कार्य करते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या वे इस पद के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं ?

(३) लाखेरी नगरपालिका के अन्तर्गत कितने लाइसेन्स इस वर्ष में कब कब बनवाये गये ?

(४) क्या सरकार उक्त फूड इन्सपेक्टर के स्थान पर किसी योग्य फूड इन्सपेक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है। आगामी सैशन में दे दिया जावेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस सेशन में जरूर आवेगा।

Next week, Shri Kumara and

नसीराबाद में एलोपैथिक दवाखाने

२०. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नसीराबाद में राज्य सरकार द्वारा संचालित एलोपैथिक दवाखाने कितने हैं और उनका वार्षिक बजट तथा कुल कर्मचारियों की तादाद क्या है तथा उनमें कितने मरीजों को भर्ती रखने (इन्डोर पेशेन्ट्स) की व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): नसीराबाद, जिला अजमेर में एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है जिसमें एक डॉक्टर, एक कम्पाउन्डर एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उस डिस्पेन्सरी को दवाइयों के लिये इस चालू वर्ष में ४०,०००) रु० का बजट रखा गया है। उक्त डिस्पेन्सरी में इन्डोर पेशेन्ट्स रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

यह ठीक है कि नसीराबाद की जन-संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, लेकिन राज्य के सीमित साधनों के अनुसार जितना किया जा सकता था किया गया है। भविष्य में साधन उपलब्ध होने पर इसमें सुधार करने की कोशिश की जायगी।

श्री कुमारानन्द : उन लोगों ने बार बार आपको कम्प्लेन्ट किया है कि दवाई नहीं है, ठीक इलाज नहीं होता है। क्या आपके पास कोई कम्प्लेन्ट आई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी नहीं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैंने इसलिए पूछा था कि सीकर जिले में तीन उप-शाखायें हैं, एक्स. ई. एन. की तीन हैं। तीनों शाखायें होते हुए भी वहां पर ठेकेदारों को इसलिए दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : सड़क के बारे में पूछिये कि क्या दिक्कत है ? पहले सड़कों का होना चाहिये, फिर बाद में अफसरों का।

प्रश्न संख्या २३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार।
(अनुपस्थित)

श्री गणपतिलाल वर्मा।

भीलवाड़ा मांडलगढ़ सड़क

२४. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से मांडलगढ़ रोड पर भारी ट्रक व ट्राफिक चलने से सड़क खराब हो गई है और काफी खड्डे पड़ गये हैं ?

(२) क्या इस पर डामर बिछाने की योजना है ? यदि हां, तो यह काम कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनाराण सालोदिया।

रोडवेज की बसें व उनका स्टाफ

२५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज की जो बसें जयपुर से निवाई, टोंक, देवली व कोटा जाती हैं उनकी संख्या क्या है और उनकी खरीद कब और कितने रुपयों में की गई थी ?

(२) सन् ६१-६२ में राजस्थान स्टेट रोडवेज की उक्त लाइन पर कितना मुनाफा रहा व कितना खर्चा करना पड़ा ?

(३) क्या यह भी सच है कि हर गाड़ी में किसी न किसी चीज की कमी है तथा अधिकतर गाड़ियां धक्का देने से चालू होती हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त गाड़ियों की सफाई, देखभाल आदि नहीं होने से जल्दी खराब हो गई हैं ?

(५) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों पर कम वेतन पर अयोग्य कर्मचारी रखे गये हैं, जो दिलचस्पी से कार्य नहीं करते हैं ?

(६) क्या सरकार ड्राइवरों, कन्डक्टरों व निरीक्षकों को नम्बर के बैज देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी। २९ गाडियां है फी गाडी -४६,०००) रुपये में ६०-६१ में खरीदी गई हैं।

(२) चूंकि सन् १९६१-६२ में रोड-वेज की कोई बस इस मार्ग पर नहीं थी अतः मुनाफा और खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.18

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने 'जी नहीं' कहा । क्या यह सच नहीं है कि गाड़ियां अक्सर धक्के से चलती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग में या वर्क शाप से जानकारी आयी है उसका मतलब है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वर्क-शॉप से तो गलत रिपोर्ट भी आ सकती है ।

श्री अध्यक्ष : आप सही बता दीजिये कि किस दिन धक्का लगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अक्सर उन गाड़ियों में रन करता हूं । आप मेरे साथ रन कीजिये । वे धक्के से नहीं चलतीं तो क्या होता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : धक्के से तो हुकूमत ही चल रही है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सदस्य महोदय के नाम से ऐसी कोई शिकायत रजिस्टर नहीं हुई जिससे उनको धक्का देना पड़ा हो ।

श्री रामकिशन (वैर) : मुझे भी एक शिकायत करने का मौका पड़ा, लेकिन आज दिन तक वह आपके पास आयी नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने शिकायत-पुस्तक मांगी थी, लेकिन कन्डक्टर ने लिखित में इन्कार किया है ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरीशचन्द्र) आप लिख कर मेरे पास भिजवा दीजिये, (We shall look into it)

श्री जयनारायण सालोदिया : शिकायत पुस्तिका के लिये जब भी मांग की गई है, लिखित में देने से मना किया गया है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कोटा-जयपुर के बीच में पिछले दो महीनों में २५ एक्सीडेन्ट्स हुए हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल धक्के का है, एक्सीडेन्ट का नहीं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : गाड़ियों में चलते हैं, उनके पास सामान नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस प्रश्न का जो भाग ६ है उसमें साफ पूछा है कि क्या सरकार ड्राइवरों, व निरीक्षकों को नम्बर के बैज देने का विचार रखती है ? उसका उत्तर दिया गया है, 'जी नहीं' । नियमानुसार बैज देना आवश्यक है इसलिये मालूम करना चाहता हूं कि आपने जो कहा "जी नही" तो क्या आप नियमों की अवहेलना करना चाहते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नम्बर पहले से दिये हुये हैं इसलिये दुबारा देने की जरूरत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह कह सकते थे कि पहले नम्बर दिये हुए हैं अतः उनको दुबारा देने का विचार नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले से दिये हुए हैं, इसलिये दुबारा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपसे पूछा गया कि बैज देने का विचार है या नहीं, आपने कहा "जी नहीं" यह नियमों की अवहेलना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप कहते हैं, "बैज हैं," हम कहते हैं, "किसी के पास बैज नहीं"। कन्डक्टर से जब निरीक्षक पुस्तिका मांगते हैं तो वह देता नहीं, नाम पूछते हैं तो बताते नहीं, वैसी हालत में अगर बैज या नम्बर आदि हो तो नम्बर उनका नोट किया जा सकता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि सब के पास बैज हैं, नम्बर दिये हुए हैं किसी के पास नहीं है, यह जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, जो यहां कहा जा रहा है उसको नोटिस मान कर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कह रही हैं कि उनके पास इस प्रकार की कोई कम्पलेन्ट नहीं है। इसके अलावा माननीय सदस्य ज्यादा जागरूक हैं तो दो चार बार कम्पलेन्ट करिये, उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम पूछ सकते हैं कि आपने क्यों कार्यवाही नहीं की।

श्री मोतीलाल चौधरी : हमारी जो जानकारी है वह सही है और माननीय मंत्री महोदय जो जानकारी दे रहे हैं वह उनके अफसरों द्वारा दी हुई जानकारी है। क्या जो यहां कहा गया है उसी को आधार मान कर जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): एक भी कम्पलेन्ट किसी भी माननीय सदस्य द्वारा नहीं की गई है। एक भी कम्पलेंन्ट आयी तो हम इमीजियेटली एक्शन लेंगे। I give a guarantee in the House. But they have not given any complaint.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसी को कम्पलेन्ट मान लीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या आप इमीजियेट एक्शन, बगैर जांच कराये ही यहां कहने के अनुसार ले लेंगे। या जांच करके ?

श्री हरिश्चन्द्र : जांच करके।

उद्योग और कृषि हेतु बिजली की दरें

२६ **श्री मोहनराज (बाली)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कृषि कार्य हेतु विद्युत शक्ति की क्या दर निर्धारित की हुई है ?

(श्री मोहनराज)

(२) क्या यह सही है कि उद्योग व कृषि हेतु निर्धारित दरों में अन्तर है? यदि हां, तो कितना?

(३) क्या यह सही है कि कतिपय स्थानों के काश्तकारों ने कृषि हेतु निर्धारित दरों से विद्युत का खर्चा अलाभप्रद होने की वजह से विद्युत का उपयोग बन्द कर पुनः बैलों से सिचाई प्रारम्भ की है?

(४) क्या सरकार कृषि कार्य हेतु विद्युत की दरों में कमी करके अथवा रिबेट देकर काश्तकारों को बिजली द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं की उपलब्धि के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, विद्युत : (श्री परसराम मदेरणा) कृषि उद्योगों के लिये भाखरा नांगल हाईडल और चम्बल हाईडल की दरें निम्न प्रकार थीं :-

चम्बल हाइडल की दर सिंचाई के वास्ते :

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता, अध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : आधे मुंह से बोल रहे है। पूरे मुंह से बोलिये, आधे मुंह में पान रखा हुआ है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पान थुकवाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में पान खाना संसदीय परम्पराओं के अनुसार है?

श्री अध्यक्ष : क्या आप जांच करके बैठ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे तो पान खाया हुआ है ही नहीं।

चम्बल हाईडल की दर, सिंचाई के वास्ते

पीक अवर्स १२ न.पै. प्रति यूनिट

स्लेक अवर्स १० नये पैसे.

न्यूनतम दर रु० ५.०० प्रतिमाह।

भाखरा नांगल की दर कृषि एवं गृह उद्योग के वास्ते

पहले १,५०० युनिट ११ न.पै. प्रति यूनिट प्रति माह

१५,०० यूनिट से ऊपर ६ नपै. प्रति यूनिट प्रतिमाह वार्षिक न्यूनतम ४२ रूपये।

कृषि उद्योग को बिजली जो कि पुराने डीजल और स्टीम स्टेशन से दी जा रही है: ३ आना प्रति यूनिट

नये डीजल से दी जा रही है २५ न.पै. प्रति यूनिट।

किन्तु सरकार ने अब समस्त राजस्थान में कृषि के लिये १२ न.पै. प्रति यूनिट के हिसाब से दर घोषित की है।

(२) जी हां। कृषि की दरें छोटे उद्योगों की अपेक्षा कम हैं। चम्बल और भाखरा हाइडल की दर के अनुसार अन्तर निम्न प्रकार हैं :

५ न.पै. चम्बल में।

२ न.पै. भाखरा में।

Page No.21

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(४) सरकार की नई घोषणानुसार इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीकानेर नगर परिषद् की सिनेमाघरों के विरुद्ध बकाया रकमें

२७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या बीकानेर में सिनेमाघरों पर बीकानेर नगर परिषद् द्वारा कोई पर्फोर्मेन्स टैक्स लगाया हुआ है? अगर हां, तो कब से व किस दर से?

(२) बीकानेर नगर परिषद् के कितने रुपये किस किस सिनेमाघर में बकाया है और उसकी वसूली के लिये नगर परिषद् की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है?

(३) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगर परिषद्, बीकानेर ने उक्त बकाया वसूली की रकम के लिये कुर्की जारी की?

(४) क्या सिनेमाघरों के मालिकों ने उक्त वसूली के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी सरकार को की है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कानून की किस धारा में की गई है?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण), (१) जी हां। दिनांक १-७-५९ से १० रुपया प्रति शो।

(२) यह बकाया इस प्रकार है:—

विश्व ज्योति	३२,११२.००
प्रकाश चित्र	३२,११२
श्री गंगा थियेटर	१२,०३०.००
कुल	७६,२५४.००

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। एक रिप्रेजेन्टेशन पेश किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या उस रिप्रेजेन्टेशन पर सरकार ने कोई स्टे ऑर्डर जारी किया है कि इस रकम को वसूल न करें?

श्री दौलतराम सारण: इसकी कानूनी जांच करवाई जा रही है कि एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स के अलावा यह टैक्स भी वसूल किया जा सकता है या नहीं। जब तक विधि विभाग की जानकारी नहीं आ जाती तब तक के लिये स्थगित किया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह रिप्रेजेन्टेशन किस तारीख को राज्य सरकार के पास सिनेमा मालिकों ने किया था?

श्री दौलतराम सारण: तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को पर्फोर्मेन्स टैक्स लगाने से पहले उसकी कानूनी जांच नहीं की करवा ली थी कि यह टैक्स कानून सम्मत है या नहीं?

स्वायत्त शासन मन्त्री, (श्री बरकतुल्लाखां) : सिनेमा मालिकों ने जो रिप्रेजेन्टेशनस किए थे उसके अन्दर उन्होंने यह कहा था कि उन्हें हार्डशिप हो रही है और यह लीगल टैक्स भी नहीं। यह क्वेश्चन उन्होंने उठाया था। यह इसको लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करालें। विदाउट प्रेजुडिस लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली जा रही है। अगर टैक्स जायज है तो वह जरूर वसूल किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सवाल यह है कि टैक्स लगाने से पहले इसकी लीगेलिटी को देखा गया था या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : म्यूनिसिपैलिटी ने एक नया टैक्स लगाया, उसके लगाने के बाद सिनेमा ओनर्स अपने रिप्रेजेन्टेशन में एक नई बात सामने लाये। उस पर गौर करने से पहले टैक्स माफ़ तो नहीं किया गया है, स्टे ऑर्डर किया गया है। जिस दिन लॉ डिपार्टमेन्ट से उस संबंध में राय आ जायगी वह वसूल कर लिया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है १-७-५६ को यह टैक्स लागू किया गया, उसके तीन साल के बाद स्टेट गवर्नमेन्ट उसको स्टे करती है। म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने कुर्की के जरिये उन टैक्सेज़ को वसूल करने की कोशिश की, उस पर गवर्नमेन्ट ने स्टे ऑर्डर्स कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह इल्लीगल टैक्स सिनेमा मालिक मानते हैं तो वे रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेश कर सकते थे। तीन साल बाद सरकार यह मकद उठाती है कि इसको लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसके बारे में १५ दिन के अन्दर वे लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेकर इस टैक्स के बारे में निर्णय लेंगे ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेन्ट की राय १० दिन के अन्दर लेकर माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी दे दूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : राय अनुकूल आने पर रिकवरी नहीं हो सकेगी तब क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

२८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के बच्चों को राजकीय कर्मचारियों की तरह स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा शुल्क माफ करने की सुविधा दी जाती है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) राजकीय नियम नगरपालिकाओं पर लागू नहीं होते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्यों नहीं होते ?

श्री अध्यक्ष : यह बहस का प्रश्न नहीं होता।

Page No.23

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इन नियमों को लागू करना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बांदीकुई—राजगढ़ सड़क

२६. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या तहसील बसवा, जिला जयपुर में बांदीकुई-राजगढ़ रोड पर सी. डी. पुलिया व ब्रिज बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब हुई और अब तक यह कार्य पूरा न होने का क्या कारण है व कार्य अब कब तक हो जावेगा ?

(३) क्या इस सड़क से बसवा ग्राम को लिंक रोड बना कर जोड़ने के लिये कोई स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो इस कार्य के पूरा [illegible] के क्या कारण हैं और अब कब तक [illegible]वेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्रीभवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) दिनांक १५-३-६२ को अर्थाभाव के कारण अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह आपने 'जी हां,' फ़रमाया; यह सड़क कब बनी थी, कब स्वीकृति हुई थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १५-३-६२ को।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पुलियों के लिये कह रहे हैं, क्या इसके लिये टेन्डर्स वगैरह हो चुके हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हमारा १३ करोड़ का प्लान था। उसमें कटौती कर दी गई; इस लिये इसके पूरा होने का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। थर्ड प्लान में काम होगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पर यह तो कोर प्लान में इन्क्लूड नहीं किया गया है और अभी तक पिछले चार-पांच साल से पड़ा है। यह कब पूरा हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मानिकचन्द सुराणा।

कोलायत तहसील के गावों में बिजली

३०. **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोलायत तहसील के गांव गज्जू व अवकासर में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली कब तक पहुंचा दी जायेगी ?

(२) इस सम्बन्ध में अब तक हुई देरी का क्या कारण है ?

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोलायत तहसील के किन किन गांवों को और बिजली दिए जाने की योजना है ?

Page No.24

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) समय निश्चित नहीं किया गया है

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) १९६३-६४ के प्रोग्राम तक कोई नहीं।

श्री माणिकचन्द सुराणा: ६३-६४ में क्या आपने इस सम्बन्ध में कुछ गांवों को बिजली जुटाने की कोशिश की?

श्री परसराम मदेरणा: पांच हजार या पांच हजार से ऊपर की आबादी के गांवों को हमने लेने का विचार किया है, पर जिस झज्जू गांव का आपने हवाला दिया उसको नहीं लिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने कोलायत को बिजली दी है, यह कोलायत से पांच मील दूर है। बड़ा गांव है। इसे अगर बिजली नहीं देते हैं तो पांच मील दूर बिजली पहुंचाने में आपको क्या दिक्कत है? कोलायत तक तो है। यह बड़ा गांव है। इसकी सात हजार के करीब आबादी है। कोलायत से बड़ा है और वहां से पांच मील दूर है।

श्री अध्यक्ष: तो कहा है या पांच हजार या पांच हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों को दी जावेगी।

श्री माणिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, कुछ तहसीलें ऐसी हैं जहां पांच हजार की आबादी का कोई गांव नहीं है। इस प्रकार की तहसीलों में रूल्स का रिलेक्सेशन होना चाहिये। इस गांव में सबसे घनी आबादी है। तीन हजार के करीब है और इसलिये मेरा निवेदन है कि....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपको कैसे मालूम?

श्री माणिकचन्द सुराणा: मैं वहां का प्रतिनिधि हूं। तो इस प्रकार के केसों में इन नियमों को रिलेक्स करके घनी आबादी के गांवों में बिजली का काम होना चाहिये और मन्त्री महोदय से मैं चाहूंगा कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीराभाई।

फतहगढ़-बांसवाड़ा सड़क

३१. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जिला बांसवाड़ा म[illegible] कुशलगढ़ में उदयगढ़-बांसवाड़ा [illegible] बनाने के वास्ते सरकार ने [illegible] मंजूर की थी ? यदि हां, तो [illegible]

(२) क्या उक्त रोड की मन्जूरी के अनुसार कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब ? यह कार्य कब तक शुरू करके पूरा किया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां, दिनांक १५-३-६२।

(२) बांसवाड़ा-कुशलगढ़ सड़क का काम आरम्भ करा दिया गया है और कुशलगढ़ उदयगढ़ रोड का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में आरम्भ करा दिया जावेगा। आशा है, यह चतुर्थ योजना-काल में समाप्त होगा।

भू-संरक्षण (सोइल कन्जर्वेशन) योजना

१२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भू-संरक्षण योजना प्रारम्भ करने के क्या आधार हैं तथा किन किन जिलों में इस वक्त यह योजना चल रही है ?

(२) जालौर जिले म उक्त योजना प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) यह कार्यक्रम राजस्थान के उन इलाकों में लागू किया गया है जहां पर वर्षा अधिक होती है। वहां भूमि कटाव की समस्या विशेष है और जहां काश्तकार लोग इस काम को करने के लिये तैयार हैं। इसके लिये सोइल कन्जर्वेशन बोर्ड की सिफारिशों पर कार्यक्रम बनाया जाता है। इस वक्त निम्न १५ जिलों में यह स्कीम चल रही है:-

१ जोधपुर, २ नागौर, ३ गंगानगर, ४ जयपुर, ५ उदयपुर, ६ कोटा, ७ बूंदी, ८ झालावाड़, ९ सिरोही, १० डूंगरपुर, ११ बांसवाड़ा, १२ अजमेर, १३ सवाई माधोपुर, १४ पाली और १५ भरतपुर।

(२) जालौर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति में जो भू-संरक्षण कार्य किया जाने वाला है उसकी रिपोर्ट डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर से प्राप्त हो चुकी है। भू-संरक्षण अधिकारी व एग्रीकल्चर इन्जीनियर को मौके की जांच कर रिपोर्ट भेजने को लिखा जा चुका है। रिपोर्ट आते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या जालौर जिले में वर्षा और जिलों से कम होती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: रानीवाड़ा जालौर से बाहर है या उसी में है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उसमें तो है। फिर जालौर को उन १५ जिलों में शामिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

जयपुर नगर के अस्पतालों के लिये विजीटर्स कमेटी

१३ **श्री हरस्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

जयपुर नगर के अस्पतालों का निरीक्षण जनता के लाभ के हेतु करने वालों की एक विजीटर्स कमेटी बनाने की योजना थी; उसका क्या हुआ ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना): जी हां, विचाराधीन है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री अध्यक्ष: काफी अर्से से है और काफी अर्से तक रहेगा।

आदर्शनगर, जयपुर में बिजली पानी सड़क-व्यवस्था

१५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) आदर्शनगर, जयपुर में बिजली, पानी व सड़क व्यवस्था को ठीक करने के लिए सन् १९६१-६२ म राज्य सरकार ने जयपुर नगर विकास ट्रस्ट को कितना धन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) दिया और उसमें से प्रत्येक मद पर अलग अलग कितना कितना धन व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि मन्त्रि-मण्डल की दिनांक २५-६-६० व ११-६-६० की बैठक में आदर्शनगर के लिए तीन लाख रुपया व्यय किया जाना तय किया गया था ? यदि हां, तो उसमें से कितना रुपया व्यय किया गया और किस प्रकार से ?

(३) पूरा धन जो स्वीकार किया गया वह व्यय क्यों नहीं किया गया ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) राज्य सरकार की ओर से सन् १९६०-६१ में १॥ लाख रुपये की राशि ऋण तथा सन् १९६१-६२ में १॥ लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में आदर्शनगर कोलोनी में बिजली पानी तथा सड़क की व्यवस्था ... जयपुर को दी गई, ... न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय हो चुका है:

सड़क-निर्माण	६३,७५२)११ न. पै.
पानी	४५,४३५)०० न. पै.
बिजली	१,१६,८३५)५२ न. पै.
अन्य-पार्क आदि	१,४६६)५३ न. पै.
समस्त योग	२,३०,४८९)६ न. पै.

(२) जी हां, जैसा निर्णय मन्त्रि-मण्डल की बैठक दिनांक २०-८-६० व १३-१०-६० में लिया गया था। अब तक व्यय किये द्रव्य का विवरण प्रश्न (१) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(३) शेष द्रव्य को व्यय करने के लिये आदर्शनगर कोलोनी में सड़कें निर्माण करने का कार्य चालू है तथा इन कार्यों के पूर्ण होते ही यह द्रव्य भी व्यय हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला।

उदयपुर नगर परिषद् के चुनाव

२१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) [श्री जोधसिंह (गिरवा) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् पर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि नियमानुसार इस नगर परिषद् की अवधि पूरी हो जाने पर चुनाव हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो इस नगर परिषद् का चुनाव कब तक हो जायगा ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां, देश की संकटकालीन स्थिति के समाप्त हो जाने पर चुनाव हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह जो चुनावों में संकटकालीन स्थिति का कारण बताया

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए। आप जवाब नहीं चाहते, बहस करना चाहते हैं।

(११.५८ म. पू.)

महारावल श्री संग्रामसिंह एवं श्री बी. एन. दातार के निधन पर श्रद्धाञ्जलियां

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि गत सत्र और इस सत्र के प्रारम्भ के बीच में दो महानुभावों, महारावल श्री संग्रामसिंह तथा श्री बलवन्त नागेश दातार का निधन हो गया है।

महारावल श्री संग्रामसिंह प्रथम राजस्थान विधान सभा में संयुक्त दल के सदस्य थे तथा उक्त सभा के प्रारम्भ में वे कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म जयपुर में २२ अक्टूबर, १९०० को हुआ था। वे राजस्थान बनने से पूर्व भूतपूर्व जयपुर राज्य में जज, चीफ कोर्ट, सीनियर मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर एवं चेयरमैन, सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड के उच्च पदों पर रह चुके थे। उनका देहान्त १५ फरवरी, १९६३ को जयपुर में हुआ।

श्री बलवन्त नागेश दातार केन्द्रीय गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री थे। वे सन् १९५२ से १९५५ तक केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के उप-मन्त्री तथा उसके बाद से उसी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के पद पर कार्य करते चले आ रहे थे। उनका निधन ६८ वर्ष की आयु में १३ फरवरी, १९६३ को दिल्ली में हुआ।

इन दोनों महानुभावों के निधन से हमें जो क्षति हुई है उसको पूरा करना कठिन है। मैं इन दोनों महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कुछ समय के लिये खड़े हो जायं व ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे।

(सदन के माननीय सदस्यों ने २ मिनट तक मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की)

(१२.०० मध्यान्ह)

डकैतियों की घटनाओं सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव।

राजस्थान में डकैतियों की घटनाओं और विशेषकर पाकिस्तान से लगे हुए सीमा क्षेत्रों में हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला हाल ही में घटित कोई विशिष्ट विषय तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में इस प्रकार के विषयों पर प्रकाश डालने का अवसर भी प्राप्त होता रहेगा, ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखना

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री अनोपसिंह): महोदय, मैं २५ फरवरी, १९६३ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(श्री अनोपसिंह)

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

(क) वे विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:

राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक, १९६२

(ख) वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:

(१) राजस्थान विधि-निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२

(२) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

(३) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश !

(क) राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या २, १९६२)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६२) सदन की मेज पर रखता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ३, १९६२)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६२) को सदन की मेज पर रखता हूं और अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ के अधीन बने नियम

(सदन की मेज पर रखना)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ की धारा १० के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान होम गार्ड्स नियम, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

(क) राजस्थान नगर पालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६२

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (थर्ड अमेण्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १९६२ (ऑर्डिनेन्स नं० ४ ऑफ १९६२) को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन अध्यादेश, १९६२

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट (सैकण्ड अमेण्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, १९६२ (ऑर्डिनेन्स नं० ५ ऑफ १९६२) को सदन की मेज पर रखता हूं।

वे ऑर्डिनेन्स जारी करने के कारणों के स्टेटमेन्ट को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

(ग) राजस्थान मोटर स्पिरिट, विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स, १९६३ (आर्डिनेन्स नं० १ ऑफ १९६३) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय यह आर्डिनेन्स जारी करने के क्या रीज़न्स थे वे रीज़न्स आपने हाउस की टेबल पर ले (lay) नहीं किये।

श्री अध्यक्ष: रीज़न्स केवल उस समय देने की आवश्यकता पड़ती है जिस समय कि बिल पेश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह: इसका मतलब यह है कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने जो रीज़न्स रखे वे नियमों के अनुसार नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने केवल उस आर्डिनेन्स के बारे में रखा है जिसके ऊपर कि एक विधेयक सदन के सामने पेन्डिंग है। इसलिए रीज़न्स देने की इस समय आवश्यकता नहीं।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल, जयपुर) Point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी जो ये नोटिफिकेशन्स सदन की मेज पर रख रहे हैं ये नोटीफिकेशन्स २८ मार्च, १९६२ और २० मई, १९६२ के हैं। इसके बाद में एक सेशन हो चुका है और २८ मार्च का जो नोटीफिकेशन है उस समय सेशन चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, आपने भी कई बार इस बात की हिदायत दी है कि इस प्रकार के नोटीफिकेशन उसी समय प्रस्तुत किये जायें जिस समय कि ये शाया होते हैं। लेकिन बार बार ट्रेज़री बैन्चेज़ की तरफ आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया जाना, यह सदन की शोभा की बात नहीं है। इसलिए मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस विलम्ब का क्या कारण है, वह सदन के सामने रखें और अध्यक्ष महोदय से उनकी आज्ञा की अवहेलना के विषय में उनसे क्षमा याचना करें।

श्री मथुरादास माथुर: पहले मैं रख तो दूं, फिर बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें जिनके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फन्कशन्स) रेग्युलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ ३ (१७) नियुक्ति (ए) ।६१ दिनांक २८ मार्च, १९६२।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ १४ (८) नियुक्ति (ए)। ५६ दिनांक २० मई, १९६२ और सदन की मेज पर रूल्स को रखने में जो देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर व्हिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ के अन्तर्गत, होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (६) (२०) एच. बी. I/६२ दिनांक २० नवम्बर, १९६२ को, जिसके द्वारा

Page No.30

(श्री हरिश्चन्द्र)

राजस्थान मोटर रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ (डेवलपमेन्ट) नियम, १९६० के नियम ६ में संशोधन किये गये हैं।

(२) होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (१) (३) एच. बी I ।६१ दिनांक १६ फरवरी, १९६३ को जिसके द्वारा टैक्निकल को-ऑपरेशन मिशन ऑफ यू० एस० ए० (U.S.A.I.D.)की समस्त गाड़ियों को कर मुक्त किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (रेवेन्यू तथा इकोनोमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ५ (६) इ. एण्ड टी. ६२ दिनांक २० नवम्बर, १९६२ को जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

पुरः स्थापित विधेयक

(क) राजस्थान राज्य पशु मेला, विधेयक, १९६३

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट कैटल फेयर्स बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पब्लिक पार्क्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करता हूं।

(ग) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर व्हीकल्स (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करता हूं।

(१२.०८ म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव इत्यादि पर औचित्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा के बोलने के लिए लिए खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : (Point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बूंदी से आनेवाले माननीय सदस्य खड़े हुए हैं उसके सम्बन्ध में नियम २९४ के अन्तर्गत मैं आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति पहले मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर देता हूं और उसके बाद उस संबंध में दो-चार बातें कहूंगा। अगर अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दें इस मोशन के संबंध में मैं ३ प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप यदि कहें तो तीनों एक साथ रखदूं; जैसे पहले मैंने ७ बातें रखी थीं। यदि आप चाहें तो एक एक आपत्ति रखता जाऊं और उसका निर्णय होता जाये, उसके बाद दूसरी आपत्ति रखता जाऊं।

Page No.31

पं. रामप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उन ७ का क्या हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : यह भूतकाल की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें मेरी प्रथम आपत्ति तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद १७६ के खण्ड (१) के अन्तर्गत जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया उस अभिभाषण के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उस प्रकार के प्रस्तावों के संबंध में और संविधान के अनुच्छेद १७६ (२) में कोई प्रावधान नहीं है। यह अनुच्छेद यह कहता है :–

"176 (2) : Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address"

इसमें केवल प्रावधान डिस्कशन के बारे में है जो कि राज्यपाल महोदय अभिभाषण देंगे उस पर डिस्कशन हो सकता है, उस पर विचार होगा, विचार-विमर्श उस पर हो सकता है और साथ में यह भी लिखा है उसमें कि इसके संबंध में जो नियम विधान सभा में बनाये जायेंगे उन नियमों में यह व्यवस्था की जायेगी कि इसके लिये कोई प्रावधान रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी के अन्तर्गत हमारी राजस्थान विधान सभा के नियम बने हैं, जिसके चैप्टर ५ में नियम १४ बनाया है :—

"14. Allotment of time for discussion of the Address: The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, allot time for the discussion ....."

यहां तक तो ठीक हूं। इसके बाद जो खण्ड १५ बना है जिसके अन्तर्गत सदन के माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :

"Scope of Discussion: On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member."

अध्यक्ष महोदय, में निवेदन यह करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद १७६(२) जिसमें इस प्रकार के अभिभाषण पर वाद-विवाद का विचार रखा गया है उसमें कहीं भी इस प्रकार के धन्यवाद के प्रस्ताव या इस प्रकार के किसी भी मोशन की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद १७६ अपने आप में परिपूर्ण है और इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह आपत्ति करता हूं कि Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Business is ultra-vires of the Constitution in as much as under Article 176 (2), no Motion of Thanks is to be passed, but mere discussion is to be held with regard to the Address under article 176 (a) of the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम १५ में जो व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद १७६ (२) के विपरीत है। इसलिए इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अभिभाषण पर सदन में केवल वादविवाद हो सकता है और इस प्रकार का कोई धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

दूसरी आपत्ति अगर आप कहें तो और रख दूं।

दूसरी आपत्ति, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर अभी रखी गई है, आज इसी समय, कुछ समय पूर्व सदन की मेज पर वह प्रतिलिपि रखी गई है। मैं कह सकता हूं कि टैक्निकली कई माननीय सदस्य यह कहेंगे, this House came into possession of that particular document just now. और जो डाक्यूमेन्ट इस सदन के पजेशन में नहीं था उसके संबंध में, उस डॉक्यूमेन्ट के संबंध में कोई किसी प्रकार का मोशन, कोई रिज़ोल्यूशन, कोई एमेन्डमेन्ट जो उस समय से पूर्व सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, अगर यह माना जाय कि उन्होंने यह एडवान्स में दे दिया था या कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का वादविवाद करे कि इस प्रकार का जो मोशन दिया गया है इस मोशन की कॉपी सदन की मेज पर रखने की बात मान ली जाय तो उसकी आपत्ति यह होगी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नोटिस की व्यवस्था मोशन के लिए चैप्टर १३ में है, जिसमें ११६ और १२० के जो नियम बने हैं वे यह कहते हैं कि उनके बारे में नोटिस दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, नोटिस किस प्रकार से दिया जायगा, इसकी व्यवस्था २५४ में की गई है। उसमें लिखा है कि नोटिस एक निर्धारित समय में दिया जायगा। अगर निर्धारित समय में नोटिस नहीं आया तो नोटिस अगले दिन आया हुआ माना जायगा और उस दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि परसों सचिवालय में निर्धारित समय के अन्दर नोटिस नहीं दिया गया और जिस दिन नोटिस की प्रति उसके ऑफ़िस में प्राप्त हुई उसके अगले दिन से, अगली तारीख से यह नोटिस आया हुआ माना जा सकता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नोटिस नियमानुसार नहीं दिया गया, निर्धारित समय में नहीं दिया गया। इसलिये ऐसे डॉक्यूमेन्ट्स के संबंध में, ऐसी चीजों के संबंध में जो इस समय तक नियमित रूप से सदन के पजेशन में नहीं थे और जो अभी सदन की मेज पर रखने के बाद पजेशन में आये हैं, उनके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, इन दो आपत्तियों से ज्यादा गम्भीर एक तीसरी आपत्ति और है और वह आपत्ति यह है कि-संविधान के अनुच्छेद १७६ की ओर, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संविधान का अनुच्छेद १७६ (१) कहता है :

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

Page No.33

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद १७६ में है उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिना राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस प्रकार से प्रथम सत्र प्रारम्भ नहीं हो सकता। उसमें जो क्वालिफ़ाइंग वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वे नोट कर लें। वे ये हैं :--

"....inform the House of the causes of its summons"

हाउस क्यों बुलाया गया है, सदन के सदस्यों को क्यों बुलाया गया है, हमें आहूत क्यों किया गया है, क्या आवश्यकता थी इस बात की; यह कारण विधान सभा के सदस्यों को माननीय राज्यपाल महोदय ने नहीं बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार का एड्रेस है वह इनकम्प्लीट है। एड्रेस इनकम्प्लीट है, अध्यक्ष महोदय, तो निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इस पर किसी प्रकार का बिज़नेस ट्रान्ज़ेक्ट नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आवश्यक है कि यह बताया जाना चाहिये। मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में इस प्रकार की व्यवस्था है। आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के फ़िफ्टीन्थ एडीशन के पेज २७५ की ओर दिलाना चाहूंगा :--

"Opening of new Session: In every session but the first of a Parliament, as there is no election of a Speaker nor any general swearing of members, the session is opened by the king's speech without any preliminary proceedings in either House. Until the causes of summons are declared by the King either in person, or by commission, neither House can proceed with any public business."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके आधार पर और जो कॉन्स्टीट्युएन्ट असेम्बली की डिबेट हुई थी, जिसमें कि भारत का संविधान पारित किया गया था, और उस समय जो कॉन्स्टीट्युएन्ट असेम्बली में डिबेट हुई थी, उस डिबेट में, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आया था और उस समय हमारे संविधान के निर्माताओं में जो डॉ० अम्बेडकर थे उन्होंने इस संबंध में कुछ उल्लेख किया था और यह कहा था कि कॉज़ेज़ ऑफ़ समन्स जो कि मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में लिखे हैं उनके अन्तर्गत यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जो कारण हैं वे सदन और असेम्बली या लेजिस्लेचर को आहूत करने पर राज्यपाल महोदय द्वारा बताये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस संबंध में एक मामला उड़ीसा हाईकोर्ट में गया था। जिस समय हाईकोर्ट में यह प्रश्न खड़ा हुआ था उस समय हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये थे, जिसकी केवल ४-५ पंक्तियां सदन के सामने रखना चाहूंगा, उन्हीं का उल्लेख करना चाहूंगा :--

"After the Assembly is constituted, the Governor addresses the Assembly and explains the causes of its summons. The Governor comes into direct and immediate communication with the representatives of the people. He draws the attention of the House to important

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
public events, which require their attention, such as the circumstances which compelled the Executive, for instance, to seek for more grants etc."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आगे यह भी लिखा है:--

"The Assembly is then given an opportunity to discuss the Address and then proceed with the business. It is only at this stage that the Assembly can be said to meet in session."

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक कॉज़ेज़ ऑफ समन्स यहां हाउस में नहीं बताये जायं तब तक अनुच्छेद १७६ की जो पूर्ति की गई है यह नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अब एक प्रश्न वास्तविकता का है या उसको फैक्ट्स का प्रश्न कहें, वह यह है कि जो एड्रेस राज्यपाल महोदय ने किया है, मैंने उनके अभिभाषण को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा है, लेकिन उनके अभिभाषण में कहीं भी नहीं मिला कि हमें किसलिए बुलाया गया है । अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण को पढ़ने के बाद मैंने कोशिश की कि कहीं भी इस प्रकार का संकेत होकर अनुपूरक अनुदान की मांगें पास करने वाले हैं, बजट पास करनेवाले हैं या इतने लेजिस्लेशन पास करनेवाले हैं, उनका उल्लेख नहीं है। उनके अभिभाषण में कहीं कोई इस प्रकार का संकेत नहीं है । तो शायद हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल एकत्रित होकर उनके भाषण को सुनना है। प्रारम्भ में भाषण में जो सूचनाएं दी हैं वे सारी एक प्रकार की डेस्क्रिप्टिव चीजें हैं। कुछ बातें कही हैं । उन्होंने कहा कि अभिभाषण के लिये आये हैं। उनका अभिभाषण सुना। वे बड़ी योग्यता से कार्य करेंगे। उनकी काफ़ी दिलचस्पी राजस्थान में है। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी कि मेरी आशा है आपने भी शुरू से अन्त तक पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने इस नुक्ते नजर से नहीं पढ़ा हो तो फिर शुरू से अन्त तक पढ़ लें, उसमें कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलेगा, जैसा कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने रूलिंग में उल्लेख किया है।

सप्लीमैन्ट्री ग्रान्ट्स के बारे में, बजट के बारे में या लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में या जो बिल्स आनेवाले हैं उनके बारे में विचार करने के लिये यहां एकत्रित किया गया. . . .

एक माननीय सदस्य : कुक्कुट शाला खोलने के लिये . . . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में कहीं पर भी इस प्रकार का संकेत नहीं है कि आखिर इस विधान सभा में हमें करना क्या है। मैं माननीय सदस्य जो उत्तर देने की चेष्टा करें या जो प्रस्ताव रखना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, या विधि मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अभिभाषण को इस नुक्ते नजर से पढेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स के बारे में या बजट के बारे में या अन्यान्य बातों के बारे में संकेत इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। बाकी बातों के बारे में सदन के माननीय सदस्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे लेकिन मैंने लीगल आस्पेक्ट या कॉन्स्टीट्यूशनल आस्पेक्ट से इस अभिभाषण को देखा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समन्स देने का कारण क्या है जिससे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमें बुला कर यहां इकट्ठा किया है? हमें यहां बुलाया गया, उसका कारण क्या है? यदि उन बातों पर विचार करना है कि कितने उद्घाटन हुए हैं तो इसकी सूचना तो चिट्ठी से भी दी जा सकती थी। आखिर हमें करना क्या है, इस बात का कोई संकेत १७६ सदस्यों को राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया, जो कि दिया जाना आवश्यक था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १७६ (१) के अंतर्गत राज्यपाल अपने अभिभाषण में असेम्बली को समन करने के कॉज़ेज बताते। यदि अनुच्छेद १७६ (१) के अंतर्गत बुलाने का अभिप्राय था तो अनुच्छेद १७६ (२) के अंतर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नोटिस के अभाव में यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : आपको जो नोटिस दिया गया है वह क्या है?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : सदन की परम्परा पर भी अपने विचार बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आप क्या बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष : I would be benefitted by the observations of Government side.

(श्री मथुरादास माथुर, विधि मंत्री बोलने को खड़े हुए)

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के लिये था इसलिये आपको निर्णय देना है।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष अपने विचार तो रख सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस कानूनी मुद्दे पर ३ प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने हमारा ध्यान संविधान के अनुच्छेद १७६ (२) की तरफ खींचा है और उन्होंने कहा है कि इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद १७६ (२) के अंतर्गत जो रूल्स बनाने चाहिये वे इस सदन ने रूल्स नहीं बनाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे यहां पर सदन के रूल्स बने हैं उनके चैप्टर ५ में क्लॉज १५ जो उन्होंने स्वयं पढ़ा था, बहुत साफ है। उसमें कहा है:"On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाज़ार, जयपुर) : Ultra vires.

श्री मथुरादास माथुर : आपका यह कहना कि यह जो रूल १५ है वह अल्ट्रा-वायर्स है; मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अल्ट्रावायर्स नहीं है, बल्कि बिल्कुल वायर्स है। इसी तरह इसी अनुच्छेद में कहा गया है:

"Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the

(श्री मथुरादास माथर)

allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

अब इस भाग (२) के अंदर जो बातें कही गईं वे यह कही गईं कि रूल्स में इस बात का प्रावधान होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस की जा सके, इसलिये प्रावधान इसमें रखा गया। अब वह बहस किस तरह हो, उसके लिये इस विधान में नहीं कहा गया है, कोई बहस का तरीका नहीं सुझाया गया है या यह कहीं नहीं कहा है कि एक तरीका निकाला वह अल्ट्रावायर्स होगा, समय नियत किया जायगा। भाग (१) में कहा गया कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और यह भी कहा कि उस अभिभाषण पर समय रखा जायगा, उसमें इस पर चर्चा होगी। रूल १५ कहता है कि समय रखा जाय। समय रख दिया, उसमें बहस किस तरह हो, कोई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय या एड्रेस रखा जाय तो उस पर बहस चलाने के लिये कोई न कोई मोशन होना चाहिये और खास तौर पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करने के लिये रूल १५ में स्पष्ट है कि उसमें कहा गया है कि वह मोशन वोट ऑफ थैंन्क्स के जरिये होगा, एक सदस्य मोशन मूव करेंगे और दूसरे सपोर्ट करेंगे। इस तरह से जो काम हम करते आ रहे हैं वही आज कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद को हमने तोड़ा नहीं है, अनकॉन्स्टीट्यूशनल काम नहीं है, इसलिये यह कहना कि रूल १५ अल्ट्रावायर्स है दिमाग से किस तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता कि रूल १५ किस तरह से अल्ट्रावायर्स है, इसलिये बहस नहीं की जा सकती। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि रूल १५ अल्ट्रावायर्स नहीं है। उसमें जो प्रावधान है उसी के आधार पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर थैंक्स का प्रस्ताव रखने का अधिकार है, इसलिये जो प्रस्ताव रखा है वह ठीक ही रखा है।

जहां तक सवाल है कि समन्स में बुलाने का कारण होना चाहिये, मेरा ख्याल है कि समन्स का नोटिस साफ है उसको आप पढ़ लें।

तीसरी बात में आपसे निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सदन का क्या एजेन्डा दें या डिटेल्स दें; इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्ज़ आपके सामने रखी उसको शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये, राज्य सरकार ने जो काम किये हैं वे आपके सामने रखे हैं। इसमें आपको यह कहा है:

"I now wish you every success in your deliberations in the current session of the Assembly".

यदि राज्यपाल महोदय के दिमाग में यह होता कि पास्ट थिंग्ज़ ऑफ दी गवर्नमेन्ट आपके सामने रख कर चले जाते और आप लोगों को डेलीबरेशन्स के लिये आहूत नहीं करते तो समझ में आ सकता था। प्रोग्राम और एजेण्डा देने का न तो मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में जिक्र है और न जो रूलिंग्ज़ उन्होंने पढे उसमें जिक्र है और न हमारे इस सदन के कन्वेन्शन्स हैं उसमें इस

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह की चीज को फोलो नहीं किया है कि राज्यपाल यह कहें कि बजट पर बहस करेंगे या डिमाण्ड्स पर बहस होगी, इतने बिल्स सदन में आते हैं। वे हमको आहूत करते हैं डेलीबरेशन्स के लिये। कभी भी भाषण में आहूत नहीं किया है। लेकिन उन्होंने डेलीबरेशन्स में कामयाबी की इच्छा व्यक्त की है। इसका जो पैरा ३५ है उसमें कहा है : "I now wish you every success in your deliberations in the current session of Assembly." This is itself a summons and blessings for success. इससे बहुत साफ हो जाता है और जो कन्वेन्शन और परम्परा सदन की है उसको सामने रखते हुए और जो लोक सभा की कन्वेन्शन्स हैं उसमें डिटेल्स नहीं दिये जाते हैं।

जहां तक सवाल यह है कि यदि सदन की मेज पर रख दिया, यह टैक्निकल ऑब्जेक्शन है, यह उन्होंने महसूस किया। सदन में राज्यपाल महोदय ने एड्रेस दिया था उसके बाद ही फॉर्मल मोशन दे दिया था और यही तरीका होता है। लेकिन यदि आज भी कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव रखना चाहें तो रख सकते हैं, अध्यक्ष महोदय को अधिकार है समय को वेव करे, न करे।

मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इनके तीनों ऐतराज गैरवाजिब हैं इसलिये इन्हें नामंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू करने के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मुख्य रूप से उनकी आपत्तियें तीन हैं और उन्होंने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तर्क दिये हैं अपनी आपत्तियों के साथ। मुख्यरूप से ये तीन आपत्तियां हैं : प्रथम तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद १७६ (१), जिसके अन्तर्गत राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं, में धन्यवाद के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिये धन्यवाद के प्रस्ताव को लाना विधान के अनुकूल नहीं है और इसलिये नहीं लाया जा सकता। १७६ (२) में लिखा है :

"Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

और इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए हमारी इस विधान सभा के जो नियम हैं, उसमें नियम १५ बनाया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि किस तरह से प्रस्ताव होगा। वह मैं आपके सामने रखता हूं :--

"Scope of discussions—On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member."

इसलिये माननीय सदस्य का यह कहना कि संविधान और हमारे नियमों में इस तरह का प्रावधान नहीं है, सही नहीं है। इसके विपरीत माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जो नियम १५ है वह भी हमारे संविधान के विरुद्ध है और अल्ट्रावायर्स होने के नाते अमान्य है। उसके लिए मेरा यह मत है कि १७६ के (१), (२) भाग को देखें, या संविधान के किसी भी अनुच्छेद को देखें, तो उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि इस तरह के नियम सदन नहीं बना सकत

(श्री अध्यक्ष)

इसके विपरीत १७६ (२) में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि इस तरह के नियम बनाये जायेंगे और जिनके द्वारा सदन यह निर्धारित करेगा कि किस तरह से इस अभिभाषण पर बहस हो। इसलिये जो रूल १५ है वह अल्ट्रावायर्स है और संविधान का किसी तरह से उल्लंघन नहीं करता है। इसलिये पहली आपत्ति माननीय सदस्य ने जो रखी वह अमान्य है।

दूसरी आपत्ति माननीय सदस्य ने रखी है वह यह है कि जो भाषण की प्रतिलिपि है वह आज ही सदन के समक्ष रखी गई है और इसलिये जो मोशन आया है वह आज नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मोशन के संबंध में जो हमारे रूल्स हैं, उनमें प्रावधान है, उसके अन्तर्गत एक निश्चित समय का नोटिस होना चाहिए। उसके लिए मैं यह व्यवस्था देता हूं कि मोशन ऑफ़ थैंक्स एक सामान्य मोशन नहीं माना जा सकता; पहले तो इसलिए कि उसका एक विशेष स्थान है और उसके विषय में हमारे संविधान और रूल्स में उल्लेख किया गया है और दूसरी बात यह है कि यह मोशन ऑफ़ थैंक्स का विशेष तौर से उल्लेख हमारे नियमों में किया है, और नियम १५ में विशेष तौर से प्रावधान है। इसलिये यह मानना कि मोशन ऑफ़ थैंक्स पर भी यह नियम लागू हो, जो सामान्य मोशनों पर होता है यह न्यायोचित नहीं है और इस तर्क के साथ मैं माननीय सदस्य की दूसरी आपत्ति भी अस्वीकार करता हूं।

तीसरी आपत्ति जो माननीय सदस्य ने रखी, वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद १७६ में, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल महोदय अभिभाषण देते हैं, उसमें यह लिखा है कि "inform the Legislature of the causes of its summons." और माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है, उसमें उन्होंने यह नहीं बताया है कि कॉजेज ऑफ़ समन्स क्या हैं। अगर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष तौर से संविधान के अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए वह बनाया गया है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ सका हूं और जहां तक मेरी मान्यता है, 'inform the Legislature of the causes of its summons.' का मतलब केवल यह है कि जो भी सार्वजनिक महत्व की घटनाएं हमारे राज्य में हुई हैं और जिनकी जानकारी देना राज्यपाल महोदय उचित समझते हैं, माननीय सदस्यों को इस बारे में सूचित किया जाय, इसका उल्लेख अभिभाषण में है और उसके बाद हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा कि अब सदन इस पर विचार-विमर्श करे, जो उन्होंने कहा है। यह आपत्ति भी, जो माननीय सदस्य ने रखी है, इसलिये स्वीकार नहीं की जा सकती।

इसके बाद आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो भी प्रोसीजर अपनाया गया है इस साल वह जो हमारी परम्परागत कार्यपद्धति है उसके अनुरूप है। इसलिये कोई भी त्रुटि हुई है, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। इसलिये इन कारणों से जो आपत्तियां माननीय सदस्य ने रखी हैं मैं उनको निराधार ठहराता हूं और जो मोशन अब प्रस्तुत किया जायगा उसके प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के

Page No.39

(श्री मुरलीधर व्यास)

सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में अभिभाषण की प्रति रखने का जो समय है वह समय कब हो, यह आपके कहने के बाद कुछ अटपटा लगता है लेकिन जैसा उसमें कहा गया है कि यह आज की तारीख में रखा जा रहा है, वह न होकर गवर्नर महोदय के अभिभाषण के तुरन्त बाद ही रख दिया जाय, तो समय मिल सकता है और बात भी कुछ ठीक मालूम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह इसलिये नहीं हो सकता कि जो माननीय सदस्य इकट्ठे हुए थे, वह सही मायने में और हमारे संविधान और नियमों के अन्तर्गत सदन की मीटिंग नहीं कही जा सकती । इसलिये उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकत । उसके बाद सदन जब मिलता है तो प्रथम काम यह होता है कि उसको प्रस्तुत करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सेशन उसी वक्त कमेन्स हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : खैर, इस बारे में बहस नहीं हो, इस बारे में फिर विचार किया जा सकता है। उस समय सैशन कमेन्स हो भी तो रेगुलरली कॉस्टीट्यूटेड सिटिंग ऑफ दी हाउस नहीं कही जा सकती। उस समय प्रस्तुत किया जाय तो कुछ त्रुटि रह सकती है।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा

राजयपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सत्र में हम सब के बीच पधार कर जो अभिभाषण दिया है इसके बारे में एक धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मैं सदन के सम्मुख खड़ा हुआ हूं।

[प्रस्ताव इस प्रकार है! "इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"]

राज्यपाल महोदय को धन्यवाद इसलिये दिया जाय कि उन्होंने अपने भाषण में अपनी नीति को, राष्ट्र की नीति को स्पष्ट शब्दों में लिखा है और बताया है कि किस तरह से हम अपने देश में शांति चाहते हैं, किस तरह से हम अपने देश में दलबन्दी की नीति में नहीं फंस कर अपने देश की तरक्की चाहते हैं, किस तरह से हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, हमारा देश आज एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है, जब कि इस देश के बच्चे बच्चे की निगाहें अपनी आजादी के ऊपर लगी हुई है। आज हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वह इस देश के बारे में सोचता है, इसकी तरक्की के बारे में सोचता है, इसके इन्ट्रेस्ट के बारे में सोचता है। हमने इन गये पन्द्रह सालों में आजादी हासिल करने के बाद जो तरक्की की है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, वह सराहनीय है। हमने अपने देश को मजबूत बनाया है, हमने अपने देश को आर्थिक उन्नति प्रदान की है और हम आगे बढ़े हैं और बढ़ते हुए चले जाते हैं। हमारी इस आर्थिक प्रगति से जहां हमारे यहां के कुछ लोग नाराज हुए हैं वहां बाहर के बहुत से राष्ट्र ऐसे जरूर हैं जो इस बात को अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर भारत देश उन्नति कर गया, अगर तरक्की हुई इसमें

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अगर यहां गरीबी मिट गई, अगर यह समृद्ध देश हो गया तो हमारी पूछ नहीं हो सकती और हमारी गिनती नीचे आनेवाले राष्ट्रों में की जाने लगेगी और इस तरह से आज हमारे पड़ौसी देश चीन ने इस देश के ऊपर हमला किया, धोखा किया हमारे देश के साथ। हमको यह पता नहीं था कि जो चीन पंचशील के सिद्धान्तों को मानते हुए, 'भाई, भाई' का नारा लगाते हुए इतनी जल्दी धोखा दे जाय, वह देश हम पर एकदम आक्रमण करेगा, जब कि हम सतर्क नहीं थे। इससे हमें जरूर ठेस पहुंची है। लेकिन जहां एक पड़ोसी देश ने धोखा देकर हमारे देश पर हमला किया वहां हमारे देशवासियों ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और सबसे पहले मैं उन सिपाहियों को, जवानों को जिन्होंने चीन के युद्ध में प्राणों की आहुति दी, उनको सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और इसलिये राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तव में उनका स्वागत करते हुए उनको श्रद्धान्जलि अर्पित की है।

एक तरफ चीन ने हमारे देश पर हमला किया और दूसरी तरफ हमारे देश के बच्चे-बच्चे ने अपनी तत्परता जाहिर की, लेकिन कुछ लोगों ने 'इफ्स और बट्स' की भावना दिखाई। उन्होंने यह कहा कि अगर यह बात है तो यह नीति अच्छी है और यह अगर यह बात नहीं है तो यह नीति खराब है, यह कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब एक दुश्मन बड़ी तैयारी के साथ हम पर हमला करता है तो मुमकिन है कि रिवर्सेज़ हुए हों और उनकी वजह से यह कहना कि हमारी तैयारी नहीं थी या यह कहना कि हम कमजोर हैं या यह कहना कि हम अपने बचाव के लिये दूसरे देशों से मदद लेना चाहते हैं या उनके गुट में शामिल हो जाय या होना चाहते है, या यह कहना कि हमारे देश का नेतृत्व ठीक नहीं है उसको बदल देना चाहिये, यह कहां तक ठीक हो सकता है? आज हम समाजवाद की ओर शांति की नीति को अपनाये हुए हैं और इससे हमारे देश का विकास हुआ और किसी गुटबन्दी में शामिल होने से या लड़ाई में अग्रसर होने के कारण हमारे देश का नुकसान हो सकता है।

हमारे देशवासियों को सोचना होगा कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने बहुत तरक्की की है और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे भी तरक्की करेंगे। इसलिये यह कहना कि हमारे नेता गलत थे इसलिये हमें उनको बदल देना चाहिए, यह उचित नहीं होगा।

आज हमारी नीति तटस्थ रहने की नीति है और आज जो देश हमारी मदद पर हैं वे हमारी तटस्थ नीति के कारण हैं। आज रूस मदद में नहीं जा रहा है, वह इसीलिये है कि हम तटस्य है, हम किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज हम गुटबन्दी के बाहर है और इसीलिए आज भिलाई, राउरकिला और दुर्गापुर जीते जागते उदाहरण हैं। ये गुटबन्दी से अलग रहने की वजह से है। हम जो गुटबन्दी में फंसते हैं तो हम उन लोगों के हाथों में चले जावेंगे जो हमारे यहां पूंजीवाद फैलाना चाहते है, जो हमारे यहां गरीबी को निकलने नहीं देना चाहते। यदि हम किसी गुट में चले जावेंगे तो दूसरा गुट उनको मदद देगा और हम कोल्ड वार में फंस जावेंगे। अगर हिन्दुस्तान एक गुटबाजी में फंसता है तो दुनियां के दूसरे गुट जो एक दूसरे से अलग हैं हिन्दुस्तान को

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लड़ाई का अखाड़ा बना कर लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसलिये जिस नीति का हिन्दुस्तान ने अनुसरण किया है, जिस नीति पर हम चलते हैं वह नीति हमारे लिये बहुत ही उपयुक्त है और राज्यपाल महोदय ने बताया कि इसी से शांति और हमारे देश की तरक्की होगी और हमारे देश का कल्याण होगा।

आज कुछ लोग चाहते हैं कि हम सारी ताकत को किसी गुटबन्दी में शामिल होकर लगा दें, सारे प्लान्स में कटौती कर दी जावे। उन प्लान्स को इतना प्रून कर दिया जाय जिससे जितनी तरक्की हम करना चाहें नहीं हो सके। अगर इस प्रकार की भावना रहती है तो हम उस नीति का अनुसरण करना चाहते हैं जो चीन कराना चाहता है। चीन भी तो आखिर यही चाहता है कि हिन्दुस्तान के लोग बेकार और मजबूर हों और वे उन्नति न कर सकें। हम अगर अपने यहां पैदावार को बढ़ाने से रुक जाते हैं तो हम फिर एक दूसरे माने में उसी नीति पर आ जावेंगे जिस पर चीन लाना चाहता है। लड़ाई पर आने की वजह से लाना चाहता है। इसलिये हमारी जो तटस्थ नीति है वह बहुत श्रेष्ठ है। इसी से हमको दूसरे देशों में गौरव प्राप्त है और अगर हम इस नीति का पालन नहीं करते हैं तो हम इतना गौरव दूसरे देशों में प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो उसका मुकाबला नहीं करें या किसी प्रकार की तैयारी न करें। हम पूरे जोर के साथ उसका मुकाबला करेंगे, हम अपने देश की रक्षा के लिये सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। हम अपने यहां डिफेन्स की चीजों को बनाने के प्रयत्नों को जारी रखेंगे, जैसा कि अब जारी है और पहले भी जारी था। लेकिन हमला हो जाने की वजह से यह कहना कि तैयारी पूरी नहीं थी, उचित नहीं है। अगर तैयारी नहीं थी तो फिर कारखानों में माल एक दम बनने कैसे लग गया? कारखाने चालू थे। यह इस बात का सुबूत है कि हम लापरवाह नहीं थे। हमारे यहां कल-कारखाने खुले थे। लेकिन कुछ लोग जिनका स्वार्थ टकराता है, जिनको फायदा नहीं मिलता, जो लोग यह चाहते हैं कि फैक्ट्रीज़ हमारे रहे और औजार पैदा हों वे चाहते हैं कि आर्डनेन्स फैक्ट्रीज़ उनके अन्दर न रहें। उन्होंने विरोध में आवाज उठाई, उन्होंने सही रास्ता दिखानेवालों के खिलाफ, उनको लोगों की निगाहों से गिराने के लिये कोशिश की है और कुछ लोग बहक भी गये हैं। हो सकता है कि कुछ गलती भी की हो लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये। हमको अपने देश का उत्पादन बढ़ाना चाहिये और यह हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है। किसी भी देश की फौज अगर भूखी या नंगी हो तो वह लड़ नहीं सकेगी। इसलिये जहां हम अपने डिफेन्स एक्ट का निर्माण करना चाहते हैं वहां घर में पैदावार को बढ़ाने, शांति और सुविधा और देश की समृद्धि का भी ख्याल रखना होगा। इसलिये राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम अपने डेवलपमेन्ट, इकोनोमिक डेवलपमेन्ट में किसी तरह से कमी नहीं आने देना चाहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है और इस नीति का अनुसरण करना है और हम इस नीति को नहीं बदलेंगे।

आज देश को डिफेन्स के लिये जितनी हथियारों की आवश्यकता है उतनी ही पैदा-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

वार बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसलिये हमें दोनों का समन्वय करके चलना होगा। अभी थोडे ही दिनों की बात है ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, आपने और हमने देखा कि हमारे देश में जितने विभिन्न राजनैतिक दल थे उन्होंने कहा कि गुट्ट में शामिल हो जाना चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को उस नीति से अलग रखना चाहिये। किसी भी गुट्ट में शामिल होकर देश का भला नहीं कर सकते हैं। देश का भला इसी में है कि हम किसी भी गुट बन्दी में न रहें, गुट्ट परस्ती से दूर रहने में विश्वास करें।

इसके साथ साथ जब हम प्लान की बात करते हैं और डिफेन्स के खर्चे की बात करते हैं तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने साधनों का उपयोग पूरी तरह से करना पड़ेगा। जब हम एक तरफ़ अपना प्लान, इकोनोमिक डेवलपमेन्ट भी चाहते हैं, डिफेन्स को मज़बूत भी करना चाहते हैं, शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ़ हमें अपने साधनों को भी पर्याप्त करना चाहिये और इसके लिये हममें अपने आपमें बलिदान करने की शक्ति होनी चाहिये। हमने-आपने देखा है कि देश पर यह आपत्ति आई तो किस तरह देश के हर नौजवान ने अपने आपको इसके लिये तैयार किया और गांव गांव में इसके लिये आवाज उठी, लोगों में जो कुछ उनसे हो सकता था वह देश-रक्षा के लिये दिया, पर हमने उन लोगों को देखा जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों से जाकर कहते हैं कि मैं सिर लेने आया हूं पर उन्होंने खुद ने कितना दिया है, कितना सोना उनके पास रखा है पर दिया कितना है। दूसरों को कहना जानते हैं; अपने आप कुछ करना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। लाखों सेर सोना उन लोगों के पास जमा हुआ पड़ा है; पुराना न मालूम कहां का कहां से आया हुआ पड़ा है, वह सारा सोना निकाला जाय तो आज ही राष्ट्र रक्षा के काम में बड़ी भारी मदद मिल सकती है।

तो गोल्ड कन्ट्रोल में जो कमी बरती जाती है उसके मैं खिलाफ़ हूं। हमें गोल्ड का कन्ट्रोल करना है तो पूरा करना पड़ेगा। आपने सोने का डिक्लेरेशन लिया पर ज़रूरत इस बात की है कि जो सोना बड़े बड़े महलों में, हवेलियों में गड़ा हुआ पड़ा है, छिपा हुआ पड़ा है, उसको निकलवा कर देश की रक्षा के लिये काम में लें। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि अब आज आप और हम रुपयों की ज़रूरत समझते हैं तो उनसे हम अनुनय करें, विनय करें, कहें कि उनको जो रुपया सालाना मिलता है उसमें वे कमी कर दें; दो लाख ५० हज़ार रुपया कम लेने से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनसे कहें कि क्यों नहीं आप बोन्ड्स प्रिवी-पर्स के लेते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके जरिये हम बड़े बड़े साधन जुटा सकेंगे। इस सदन के मार्फ़त मैं नरेशों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे प्रिवी पर्स बोन्ड्स में लेना शुरू कर दें, वे जितना कम रुपया लेंगे उतना ही देश को फ़ायदा है।

आपने-हमने इस बात को देखा है कि हमें किस तरह गांवों से उत्साहप्रद मदद मिली है। हो सकता है कि कहीं कुछ मजबूरी हो, कहीं कुछ लोगों ने दबाव डाला हो, कहीं कुछ घटनाएं सामने आई हैं, कहीं सरकारी अधिकारियों के दबाव से मिला है पर यह जो कुछ देश के लिये आया है और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
थोड़ा दबाव लोगों को नहीं डाला जाय तो पैसा बड़ी मुश्किल से निकलता है, दबाव से भी लेना है और दबाव नहीं हो तो भी लेना है।

श्री रामकिशन (वैर) : कानून बनाओ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने हमने देखा है कि मजदूरों ने किस तरह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया है, किस तरह महीने में एक दिन की तनख्वाह दी है। जहां तक सरकारी उद्योगों का ताल्लुक है वहां के मजदूरों ने भी दिया है पर मेरी जानकारी में आया है कि मजदूरों ने तो बड़े उत्साह से दिया पर वहां के अफसरों ने मुंह बिचका कर दिया है, उतने उत्साह से नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): सेठों ने ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस पर भी आता हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं अफसरान हैं, जिनको जनता के सामने जाना पड़ता है, उनसे निवेदन करूंगा कि एक हजार रुपया नकद में लेकर बाकी तनख्वाह बोन्ड्स में लें ताकि वह पैसा देश के काम में आ सके। जो दूसरों को नसीहत देने जाते हैं उनको खुद को पहल करनी चाहिये, ऐसा एक आदर्श हमारे सरकारी अधिकारी पेश करेंगे। एक गरीब आदमी, जो कुछ उसके पास था वह देश-रक्षा के लिये देने आया, पर बड़े बड़े तबके जिनके पास पैसे हैं उन्होंने किस तरह हाथ पीछे खींचा; आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि किस तरह एक करोड़पति-लखपति ने मुश्किल से दो चार हजार रुपया दिया होगा, उसके विपरीत गरीबों, मजदूरों ने काफी दिया है। जो रुपये का लोभ, सोने के प्रति मोह हमारे देश में है वह कम होता जाय, सोने की वकत देश में है वह कम हो जाय, आज दुनिया के किसी भी देश में सोने के इतने जेवर नहीं पहने जाते जितने कि हमारे यहां पर पहिने जाते हैं, किसी मुल्क में इतना सोना इकट्ठा नहीं किया जाता। पर हमारे यहां चोर-बाजारी से, रिश्वतखोरी से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह सोने में खर्च किया जाता है। सोने के भावों को यदि आप कन्ट्रोल कर पायेंगे तो देश में वह दिन आयेगा जब कि चोर-बाजारी और रिश्वत को बन्द कर पायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक सोने के कन्ट्रोल का प्रश्न है उसको तेजी और मजबूती के साथ सख्त बनायें जिससे देश को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

दूसरी बात जो, माननीय अध्यक्ष, देखने में आई वह यह है कि आज इस एमर्जेन्सी के मौके पर प्रतिगामी शक्तियां, दकियानूसी तरीकों से लोगों को बौखलाना चाहती हैं, किस तरह गुमराह करना चाहती हैं, किस तरह लड़ाई के नाम पर हमारे देश को प्रतिगामी बनाना चाहती है। हम महसूस करें कि यदि हम इस तरह समाजवाद की तरफ आगे नहीं बढे, प्रतिक्रियावाद की तरफ चले गये तो देश को खतरा है, देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती, मासेज़ की तरक्की नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आपसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसी ताकतों को जो हमारे अन्दर घुसी पड़ी हैं, हमारी सर्विसेज़ में घुसी पड़ी हैं, जो हमारे बच्चों को गुमराह करती हैं उनसे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
दूर रहें और उनके खिलाफ ऐसा सख्त कदम उठायें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक विचार-धारा का इजहार करता हुआ पाया जाय तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : किसी भी प्रकार का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उस 'प्रकार' को आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री रामकिशन : 'प्रकार' तो बता दीजिये; दो 'प्रकार' की राजनैतिक विचारधारा होती हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों 'प्रकार' साथ साथ बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि किस किस 'प्रकार' की विचारधारा का कहां कहां से प्रचार होता है।

एक माननीय सदस्य: कहने की नहीं महसूस करने की.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा: महसूस करने की जरूरत है, कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कहने की हिम्मत नहीं है।

(१.० म. प.)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज हमें अपने देश में जातिवाद को दूर करना है, हमें अपने देश में जो पुरानी विचार-धारा है, जो दकियानूसी विचार-धारा है उसको खत्म करना है, और जाति के नाम पर जो पुरानी और दकियानूसी विचार धारायें चलती हैं उनको खत्म करना है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा हो। राष्ट्र के हित की बात ही कही जाय और राष्ट्र के कार्य आने वाली शक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिये और बाकी दूसरी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री रामकिशन: कुछ साफ कहिये, ये वेदान्त ही न बन जायं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सब शक्तियों को खत्म कर दीजिये, फिर सब अच्छा हो जायगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यही आपका जनतन्त्र उत्तम प्रकार का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जनतन्त्र में वे शक्तियां जो जनतन्त्र को मजबूत बनाने के बजाय उखाड़ने की फिक्र में रहती हैं, जो जनतन्त्र को खत्म करने की फिक्र में रहती हैं चाहे किसी जरिये से हो, चाहे अपने सामर्थ्य से हो, चाहे एकतन्त्र के जरिये से हो, चाहे दकियानूसी जरिये से हो जिनकी आवश्यकता आज राष्ट्र को नहीं है वे उनका जनतन्त्र को खत्म करने का प्रयत्न रहेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनतन्त्र को सबल बनाने के लिये ही तो विरोधी शक्तियां हैं और जनतन्त्र को नाश करने के लिये, खत्म करने के लिये तो शासनारूढ़ दल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तो आप (श्री बृजसुन्दर) यह तो उनको कहिये, जो जनतन्त्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो आपकी प्रवृत्ति है।

Page No.45

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका सबसे बढ़िया है जनतन्त्र ।

एक माननीय सदस्य: आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आप अपनी टर्न आवे तब कह लेना। मुझे इस समय बोल लेने दीजिये।

यदि यह भावना है कि जो कुछ करना चाहते हैं जनतन्त्र को कायम रखने की कोशिश से ही करना चाहते हैं, जनतन्त्र को उन्नत करना चाहते हैं: यदि यह भावना है कि देश में पूंजीवाद न बढ़े, यदि यह भावना है कि देश में साम्राज्यवादी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति न बढ़े और जातिवाद और सम्प्रदायवाद न बढ़े तो यह अच्छी बात है। लेकिन यदि व्यक्तिवाद की ओर जाना चाहते हैं कि व्यक्ति खुश रहे और समाज और राष्ट्र किधर ही जाय तो, मैं समझता हूं, यह अच्छी भावना नहीं है और हमें उसको छोड़ना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो हमारा प्लान बना है, जिस प्लान के आज हम दौरान में हैं, जिस गति से रुपया खर्च किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वह खर्च होगा हालांकि आज ही एक सवाल का जवाब देते हुए मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि प्लान में कटौती हो गई है, मैं समझता हूं प्लान में कटौती करने की आवश्यकता नहीं है और जो प्लान बनाया है उसको पूरा करने के लिए साधन जुटाने हैं; चाहे टैक्स लगा करके भी साधन जुटाने हों या अपने साधनों से, वे जुटाने चाहियें। आज विकास के नाम पर या प्लान्ड डेवलपमेन्ट के नाम पर हम जोर देते हैं कि हमें बन्धे पूरे करवाने हैं, सिंचाई योजनाओं को पूरा करवाना है, बिल्डिंग्ज को पूरा करवाना है और साथ ही साथ डिफेन्स के लिये भी खर्च करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि यह रुपया कहां से आवेगा ? टैक्स लगाने से। और पता नहीं हमारे भाई लोग क्यों घबराते हैं......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): गरीब लोग घबराते हैं, माननीय सदस्य नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैं उसी पर आ रहा हूं। टैक्स लगने चाहियें और जरूर लगाने चाहियें लेकिन टैक्स उन लोगों पर लगाने चाहियें जिनकी उनको देने की सामर्थ्य है। डाइरेक्ट टैक्स लगाने चाहियें, इन्डाइरेक्ट की आवश्यकता नहीं है, काफी लग चुके हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): वकीलों पर भी लगने चाहियें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इनकम टैक्स देते हैं।

सिद्धान्ततः यह निश्चय कर लेना चाहिये कि हमारा इन्डाइरेक्ट टैक्स में विश्वास नहीं रहेगा और डाइरेक्ट टैक्स में ही रहेगा। जिनकी टैक्स देने की सामर्थ्य है उनको टैक्स देना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि आगे के लिये जो टैक्स लगाये गये होंगे तो इस नीति को ध्यान में अवश्य रखा गया होगा, जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण से भी आभास होता है। जहां तक विकास का सवाल है कोई व्यक्ति टैक्स देने से घबरायेगा नहीं।

Page No.46

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात नहीं मिली है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री रामकिशन : आप संशोधन रख रहे हैं उसमें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस राजस्थान की पूर्व वृत्त की जनता की मांग है कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में रखने की ..

एक माननीय सदस्य : सारे भाषण का निचोड़ इसमें है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह कमाने का जरिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गत सत्र में यह आश्वासन मिला था कि सद्भावना का वातावरण बनाने की कोशिश की जाय। सद्भावना का वातावरण बनाने की कोशिश भी की गई। बहुत से माननीय सदस्यों से बातचीत की और उम्मीद यह थी कि सद्भावना के वातावरण को देखते हुए राज्यपाल महोदय अपने भाषण में ज़रूर इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई ज़िक्र न पाकर चित्त को खेद अवश्य हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस उचित मांग को ठुकराया नहीं जायगा।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जहां तक न्याय-प्रशासन का ताल्लुक है हर एक आदमी यह कहते हुए दिखाई देता है कि राजस्थान में न्याय बिकता है और उसका कारण यह है कि गत सत्र में कोर्ट फीस में परिवर्तन किया गया है। कोर्ट फीस अनलिमिटेड कर दी गई है। ५ परसेन्ट वैल्यूएशन पर दावे होते हैं जिससे आम तौर पर दावे स्टेट के खिलाफ़ होते हैं और बड़े बड़े स्टेट के खिलाफ़ सूट दायर होते हैं और आम लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि चूंकि राज्य सरकार के ख़िलाफ ज्यादा सूट दायर होते हैं, बड़े बड़े सूट राज्य के ख़िलाफ़ होते हैं इसलिये कोर्ट फ़ीस में परिवर्तन किया गया है। मैं समझता हूं कि इसको हटाने की व्यवस्था की जायगी।

आज के एमर्जेन्सी पीरियड में जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में होम गार्ड की ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग, टैक्निकल ट्रेनिंग, राइफ़ल ट्रेनिंग, विलेज वॉलन्टियरकोर; इन सब बातों का समावेश किया है उसके लिये भी राज्यपाल महोदय धन्यवाद दिये जाने के पात्र हैं। जब तक देश में सैकन्ड लाइन ऑफ़ डिफ़ेन्स तैयार न हो तो हमारा डिफ़ेन्स अधूरा ही रहता है। अगर सैकन्ड लाइन ऑफ़ डिफ़ेन्स पैदा करना है तो राष्ट्र के युवकों में भावना पैदा करनी होगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसलिये सारे कॉलेजों में मिलिट्री ट्रेनिंग कम्पल्सरी कर देनी चाहिये और हरएक छात्र के लिये यह आवश्यक हो कि वह मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त करे।

राज्यपाल महोदय के भाषण में कई प्रकार की बातें हमें मिली हैं। हमें यह भी मिला है कि हमारे यहां के सिंचाई के जितने स्रोत हैं उनको काम में लिया जा रहा है, सिंचाई की योजना में जो काम रखे गये हैं उनको पूरा किया जायगा। साथ ही साथ एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि चम्बल बांध से जो नहरें निकलती हैं उनमें बहुत ज्यादा तादाद

Page No.47

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में वाटर सीपेज के कारण से कई एकड़ भूमि बर्बाद हो चुकी है; उसको नहीं रोका गया तो हज़ारों एकड़ भूमि ऊसर बन जायेगी। उसके लिये व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां जहां वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, वाटर लीकेज है उस पर सीमेन्ट लाईनिंग होना चाहिये और सीपेज को जल्दी से जल्दी बन्द किया जाना चाहिये ताकि हजारों एकड भूमि ऊसर होने से बच सके।

अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना है कि हमारे यहां के काफी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है और इस बात की विशेष खुशी है कि झालावाड जिले के छोटे से छोटे गांवों को भी बिजली पहुंचा दी गई है।

एक माननीय सदस्य: यह तो प्रगति ही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: और मैं आशा करता हूं कि.........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इसी प्रकार से एकता की भावना का प्रदर्शन हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया: अपनी मुंह से ही बन्दर बांट हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: पहले अपने जगह से ही चला जाता है। मेरा यह निवेदन है कि हरेक जिले का ध्यान रखा जावे और वहां जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाई जाय। जहां से भी ट्रान्समिशन लाइन या ट्रान्सफॉर्मर लगा कर बिजली सप्लाई की जा सकती है वहां पर जल्दी से जल्दी दी जायगी, यह मैं आशा करता हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान के इन्डस्ट्रियल विकास की ओर भी जिक्र किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहां पर बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ लग चुकी हैं और बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ को लाइसेन्स दिया जा चुका है या लग चुकी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये बहुत गुंजाइश है। जल्दी से जल्दी उसका विकास होना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह विकास जहां प्लानिंग हो चुका है कि अमुक अमुक जगह पर अमुक इन्डस्ट्रीज़ कायम होंगी उन सबका ध्यान रखा जाना चाहिये। जहां पहले दस-बारह स्पिनिंग मिल्स खोलने का विचार था वहां स्पिनिंग मिल्स खुल नहीं पायी हैं, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन जरूरत आज इस बात की है कि इन्डस्ट्रीज़ के विकास के लिये एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स की आवश्यकता है। अगर हम इस आवश्यकता को महसूस नहीं करते आज, तो आने वाले पांच सालों में हमें इस आवश्यकता को महसूस करना होगा; क्योंकि इन्डस्ट्रीज़ का लेबर जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता तब तक वह दिल से काम नहीं करते। आज होता यह है कि एक खेत में काम करने वाला मजदूर कारखाने में जाकर काम करता है उसके साथ कारखानेदार ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करता,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उसके रहन सहन और आसायश का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं रखता। उसका नतीजा यह होता है कि चार-छः महीने वह काम करके चला जाता है, उसको उसमें कोई एट्रेक्शन नहीं रहता कि वह कारखाने में जाकर काम करे। राजस्थान के इन्ड-स्ट्रियल डेवलपमेन्ट के साथ साथ इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि मजदूरों को अच्छा वेतन मिले, उनके रहन-सहन, आसायश का ख्याल रखा जाय ताकि उनको कारखाने में काम करने का एट्रेक्शन हो, तब तक इन्डस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट सफलीभूत नहीं हो सकता। जो भी इन्डस्ट्रीज़ आज हैं उनमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जावे कि उनको मकान देने की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को पढाने की व्यवस्था हो, उनको उन्नत होने की अच्छी व्यवस्था हो ताकि वे उस ओर आकर्षित हो सकें। तो आज जो चार-छः महीने काम करके चल देते हैं तो यह नौबत नहीं आयगी और इसके बिना आर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स भी नहीं [illegible]ायेगा।

आज हम यह भी देखते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग किस प्रकार अपनी अपनी फैक्टरी में विस्तार करते चले जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे दस उद्योगपति मिल कर किसी उद्योग को चालू करें या एक ही उद्योग-पति को दस उद्योगों की मौनोपोली मिल जाय, इसमें हमें फर्क अनुभव करना चाहिए। आज किसी उद्योग पर किसी एक आदमी की मौनोपोली नहीं हो सकती, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग फैक्टरीज हों तभी राजस्थान का विकास होगा, जब कि इसमें किसी का मौनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिये। जब कम्पीटीशन होता है तो मजदूरों को राहत मिलती है और इन्डस्ट्रीज़ तरक्की कर सकती हैं। राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिये बहुत साधन हैं, उनको काम में लेने की आवश्यकता है।

इसके अलावा हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि केवल एक ही जगह की प्रगति की ओर ध्यान न दें, छोटी और बडी सब जगहों की तरक्की की ओर ध्यान दें। हमारे दिल में यह ख्याल न रहे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि जगहों की ही तरक्की करनी है। इसके अलावा भी जितनी पुरानी राजधानियां थीं उनकी तरक्की की [illegible] भी ध्यान देना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में यह भी स्वीकार किया है कि इस समय डकैतियां राजस्थान में बढ रही हैं। यह ठीक है कि डकैतियां इन दिनों में बढी हैं। पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने आकर डकैतियां की हैं, गडबडियां की हैं, इसका सख्ती के साथ दमन किया जाना चाहिये। इसमें हमारे यहां के लोगों का दमन न होकर वहां के लोगों का होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कभी कभी तो आप मार्क की बात कह देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने हमारे यहां के कर्मचारियों की सेवा-काल की अवधि ५५ से बढा कर ५८ कर दी है। मैं नहीं कह सकता कि यह किस आधार पर हुआ। क्या भारत सरकार के निर्णय के आधार पर किया गया? यदि उसी के आधार पर यहां किया जाता है तो यह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
कोई रीजनिंग नहीं है । इसके लिये अभिभाषण में रीजनिंग दिया जाना चाहिये कि क्या आवश्यकता पड़ी । यह जरूर है कि यहां जो टैक्निकल पर्सनल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर एज लिमिट बढ़ायी जा सकती है ताकि वे मुल्क की अधिक सेवा कर सकें : लेकिन जहां प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति अवधि बढ़ाई गई है, क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता ? इनकी संख्या हमारे यहां बहुत है, इस आयु की अवधि बढ़ाने से नये आने वाले जो लोग हैं उनकी तरक्की में रुकावट आयी है, यह एक प्रकार से उनको बाधा है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। यह उम्र की अवधि बढ़ायी जाती तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप ही का राज्य है। मत बढ़ाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बात पर विश्वास करता हुआ कि हम समाजवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह से हम तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे यहां पैदावार बढ़ायेंगे ताकि हम मुल्क की ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें और अपने राष्ट्र के हित में, अपने राष्ट्र के हाथों को मजबूत कर सकें और अधिक से अधिक अपने लोगों को तैयार करेंगे जिससे हम अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकें। हम शान्ति के अग्रदूत होकर विश्व के सामने आये हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में शान्ति हो। हम किसी से लड़ाई-फ़िसाद नहीं करेंगे, हम हमेशा शान्ति के लिये तैयार रहेंगे । भारत सरकार ने जो नीति बनायी है उस पर पूर्ण विश्वास जाहिर करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हमारा देश तरक्की कर रहा है उस पर पूर्ण आस्था व विश्वास रखते हुए राज्यपाल महोदय ने यहां पर पधार कर जो अभिभाषण किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आज की राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों में राजस्थान के योगदान के बारे में जो कुछ अपने विचार प्रकट किये हैं उससे हम अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करते हैं।

संकट की इन परिस्थितियों में जो कुछ भी राजस्थान का योगदान रहा है उसकी चर्चा इस अभिभाषण में की गई है। इसके साथ में हमें यह भी सोचना चाहिये कि आगे हमें कितना काम करना बाकी है।

राजस्थान की विकास योजनाओं के बारे में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनका भी उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। ये लक्ष्य भी हमारे लिये गौरव की बात है। हमें इनको पूरा करना है।

इस संकट के समय हमारी भारतीय संसद् ने जो देश की जनता का दृढ़ निश्चय प्रकट किया है कि बेशर्म चीन ने आक्रमण करके हमारी भूमि पर जो जबरन कब्जा किया है उसको जब तक वापिस नहीं खदेड़ देंगे और अपने हथियाये गये इलाके को वापिस नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. उस निश्चय पर दृढ़ रहते हुए हम किस प्रकार इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार

(श्री फूलचन्द जैन)

करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल महोदय ने यह भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि हालांकि लड़ाई इस समय बन्द है, पर फिर भी खतरा अभी मौजूद है। चूंकि हमारी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था है, हमें आज की घटनाओं की जानकारी विभिन्न समाचार-पत्रों और दूसरे दूसरे ऐसे ही प्रजातान्त्रिक तरीकों और साधनों से प्राप्त होती हैं इसलिये बहुत सम्भव है कि हम इस बात को महसूस करने लगें कि हममें शिथिलता आ गई है अथवा एमर्जेन्सी नाम की कोई खास चीज़ नहीं रह गई है, ऐसा महसूस करने लगे हों; परन्तु विषय बहुत ही गम्भीर है। आज के युग में जब ऐसी कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो उसको अनेक पहलुओं से लड़ना आवश्यक हो जाता है। इसलिये हमारी सरकार भी सतर्कतापूर्वक उन सभी मोर्चों और माध्यमों से अपनी इस लड़ाई को लड़ रही है जो आज के युग में आवश्यक है। आज हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिये कि इस बेशर्म दुश्मन को हम अपनी धरती से खदेड़ दें। इसके लिये हम अनेक प्रकार के यत्न कर रहे हैं। इसमें हम सरकार को भी कुछ उलाहना दे सकते हैं। पर मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि इस प्रकार की संकट-कालीन स्थिति में भी हम देशभक्ति को ध्यान में नहीं रख कर दूसरे दूसरे दृष्टिकोण सामने रख कर चलते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर आज भी हम उन विचारों को जो देश के हित के अनुकूल नहीं हैं छोड़-कर देश के हित के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हमको सबसे पहले अपने कर्त्तव्यों के बारे में खूब अच्छी तरह से सोचना और समझना होगा कि हम आज की इस एमर्जेन्सी में क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी सरकार को शक्तिशाली कर सकते हैं और किस प्रकार अपने साधनों को बढ़ाकर ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जिससे शत्रु को खदेड़ सकें। इसके लिये भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी कई योजनाएं चालू की हैं। आकस्मिक हमले की स्थिति का मुक़ाबला करने की योजनाएं भी लागू की हैं। देश में आक्रमण से पैदा हुए जोश के वातावरण को और लोगों के उत्साह को बनाये रखने की दिशा में भी भरपूर प्रयत्न हो रहे हैं। आक्रमण के फल-स्वरूप देश में पैदा हुई एकता को क़ायम रखने के भी प्रयत्न हो रहे हैं। हमें भी इन योजनाओं में अपना योगदान देना है और देश में पैदा हुए जोश और उत्साह का अधिक से अधिक लाभ उठाना है। परन्तु अनेकों समस्याएं हमारे सामने हैं, जिन्हें हम-आप सब जानते हैं। हमारे साधन सीमित हैं। इन्हीं साधनों से हमें अपने देश का विकास भी करना है और युद्ध की तैयारियां भी करनी हैं। हमें अपने ही साधनों से और अपनी ही शक्ति से न सिर्फ़ अपने देश को खुशहाल बनाना है, अपितु आज की युद्ध की परिस्थितियों का भी मुक़ाबला करना है। इसके लिये बहुत से प्रोग्राम हमारे सामने आये हैं। इसके बावजूद भी आज की परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि अब हम क्या करें, आज तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है और शिथिलता का वातावरण है।

मैं तो खास तौर से जब ऐसी स्थिति देखता हूं तो कुछ हैरानी सी महसूस करता हूं। आज के इस समय का उपयोग करना हमारे लिये परम आवश्यक है। हमें चाहिये कि जो

(श्री फूलचन्द जैन)

समय आज हमें मिला है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके देश को शक्तिशाली बनाने के काम में जुट जावें।

हम सब किसी न किसी रूप में राजनैतिक, सामाजिक और रचनात्मक संस्थाओं से सम्बद्ध लोग हैं। आज देश में कृषि के उत्पादन की आवश्यकता है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, शारीरिक दृष्टि से देश के नागरिकों को सबल बनाने की आवश्यकता है, देश के नागरिकों में शक्ति और विश्वास का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और भी ऐसे अनेकों काम हैं जिनमें हमें जुट जाना है ताकि हम अपने देश की शान को और इसकी आजादी को बनाये रखने में कामयाब हों। भारत सरकार के अलग अलग मन्त्रालयों ने जनता से सहयोग की अपेक्षा के लिये विस्तृत योजनायें बनाई हैं; जैसे रेलवे के काम में हम कैसे सहायता दे सकते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग के काम में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। श्रमिकों के काम में और मैनेजमेन्ट के काम में हाथ बंटा सकते हैं। वे रविवार को भी काम कर सकते हैं। विलेज की रूरल फोर्स है उसका पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं।

सिविल डिफेन्स के लिये जो प्रोग्राम हमारे सामने आया है उसके लिये हम युवकों को और उनके मानस को तैयार कर सकते हैं कि वे अधिक से अधिक उसमें भाग लें। इस तरह के काफ़ी ऐसे काम हैं जिनको हम स्वयं अपने हाथों में लेकर पूरा कर सकते हैं।

राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है। पाकिस्तान से हमारी एक बहुत बड़ी सीमा लगती है और आप-हम सब जानते हैं कि आज की एमर्जेन्सी में कई प्रकार के वातावरण इस देश में पैदा हो रहे हैं।

हमारी जो सबसे महान नॉन अलाइनमेन्ट की पॉलिसी है जिसके परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से सारा विश्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ है और हमें उनसे बहुत बड़ी राहत और सहानुभूति प्राप्त हुई है। इस प्रकार की हमारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही नीति पर भी कई ओर से आक्रमण किया जाता है। हैरान होते हैं, जब हम यह देखते हैं और सुनते हैं कि चूंकि हमें ब्रटेन और अमेरिका से बहुत बड़ी मदद मिलती है इसलिये उनका अहसान मानना चाहिये और उनके साथ अपने आपको सन्धि करके बांध लेना चाहिये।

बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे लिए तो यह गर्व की बात है कि हम बिना किन्हीं संधियों में बंधे भी चारों तरफ़ से अपने सहयोगियों का जाल सा बिछा हुआ देखते हैं। लेकिन जो हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिये वह यह है कि हम अपनी रक्षा स्वयं ही करें।

हम जब कि ऐसे वातावरण से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से भी एक अजीब प्रकार का वातावरण हमारे खिलाफ़ पैदा किया हुआ है और वह भी इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहता है। हमारे लिए खास तौर से पाकिस्तान का सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण हमें अपने आपको पूर्णतया तैयार रखना होगा। इसके साथ ही साथ इसकी आवश्यकता मैं इसलिये भी महसूस करता हूं कि हमारा यह भी दृढ़ निश्चय हो कि हम किसी कीमत पर; जैसे हम चीन को अपने

(फलचन्द जैन)

देश की एक इन्च भूमि देने के लिये तैयार नहीं है वैसे ही काश्मीर की भी एक एक इन्च भूमि का सौदा करने के लिये तैयार नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा रख कर सारे साधनों के अन्दर अपने को लगा देना होगा। इसके अलावा जहां एमर्जेन्सी के कामों में अपना पूरा ध्यान और शक्ति लगाने की आवश्यकता है उसके साथ ही साथ देश का योजनाबद्ध विकास भी चालू रहे, इस ओर भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। हमारी सरकार जैसा कि मैंने बताया कि पिछले अर्से में, गत दो वर्षों के अन्दर जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूरा किया है। राजस्थान के अन्दर औद्योगिक दृष्टि से प्रगति हुई है और कृषि में भी काफ़ी प्रगति की है और सारे कामों से हम योजनानुसार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा श्रम और शक्ति लगाने की आवश्यकता से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु ऐसे समय में, जब कि हम एक विपत्तिकाल से गुज़र रहे हैं, तो इसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा कि जहां सरकार से हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वह अधिक तेजी से सभी दिशा में कार्य करे वहां हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम उसके मार्ग को सुगम बनाने के लिये किस प्रकार से अपने आपको अच्छा साबित कर सकते हैं। हमें भी अपने जनमानस को ऐसा बनाना होगा कि ऐसे वातावरण में जब कि चारों तरफ़ से तैयारियों की आवश्यकता है और हमें दुश्मन का मुक़ाबला करना है तो उसके लिए कुछ भार हमें वहन करना ही होगा और इसके लिये जनमानस को बनाना होगा। यह हमारा प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये। इसके साथ ही साथ जनमानस को इस दिशा में भी मोड़ देना होगा कि जो आवश्यकता के काम हैं सिर्फ़ उनको ही हमें करना चाहिये और नये अन्य कामों को धीरे धीरे करने की दिशा में हमें क़दम बढ़ाना चाहिये। इसके साथ ही साथ आज जैसे और और काम हमारे लिए एमर्जेन्सी के अन्दर आवश्यक हो सकते हैं उसी प्रकार से हम जनमानस को इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि वह ऐसी चीज़ों के उपयोग में कमी करे कि जो चीज़ें आज हमारे राष्ट्र के संकटकाल में उपयोगी साबित हो सकती हैं। जैसे चावलों का कम उपयोग किया जाये, इससे हमें युद्ध के क्षेत्रों में सामान की पूर्ति में अधिक सहूलियत प्राप्त हो सकती है। ये सारे काम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपनी शक्ति लगा सकते हैं।

इसके साथ ही साथ जहां मैं इस बात की चर्चा करता हूं वहां मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का संबंध है उसके लिए भी मैं आवश्यक मानता हूं कि इस प्रकार की एमर्जेन्सी की स्थिति में विशेष रूप से हमारा जो शासनतन्त्र है उसका कार्य इस प्रकार से चलाया जाना चाहिये कि जिससे जनता को कम से कम दिक्क़तों का सामना करना पड़े। जब हम अनेक प्रकार की दिक्क़तों को जनता के ऊपर आज विशेष परिस्थितियों में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वह उसको वहन करे तो जो दिक्क़तें हम हल कर सकते हैं उस दिशा में भी हमें अपना ध्यान लगा कर और शक्ति लगा कर काम करना चाहिये। इसके लिए जो हमारा शासनतन्त्र है उसके कामकाज को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिये कि जिससे जनता कम से कम हमारे शासन तन्त्र के प्रति अधिक से अधिक निष्ठावान हो.

Page No.53

(फूलचन्द जैन)

सकें, अधिक से अधिक सुविधाएं और प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मैं ऐसे सुझाव भी देना चाहता हूं कि जिससे आज हम अधिक से अधिक सहूलियत जनता को कैसे पहुंचा सकते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जिस पर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार विचार करेगी। आज के जमाने में आप और हम सब जानते हैं, बावजूद इसके कि काफी प्रगति हमने की है और आज़ादी के बाद से काफ़ी सुविधायें और साधन हमने जनता को दिये हैं और तकलीफ़ों को दूर करने की दिशा में बहुत सारे काम किये हैं और उन कामों को पूरा करके हमने उनको सहूलियत पहुंचाई है। इसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतों में अभी भी जनसाधारण हैं उसकी पूर्ति के लिये, उसके समाधान के लिए कई कार्य हैं, कई ऐसे उपाय है जिनके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्रिमण्डल की बैठकें निश्चित दिनों के अन्दर; महीने, दोमहीने के अन्दर होनी चाहिये, जो कि खुले दरबार जैसी हों और जहां कि आम जनता अपनी शिकायतें लेकर जाये, वहां पर पूरा सेक्रेटेरियट बैठा हो और तुरन्त उस पर फ़ैसला सुनाया जाये जिससे कि हर आदमी को वहां पहुंचने में और अपनी शिकायत के समाधान कराने में सहूलियत हो। इसके साथ ही साथ मैं इस बात का उल्लेख करता हूं कि जो शासन का रैडटेपिज्म है वह भी खत्म हो। आज हमारा प्रोसीजर इतना लम्बा है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी छोटे छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये जो कठिनाइयां इस प्रोसीजर से होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि खास तौर से आज की एमर्जेन्सी की परिस्थिति में हमारे सरकारी मन्त्रिगण जो दौरा करते हैं उस समय कम से कम वे इस बात का ज़रूर निश्चय करलें कि वे किसी ऐसे समारोह में भाग न लें जहां फ़िज़ूलखर्ची जैसी बात हो या ऐसे आयोजन किये जायें कि जिनके द्वारा अधिक अपव्यय की गुन्जाइश न हो। इसी प्रकार से मैं इसके बाद में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि हालांकि इस विषय पर बहुत कुछ चर्चा बार बार चलती रहती है और हमारी राज्य सरकार ने काफ़ी इस मामले के अन्दर सफलता प्राप्त की है फिर भी इसकी आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस मामले में ऐसी नीति बनानी चाहिये कि जिससे आज जो कठिनाइयां इसको रोकने में महसूस होती हैं उसका हल ढूंढा जाये और जनता के अन्दर इस प्रकार की आस्था पैदा की जाये कि जिससे वह हर प्रकार की क़ुर्बानी के लिये तैयार है तो उसे संतोष हो कि जो हमारी क़ुर्बानी है उसका पूर्णतया सदुपयोग हो रहा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार मौजूद है, इससे हम इन्कार नहीं कर सकते और उसको दूर करने की दिशा में हमें ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये कि जिससे हम उस पर अधिक से अधिक काबू पाने में सफल हों।

इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आज के इन हालात के अन्दर हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उसके अन्दर राजस्थान के विकास के बारे में जो हमारी प्रगतियां हुई थीं उनका उल्लेख किया है और उसके

Page No.54

(फूलचन्द जैन)

साथ-साथ जो संभावनाएं विकास की हमारे यहां हैं उनकी भी चर्चा की है। उसके ऊपर हम सब को गौरव करना चाहिये और ऐसी स्थिति में जब कि हम चारों तरफ़ से अनेक प्रकार की विपत्तियों के अन्दर से गुज़र रहे हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम जो जन-प्रतिनिधि यहां एकत्रित होते हैं वे इस प्रकार की बातों को साबित कर सकें तो बड़ा ही उपयोगी हो कि जिससे हम यहां जो कार्य करें या अपने क्षेत्र में जो काम करें उनसे हम लोगों में अधिक से अधिक आशा और विश्वास पैदा कर सकें। आज की स्थिति के अन्दर चौमुखी विकास के साथ साथ देश के लिये खतरों का मुकाबला करने के लिये तैयार रहें, और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्त में जो आशा प्रकट की है उसकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक सहयोग दें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि मेरे साथ साथ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करेंगे।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह और श्री अमृतलाल यादव के खड़े होने पर)

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : मैं लीडर ऑफ़ दी अपोजीशन के जो बोलने की बात है उसको वह नहीं करते हुए अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के प्रपोज़र महोदय जिस समय अपना भाषण दे रहे थे तो आपने कहा था कि संक्षेप में अपनी बातें कह दें; तो उस मामले को स्पष्ट कर दें तो सब के लिए सुविधा होगी; आपकी राय से माननीय सदस्यों को गाइडेन्स मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस पार्टी के व्हिप महोदय भाषण आरम्भ होने से पहले इस प्रकार का प्रस्ताव रखते तो ज्यादा अच्छा होता। उनकी तरफ़ से दो माननीय सदस्य बोल लिये, उसके बाद समय निर्धारित कर देना कहां तक अच्छा है यह वे स्वयं ही सोचें। उसी आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भ से अभी तक समय निर्धारित नहीं किया गया है और जिस प्रकार की प्रक्रिया अब तक चल रही है उसी प्रकार की आज भी रख दी जाय तो ठीक होगा।

श्री हरिदेव जोशी: मैं केवल गाइडेन्स के लिये जानना चाहता हूं। जो निर्णय करते हैं उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि जो विपक्षी दल व पार्टियों के नेता महोदय हैं और जिन्होंने संशोधन के प्रस्ताव के नोटिस दिये हैं और जो प्रस्तुत किये जायेंगे वे जितना चाहें उतना बोललें, आधा घंटा या जैसा भी उचित समझें और उसके बाद में जो माननीय सदस्य बाद में बोलें उनके लिए कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है। एक पार्टी या ग्रुप का दृष्टिकोण सदन के समक्ष आ जाय उसके लिए समय दें तो अनुचित नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत समय बांध लें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बहस में भाग ले सकेंगे। इसलिये आज तो व्यवस्था यही रहेगी कि पार्टीज व ग्रुप के जो नेतागण हैं वे बोलेंगे और जिन्होंने प्रस्ताव के ऊपर अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन पर कोई समय की पाबन्दी नहीं रहेगी और अन्य माननीय सदस्य चाहे नये रूप से बहस में भाग लें, चाहे संशोधन प्रस्तुत करें, वे १५-२० मिनट तक बोलें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

Page No.55

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं वे संशोधन तक ही बोल सकेंगे या जनरली बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: अगर वे चाहें तो दूसरे मुद्दों पर भी बोल सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: किसी व्यक्ति ने संशोधन दिये हैं और वह जनरली बोलेगा तो फिर संशोधन क्या रहा?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आज तो, अध्यक्ष महोदय, जनरल रूप से ही बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: संशोधन जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत [illegible] हैं उसका [illegible] पूरी बहस में भाग ले स[illegible] नहीं है कि केवल उन्हीं मुद्दों पर बोला जाय जिन पर संशोधन प्रस्तुत किया गया है। उस समय जनरल बहस में हिस्सा लिया जा सकता है और दूसरे पोइन्ट्स पर भी अपना मत रखा जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अगर व्यवस्था आप स्वयं कर लेंगे तो बहुत उपयुक्त होगा।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक और स्पष्टीकरण है। जिस ऑर्डर में संशोधन मूव किये गये हैं उसी ऑर्डर में वे बोलेंगे या जिन्होंने संशोधन मूव नहीं किया है और पार्टीज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज या नेताओं को जो प्रिफरेन्स मिलती है उस तरह से उनको भी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: जो पार्टीज और ग्रुप के लीडर्स हैं और जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है प्रायोरिटी उनकी होगी और अन्य माननीय सदस्य जो संशोधन प्रस्तुत करेंगे वे एक साधारण माननीय सदस्य की ही तरह से बोलेंगे। फिर भी ग्रुप या पार्टी के नेता महोदय रह जाते हैं तो उनको भी वही रियायत दी जा सकती है जो दूसरे ग्रुप के लीडर्स को दी जाती है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि पार्टीज़ के ग्रुप के लीडर्स भी ध्यान रखें कि वे समय उसी के अनुसार लें जितनी उनकी सदस्य संख्या है, जैसे कि दो माननीय सदस्यों की एक पार्टी या ग्रुप हैं वे भी एक घण्टा लेंगे और दूसरे भी उतना ही।

श्री अध्यक्ष: इस तरह की नाप-तोल करना ठीक नहीं है। हर पार्टी का दृष्टिकोण [illegible] समक्ष आना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): [संशोधन इस प्रकार है: "धन्यवाद के अन्त में निम्नांकित जोड़े जायं:--

"किन्तु खेद है कि राज्य सरकार खास समस्या को हल करने में असमर्थ रही है।"]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण द्वारा अपनी सफलताओं और अपनी सुर्खरूही पर प्रकाश डाला है। परन्तु हरेक स्थिति और हरेक मुद्दे के दो पहलू होते हैं, एक कृष्ण-पक्ष और दूसरा शुक्ल-पक्ष। विरोधी-दल के एक सदस्य के नाते मेरा यह पुनीत कर्तव्य है कि मैं उन समस्याओं के ऊपर, सारी बातों के ऊपर सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करूं कि जिनके द्वारा राजस्थान की जनता उत्पीड़ित है, दुखी है और उसके साथ ही साथ यह भी चेष्टा करूंगा कि सरकार के द्वारा यथासम्भव उन कमियों, उन खामियों को दूर किया जाय और जनता को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, चार महीने पूर्व हमारे देश के अन्दर संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई उस समय अखिल भारतवर्षीय

(महाराव श्री लक्ष्मणसिंह)

कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सरकार का विरोध कोई न करे, प्रधानमंत्री के संबंध में कोई छींटाकशी नहीं की जाय इस संबंध में खुद प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया है। उस स्पष्टीकरण का एक हद तक में स्वागत करता हूं; उसके साथ ही साथ यह परम आवश्यक है कि जनतन्त्र की स्वस्थ प्रणाली को कायम रखते हुए शासनारूढ़ दल की खामियों को इस [illegible] संकटकालीन स्थिति के अन्दर दूर करने के हेतु विपक्षी दल द्वारा एक विचार-धारा प्रकट की जाय, इस हेतु इन ठोस [illegible] के साथ [illegible] सरकार से यह करना अनुचित है और इसका कारण यह है। मानना या नहीं मानना सरकार के अधिकार की बात है परन्तु अगर आलोचना में कोई कमी होगी तो मेरे ख्याल में संकटकालीन स्थिति का सरकार दुरुपयोग करेगी। संकटकालीन स्थिति के अन्दर एक दम-घोट नीति, एक अधिनायकवाद की नीति अपनायेंगे तो हमें सर्वथा अमान्य है।

हमारी सरकार ने यह स्पष्टतया घोषणा की है कि आक्रान्ता को हम हमारी भारत की पवित्र भूमि से हटा देंगे और जब तक आक्रान्ता हमारी भूमि पर, एक इंच भूमि पर भी कब्जा किये हुए है तब तक हम शान्ति की श्वास नहीं लेंगे और हमारा ध्येय यह होगा कि आक्रान्ता को हम पूरी तौर से हमारी पवित्र भूमि से हमारी हद के बाहर हटा दें। इसके साथ साथ हमको यह देखना है कि चार महीनों में हमने हमारे इस ध्येय की पूर्त्ति करने के लिये क्या प्रयत्न किया है।

हमने अभी ही कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार किया है। हम उन देशों के आभारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी देखना है कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव को अब तक सर्वथा स्वीकार नहीं किया है। चीन ने एक तरफा युद्ध-बन्दी की घोषणा की, युनिलेटरल सीज-फायर का डिक्लेरेशन किया। हमने हरूफ ब हरूफ उसका पालन किया। आज जहां पर चीन हमको नहीं आने देना चाहता वहां पर हम नहीं जा पाते। चीन जितना दूर वापिस हटना चाहता है उसकी इच्छा से वह हटता है और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिवाय इसके कि युनिलेटरल सीज-फायर डिक्लेरेशन पर हम पाबन्द रहें।

चीन ने यह घोषणा की कि युद्ध-बंदियों को अमुक दिन अमुक स्थान पर सौंपा जाय -- हमने भी स्वीकार किया। [illegible] को [illegible] घोषणा [illegible] स्थान पर [illegible] द्वारा [illegible] का [illegible] किया। चीन ने जहां पर उसका जी चाहा हमारे पर आक्रमण किया और सिवाय इसके कि हम पीछे हटें, हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा।

चीन के मुख्यतया दो ध्येय थे। वे दो ध्येय यह हैं कि भारत जैसा एक विशाल देश है उसको अपमानित किया जाय और उसके साथ साथ भारतवर्ष की योजना, उसकी अर्थ-व्यवस्था को भंग किया जाय। इन दोनों सिद्धान्तों को, इन दोनों मुद्दों को वह सफलता से प्राप्त कर पाया है। इसके साथ साथ हमको अपमानित करने के अलावा उसका यह ध्येय था कि हमारे पड़ौसियों को धीरे धीरे चीन के प्रभुत्व को मनावे और एशिया में एक सर्वोपरि सत्ता अपने आपको बना सके और विश्व में यह साबित करे कि उसका ध्येय साम्यवाद को फैलाना है, उसका ध्येय उसके क्षेत्रफल को फैलाना है। उसका मूल ध्येय एक्सपेन्शनिज्म ऑफ कॉम्युनिज्म का है। इस मूल ध्येय को यदि हमारी शासन-प्रणाली, हमारे रहन-सहन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
की पद्धति, हमारे मुद्दे और हमारी स्थिति को यदि एक तरफ तोला जाय और मुकाबला किया जाय चीन के रहन-सहन की प्रणाली के साथ तो एक सिद्धान्त का संघर्ष स्पष्टतः हमारे साथ दिखाई पड़ता है। सिद्धान्त का जहां पर संघर्ष है वहां पर हमको यह विचार करना चाहिये कि इस सिद्धान्त के संघर्ष को हम हल किस तरह से कर सकेंगे। हम किसी कमजोर नीति के द्वारा इस संघर्ष का हल नहीं निकाल सकते। हम अपनी बार्गेनिंग पॉवर, बात-चीत की शक्ति इस हद तक बढ़ावें, उसका इस हद तक विस्तार करें कि जिसके द्वारा चीन हमारी शक्ति को माने और उसके साथ साथ हम उसके सामने हमारी समस्याओं को रख कर यदि हम बातचीत करेंगे तब तो उसका हल कुछ निकलना संभव है, नहीं तो आज की हमारी स्थिति में हम कोलम्बो प्रस्ताव को मान कर यह विचार करें कि हम चीन के साथ बात करने को तैयार हैं। मेरी समझ में, मेरी पार्टी की समझ में यह एक मृग-तृष्णावत् की चेष्टा है। इसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

हमारी भूलें, खैर, जो थीं वे थीं, लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारी भूलें हिमालय के सदृश्य थीं और उन हिमालय सी भूलों के द्वारा हमने हिमालय भी खो दिया। चीन जो हमसे कोसों दूर था उसको हमारी ढाई हजार मील की सीमा पर आमन्त्रित करके बुला लिया। तिब्बत जैसे धार्मिक देश को समाप्त करने में हमारा जो सहयोग चीन के साथ रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने चीन को सहयोग देकर तिब्बत को समाप्त करने का जो भाषण दिया था उसे हम कभी नहीं भूला सकते।

चीन, हमको मानना चाहिये खूंखार है, वह सुसज्जित है अस्त्र-शस्त्रों से, वह विश्वास-घाती है और उसमें युद्ध की प्रक्रिया है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): On a Point of Order, Sir, Can a Member criticise a policy of a Member who is not a member of 'this House ? My Hon'ble friend has just quoted a reference of Mr. Menon who is not a Member of this House. So, can he criticise his policy statement which he had given in some debate.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): He is criticising the policy and not the member.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं तो नीति पर बोल रहा था। यदि नीति पर बोलते हुए किसी व्यक्ति का नाम आवे तो मुझे खेद है, लेकिन अनिवार्य रूप से जो वास्तविक बात है उसको प्रकट करना ही चाहिये। इसके साथ साथ यह भी मैं अनुभव करता हूं कि यह समस्या विदेश-नीति की समस्या है, लेकिन क्योंकि राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसकी चर्चा हुई है और आज के संकट-काल में हर एक नागरिक को अधिकार है कि उस पर अपने विचार व्यक्त करें। हर एक नागरिक का देश की स्थिति और संकटकालीन स्थिति के साथ इतना निकटत्तम संबंध है कि उसके साथ हर एक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यदि इस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं तो कोई अपराध नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय यह है कि हम चीन को

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सर्वथा देश में आगे नहीं बढ़ने देंगे और उसके साथ साथ हमारा ध्येय यह भी है कि हमारी भूमि है, जो मैकमोहन रेखा है उसके अन्दर एक इंच पर भी चीन नहीं रहने पावे। तो हम इस ध्येय को किस तरह से प्राप्त करेंगे, इस चेष्टा को लेकर हम हमारे भविष्य का निर्माण करें तभी हम सफलता की आशा कर सकते हैं। तो मेरा यह व्यक्तिगत विचार है, इसके साथ साथ कई दूसरे अन्य दलों का और मेरे दल का भी यह विचार है कि स्पष्टतया आज जो हमारी स्थिति है, आज जो हमारी शक्ति है, आज जो हमारी नीति है उसको लेकर हम अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हम कभी भी सफलता चीन का अकेले मुकाबला करेंगे तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चीन यह अच्छी तरह से जानता है और चीन ने यह स्पष्टतया सिद्ध कर दिया है कि हम उसका मुकाबला करने के योग्य नहीं हैं। हम यदि अकेले रहे तो हम अवश्यमेव अपमानित होंगे और सम्भवतः हमारी आजादी भी खतरे में आवे। चीन हमारी ढाई हजार मील की सीमा के ऊपर बैठा हुआ है। इस बात को लेकर आज हमारी स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने के लिए हमको निरन्तर सजगता के रूप म दाम चुकाना पड़ेगा। "Constant vigilance is the price of independence." यदि हम उस सजगता में जरा भी ढील करते हैं, यदि हम हमारी तैयारी में जरा भी ढील करते हैं, यदि हम शस्त्र नहीं मंगवा सकते, यदि हम पेरिटी ऑफ आर्म्स, शस्त्र का मुकाबला चीन के साथ स्थापित नहीं कर सकते तो अब तक के हमारे सद्प्रयास जो हैं वे व्यर्थ हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम अमुक देश की मदद ल लेकिन अमुक देशों की यदि

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
(२.० म. प.)

एक देश मदद ले तो वह उसकी प्रभुसत्ता के लिए हानिकर नहीं हो सकता, वह कोई बुरी बात नहीं है। इंगलैण्ड जैसे देश ने भी सहायता ली और उसके साथियों को अपनाया और उनसे मदद ली और दूसरे देशों के साथ रह कर ध्येय और विजय प्राप्त किये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का यह भी विश्वास है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि रूस चीन को छोड़ कर हमारी मदद नहीं करेगा। रूस चीन को अपना अलाई (Ally) कहता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा:) Point of order, Sir, the speech of the Leader of Opposition mainly concerns the defence of our country. Now the question is whether our Hon'ble Chief Minister will be in a position to reply to this point. I feel, it is not within the forum of the House to discuss the question of defence as well as foreign policy. It is not within our competence.

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में अगर कहा जाय तो हम भी समझ जायें। सदन में कुछ लोग हैं जो केवल हिन्दी भाषा समझते हैं। अगर हिन्दी में कहा जाय तो उनकी समझ में आ सकता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऑपोज़ीशन के लीडर महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, वह अंग्रेजी में किया है। इसलिये मैंने आपत्ति अंग्रेजी में उठाई। माननीय सदस्य अंग्रेजी के विद्वान् हैं, उन्हें एक भाषा के प्रति क्यों ग्लानि है?

Page No.59

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, सारे सदन के लिए कहा है; इस बात को ध्यान में रखें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अधिक विषयान्तर न करें, जो मूल विषय है उस पर केन्द्रित रहें। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि डिफेन्स के विषय में तनिक मात्र जो कहना चाहें वे कहें, लेकिन इतना नहीं कि जो इस राज्य की क्षमता के बाहर चीज बन जाय और सरकार उसका उत्तर न दे सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अभिभाषण में लिखा है, नोन अलाइनमेंट पॉलिसी सफल रही। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा। विषयान्तर वे हो गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: May I point out to the Hon'ble Member that the Defence Policy and Foreign Policy are so intermingled and so co-relative that in the position of non alignment you have got to state certain factors. If you do not do so you cannot make a point; you cannot drive home what you are trying to say, you cannot develop a theme that you have in your mind. By being as brief as possible, I cannot cut out all my reasoning.

श्री उपाध्यक्ष: Please continue. I quite agree with you. You can develop your point and your mind.

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कृपया मेरे साथी से सहानुभूति रखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस चीन को अपना अलाई (Ally) कहता है और भारतवर्ष को अपना मित्र कहता है। 'मित्र' का अर्थ अपन सब समझते हैं कि एक शुभ-चिन्तक के नाते मित्र कहा जा सकता है, लेकिन अलाई का अर्थ है, जीवन-मरण का साथी। यदि हम आज यह कहें कि रूस और चीन में मत-मतान्तर है, तो उपाध्यक्ष महोदय, वह मत-मतान्तर ऐसा है कि जैसा मत-मतान्तर फ्रांस और युनाइटेड किंगडम में आज यूरोपियन कॉमन मार्केट जोइन करने के संबंध में है। चीन और रूस सिद्धान्ततः एक हैं। वे अविभाज्य हैं और उनका ध्येय सदा भारतवर्ष के मुकाबले में एक रहेगा। यदि चार मिग विमान हमको रूस देता है तो उसके साथ सम्भवतः चार सौ मिग विमान वह चीन को देगा। यह निर्विवादित बात है। आज एटम बॉम्ब और अणुबॉम्ब अनुसंधान के अन्दर रूस का पूर्ण सहयोग चीन को प्राप्त है और आप देखेंगे एक वर्ष, हद से हद डेढ़ वर्ष के अन्दर चीन यह घोषित कर सकेगा कि उसके पास अणु-शक्ति का प्रयोग करने के लिए सब व्यवस्था सुचारु रूपेण उपलब्ध है। इसलिये आज से हमको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी चाहिये; अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ जो हमारे सच्चे मायने में मित्र हैं, जिनके सिद्धान्त हमसे मिलते-जुलते हैं। हम चीन के ऊपर आक्रमण आज न करें, हम चीन के ऊपर पांच वर्ष तक आक्रमण न करें लेकिन हम अकेले चीन का मुकाबला दस वर्ष तक नहीं कर सकते। परन्तु हमारे मित्रों के साथ यदि योजनाबद्ध

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देश की रक्षा के लिये कोई भी हम विचार करेंगे तो चीन उसको देख कर अवश्य खम खायेगा और उसके विचार होंगे वे भी अवश्यमेव पश्त होंगे।

यदि हम यह विचार करते हैं कि चीन हम पर आक्रमण करे तब हम मित्र-राष्ट्रों का सहयोग लें, तो यह मेरी पार्टी के विचार के अनुसार या सामान्य बुद्धि और कॉमन सेन्स के बिल्कुल विपरीत है। हमको आज से अकेले नहीं, हमारे मित्र जो हमको मदद करने को तैयार हैं उनके साथ रह कर हमारी सुरक्षा नीति को सबल बनाना चाहिये और यदि हम यह कर पाते हैं तो अवश्यमेव हमको एक साल, दो साल में पूर्णतया सफलता मिल सकेगी। हमने देखा हमारे पास ली एण्ड फील्ड राइफल्स अच्छी हैं। वे बीस वर्ष पहले अच्छा काम करती थीं; लेकिन आज अच्छे से अच्छा राइफल मैन चार-पांच फायर पांच सैकिंड के अन्दर कर सकेगा, जब कि उसके मुकाबले में दूसरी स्टेनगन बीस फायर करेगी। इन दोनों का क्या मुकाबला होगा? तो हमको अच्छे हथियार बनाने चाहिए, अच्छे से अच्छे हथियार मंगवाने चाहिए और हमको हमारे मित्रों के साथ तैयारी करनी चाहिये ताकि हम हमारे जनतन्त्र की रक्षा करके हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें; और नहीं तो हमारी यह तटस्थता की नीति ज्यों की त्यों बरती गई तो कोई आश्चर्य नहीं है कि इससे हमें बड़ी भारी हानि पहुंचे हमें बड़ा भारी खमियाजा उठाना पड़े, हमारा अपमान हो, सम्भवतः हम हमारी स्वतन्त्रता तक खो बैठें। इसलिये हमको हमारी भूलों से सबक लेकर और यह जो इकतरफा सीज-फायर है, जो चीन ने धूर्त्तता और कूट-नीति अख्तियार करके घोषित किया है, उस पर गम्भीरता से विचार करके हमारी यह चेष्टा होनी चाहिये कि हम आक्रमण करने की शक्ति अपने अन्दर प्राप्त करें। आज हम इनीशियेटिव रेस्ट करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सके हैं, चीन के ऊपर आक्रमण करने की शक्ति नहीं है; लेकिन जब तक इनीशियेटिव रेस्ट करने की शक्ति हम में नहीं है हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते और इनीशियेटिव प्राप्त करने में मित्रों की सहायता की आवश्यकता होगी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, प्रशंसा की बात है कि हमको बहुत से देशों की सहानुभूति प्राप्त है। सहानुभूति एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन सहानुभूति के साथ हमको सबल मित्रों की आवश्यकता है। सबल मित्रों के बिना कोरी सहानुभूति से हमारा कभी हित नहीं हो सकता। हमें इनीशियेटिव रेस्ट प्राप्त करना चाहिये, हम चाहें वहां आक्रमण कर सकें, इतनी शक्ति हममें जब तक नहीं आ जाती तब तक चीन हमें एक मामूली शक्ति समझेगा और हमारा अपमान करेगा। और उसकी वही तर्ज-तहरीर, पत्र-व्यवहार रहेंगे, जैसे मानो एक जीता हुआ हारे हुए के साथ व्यवहार करता है, एक विक्टर जैसे वेनक्विस्ड (Vanquished) के साथ व्यवहार करता है। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए मेरे ख्याल से आज हमारी यह तटस्थता की नीति है, यह वास्तविकता से दूर है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज सारा विश्व, आप मानें या न मानें, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दो गुट्टों के अन्दर बंटा हुआ है एक आप पूर्वी गुट्ट कहिये और दूसरा पश्चिमी गुट्ट कहिये। यदि आप साम्यवादी गुट्ट कहें तो दूसरा पूंजीवादी गुट्ट है। सारे विश्व में दो गुट्टों के अलावा कोई गुट्ट नहीं है। आज कोई भी नॉन अलाइन्ड नहीं है, कोई तटस्थ नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि आप कोलम्बो देशों को देखें तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वे भी किसी गुट्ट से अलाइन्ड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कौन से गुट्ट में?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: कोलम्बो के छः प्रदेश-वे सभी मेरे ख्याल में एक हद तक चीन के समर्थक हैं। उन्होंने यह भी घोषणा नहीं की कि चीन आक्रांता है और हम अग्रेस्ड हैं और चीन अग्रेसर है। खैर यह तो आपकी विचार-धारा है, वह कुछ भी हो। प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा कि हम हमारी सीमा की रक्षा करना चाहते हैं। यदि आप भारत-वर्षीय पद्धति के कम्युनिष्ट हैं और सीमा रक्षा करने के लिए हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे,

Page No.61

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): आप और हम दोनों करेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: एक तरफ साथियों से हाथ मिलायें और दूसरी तरफ यह कहें कि सहयोग देते हैं; तो भले ही आप तरह तरह के प्रस्ताव पास क्यों न करें, इसका कोई अर्थ नहीं है । यह कूटनीति है, यह धोखा-नीति है ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ में कुल राजस्थान के और हमारी भारतवर्ष की सेना के वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बहुत संकट सहन करके बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अपना आत्म-बलिदान किया। राजस्थान की परम्परा के अनुसार ये भी, मेजर शैतानसिंह ने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया तो वह एक ऐसी बात है कि जिससे प्रेरणा मिलती है हमको, उत्साह मिलता है और मेरे ख्याल से उनका नाम सदा के लिए चिरस्मर्णीय रहेगा ।

श्री हरिराम चौहान: फिर भी वह उनके प्रस्ताव को नहीं मान रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने नहीं सुना।

तो यह सीज़ फ़ायर की नीति है, यह घातक नीति है। क्यों घातक नीति है? आज पैलेस्टाइन में सीज़ फ़ायर है, विएतनाम में सीज़ फ़ायर है, कोरिया में सीज फ़ायर है और हमें यह कटु अनुभव है कि सीज़ फ़ायर काश्मीर के अन्दर है। सीज़ फ़ायर का अर्थ यह है 'युद्ध किस्म'। 'युद्ध विराम' का अर्थ है युद्ध विराम के साथ अगर आप संकटकालीन स्थिति दोहरायेंगे, लम्बायेंगे तो हमारे देश के लोगों में जो संघर्ष-शक्ति है, जो मोरल वेल्यू ऑफ़ रेजिस्टेन्स है, पॉवर ऑफ़ रेजिस्टेन्स है, वह धीरे धीरे मिट जायगी और इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर होगा। लोगों के अन्दर जो विश्वास है, वह सरकार खो बैठेगी। एक तरफ़ टैक्स लगेंगे, एक तरफ़ संकटकालीन स्थिति जारी रहेगी, एक तरफ़ तरह तरह की बातें होंगी और दूसरी तरफ देखें तो युद्ध विराम में, एक वस्तुस्थिति यह है कि हमको निरन्तर तैयारी करना आवश्यक है, तो हम ऐसी नाजुक स्थिति के अन्दर हमारी अर्थ-व्यवस्था, हमारी योजना, हमारी रक्षा-नीति बिना मित्रों के सहयोग के अकेले रह कर कभी भी सही रूप में सफलतापूर्वक सुलझा नहीं सकेंगे । बहुत कुछ हद तक, मैं यह भी स्पष्टतया कह सकता हूं कि यह सिद्धान्त, यह नीति जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की भी है

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): स्वतंत्र पार्टी के लिए आप कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: Do you represent all of them ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: कांग्रेस की नीति शायद बहुत कुछ हद तक कॉम्युनिस्ट पार्टी की नीती जैसी है। कॉम्युनिस्ट पार्टी की नीति है, घोषणा है, सिद्धान्त है उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बाउन्डरी उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती है। हम हमारा यह धर्म मानते हैं कि हमें हमारी बाउन्डरी की रक्षा करनी चाहिए। कॉम्युनिस्टों का जो विचार है वह है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाउन्डरी जैसी कोई वस्तु है उसे नहीं मानते। तो यह संघर्ष है सिद्धान्तों का। यह भारत सरकार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और काम्युनिस्ट नीति के दर्मियान है या नहीं, इसके ऊपर मैं विशेष विवेचन नहीं करूंगा। यह तो समस्या भारत सरकार और आप साहबान की है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है।

मेरे माननीय सदस्य जो बूंदी से आये हैं उन्होंने स्वर्ण नियंत्रित नियमों के संबन्ध में चर्चा की। इन नियमों को ध्यानपूर्वक मैंने देखा। यदि स्वर्ण हमारे देश से चोरी छिपे आता है तो नियम की रूप-रेखा कुछ और होती, लेकिन इन नियमों की रूप-रेखा स्पष्ट है और वह रूप-रेखा यह है कि लोगों का स्वर्ण ले लिया जावे और जो भी भाव सरकार क़रीब करीब निर्धारित करे उस भाव से उसको ले लिया जावे। जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं से, नागरिक अधिकारों के लिहाज़ से, मेरे पार्टी के सिद्धान्तों के यह सर्वथा विपरीत है। यदि सरकार स्वर्ण लेना चाहती है तो और रूप से भी, dictatorial authority से भी ले सकती है; लेकिन यह जो प्रयास किया गया है उससे मुझे आशंका है कि सरकार को स्वर्ण प्राप्त नहीं होगा। जो ईमानदार नागरिक हैं, जो पांच पांच वर्ष पूर्व वैल्थ टैक्सी फॉर्म भर चुके हैं और जिनको टैक्स का फॉर्म भरना है उनकी कठिनाई है; लेकिन जो निष्ठावान् लोग नहीं हैं, जिनमें देश के प्रति कोई सद्भावना या patriotic feeling नहीं है वे सुखी रहेंगे और बहुत कुछ हद तक जैसा मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद सोना गाड़ने की प्रवृत्ति, आदत पैदा हो गई उसी तरह से लोग सोना गाड़ेंगे। सोना बाहर जावेगा और सरकार का जो सोना प्राप्त करने का ध्येय है वह मेरे ख्याल से पूरा नहीं होगा और मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा १५ परसेन्ट या १२ परसेन्ट सोना मिले तो मिले, वह न मिला सा होगा। इसके अलावा किसान, मध्यम श्रेणी के व्यापारी की परम्परा यह रही है कि अपनी बचत को उत्तमोत्तम रूप से वह सुरक्षित रख सकता है तो स्वर्ण के रूप में रख सकता है। इससे उसको एक प्रकार से ठेस पहुंचेगी जिससे सरकार के द्वारा मध्यम श्रेणी के व्यापारी और किसानों के विचार सरकार के प्रतिकूल होंगे और उनका विश्वास धीरे धीरे सरकार के प्रति घटेगा। इसके साथ साथ जो हजारों की तादाद में हमारे कारीगर, स्वर्ण के मीनाकार, जो तबक का काम करनेवाले इसी जयपुर में व अन्य दूसरे प्रदेशों में हजारों और लाखों की तादाद में हैं वे बिल्कुल बेकार हो जावेंगे और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

भ्रष्टाचार, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, (मुझे यह खेद है कहते हुए) कि दिनों दिन, उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर यह भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो इसकी एक स्थिति बढ़ते बढ़ते यह आवेगी कि इसके द्वारा भी हमारे लोगों की पॉवर ऑफ रेज़िस्टेन्स, संघर्ष करने की शक्ति खत्म हो जावेगी। यदि यह शक्ति समाप्त हो जाती है तो हमारी जीवनी-शक्ति समाप्त होगी और यदि जीवनी-शक्ति समाप्त होती है, तो हमारी स्वतन्त्रता जो है वह निरर्थक रह जाती है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का पुरजोर ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिये ठोस कदम उठावें। इसके साथ साथ जो रक्षा-कोष हमने इकट्ठा किया है, समय समय पर लोगों की जानकारी के लिये, लोगों की तसल्ली के लिये घोषणा करनी चाहिये कि रक्षा-कोष किस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूप से व्यय किया जा रहा है। बहुत से लोग आज से यह कहना शुरू कर रहे हैं कि इस रक्षा कोष में भ्रष्टाचार आ गया, यह पुनीत पैसा इधर उधर हो जायगा और इसका कोई अर्थ हमारे त्याग और बलिदान का नहीं रहेगा।

राजस्थान सरकार ने जो रियायत जवानों के लिये, जो युद्ध में काम आये हैं, उनके परिवारवालों के लिये दी है मेरे ख्याल से वे अनुदार नहीं हैं। हमारा यह ध्येय रहेगा कि इनको कार्यान्वित कराने में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और इसकी व्यवस्था करने के लिये सुचारु रूप से इसको काम में लाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहें।

मेरे पूर्व-वक्ता, माननीय सदस्य ने यह बताया कि भूतपूर्व नरेशों ने कुछ भी सहयोग नहीं किया। मेरे ख्याल से भूतपूर्व नरेशों ने सहयोग दिया है और देंगे। प्रिवीपर्स का प्रश्न भारत सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है। हमको जो कहा गया उससे अधिक अधिकांश नरेशों ने सहयोग दिया है और देते रहेंगे। अगर सरकार रक्षा बोन्ड्स खरीदने के लिये व्यवस्था करना चाहें तो 'beggars cannot be the choosers' की कहावत के अनुसार सरकार की जो नीति होगी उसके अनुसार चलना होगा। माननीय सदस्य को यदि आपत्ति है तो शासनारुढ़ दल में वे बहुमत में हैं, चाहे जो कर सकते हैं; यदि आपके वायदों को एक तरफा रूप से समाप्त करना है तो चाइनीज़ यूनिलेटरल सीज़ फायर के समान यह भी समाप्त कर दीजिये, इसमें आपकी शोभा की वृद्धि ही होगी।

अध्यक्ष महोदय, रक्षा-कोष के सम्बन्ध में जो अनियमितताएं हुई हैं यदि उन पर पूर्णतया विचार किया जाय तो बहुत अनियमितताएं तो नहीं, पर हुई हैं और जो हुई और हमारे पास आई हैं उनको स्पष्टतया प्रकट करना मेरा पहला कर्त्तव्य है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मैं ऋषभदेव के पास बील कमाल जो आदिवासियों का ग्राम है वहां गया। वहां एक बलाई ने कहा कि उसके कान में से सोने की बालियां ले ली गई और पटवारी महोदय ने कोई रसीद नहीं दी। पारसोल गांव में मैं गया वहां दो विधावाएं थीं, बिल्कुल मध्यम श्रेणी की। उनमें से एक अंधी थी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके पास पर्याप्त रूप से खाने को रोटी नहीं है। उनको कहा गया कि ३००) रुपया रक्षा-कोष में दो। हमारी पार्टी के एम. एल. ए. वहां थे, उन्होंने बातचीत करते हुए १००) रुपये तक बात तय की। उनसे १००) रुपया लिया गया; यह १००) रुपया भी उनके लिये अधिक था।

एक माननीय सदस्य: तो आपके एम. एल. ए. ने दिलाया?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने सुना नहीं। सुनने की आवश्यकता भी नहीं।

इसी तरह महिड़ा ग्राम में ६००) रुपया चंदा देना निश्चित हुआ। तहसीलदार खैरवाड़ा के पास ६००) रुपये ले गये तो तहसीलदार ने कहा कि ३,०००) रुपया दो। वे लोग मेरे पास आये, मैंने समझा कि ३० घरों के लोग ६००) रुपया देते हैं तो उचित है। मैंने आदमी भेजा पर तहसीलदार साहब नहीं मिले, मैंने जब जब आदमी भेजा तो तहसीलदार वहां नहीं मिले। कुछ दिनों बाद तहसीलदार ने ६००) रुपया लिया और उनको रसीद नहीं दी। मेरा ख्याल है उनको रसीद

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मिल जायगी, पर उसी समय रसीद नहीं देना अनुचित है।

इसी तरह उदयपुर जिला प्रमुख ने दो-तीन गांवों में दूकानदारों, व्यापारियों को बुला कर मकानों में बैठा रखा और कहा कि यह करेंगे, वह करेंगे, कैद कर देंगे और इस तरह दबा कर उनसे पैसा लिया बावलावाड़ा और बंभोरा में। मेरे पास लिखित सुबूत हैं। रघुनाथ पारीख, स्वर्णकार सारनाम, तहसील हनुमानगढ़ एक गरीब आदमी है। वह लिखता है कि उसको बुला कर दो घंटे रोका गया, उसने कहा कि मेरे पास सोना नहीं है, खरीद कर दे सकता हूं तो उसे छोड़ा गया और उसने एक तोला सोना खरीद कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि यह सच ही है, पर इसके बारे में दर्याफ्त करना चाहिये। मैंने सुना, जो कि साबित होना कठिन है, जो कुछ सुना वह कह रहा हूं। बी. डी. ओ. सादुलपुर, हनुमानगढ़ तहसील ने, लोगों से जो स्वर्ण प्राप्त हुआ था उसकी सील तोड़ी और उस सोने में मिश्रण कराया, स्वर्णकार को देकर गलाया। मिश्रण के पश्चात् तोला तो मिश्रण सोने को अलग रख कर बाकी के सोने का न मालूम क्या हुआ? एक्साइज इन्सपेक्टर को पता चला तो उसने सोना और स्वर्णकार को अपने कब्जे में ले लिया, तो बी. डी.-ओ. विनोदकुमार ने एक्साइज इन्सपेक्टर को लिख कर दिया कि यह सोना रक्षा-कोष का है इसे छोड़ दिया जाय। इसके पश्चात् वह सोना छोड़ा गया। वह सोना कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को तोलने के लिये इकट्ठा किया गया था और रक्षा-कोष के हेतु था।

तो स्वर्ण तुला जनतन्त्र के लिये अशोभानीय परम्परा है। राजा-महाराजाओं का जमाना नहीं, खुशी का मौका नहीं, चीन पर विजय प्राप्त करके बड़े बड़े नेताओं और प्रधान मन्त्री को तोलें तो फिर भी समझ में आ सकता है, पर स्वर्ण तुला की प्रथा जनता में बहुत बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।

तो मेरा निवेदन है कि यदि आपको, देश को इस हद तक तैयार करना है कि हम चीन का सचमुच में सामना करें तो आप इस संकटकालीन स्थिति को जारी रखें। यदि आपका इरादा ही नहीं है और यदि सीज़ फायर, तटस्थता के सम्बन्ध में विचार करके यों ही बैठे रहना है तो उस हालत में यदि आप इस संकटकालीन स्थिति को चलायेंगे तो भी नहीं चलेगी। इससे तो उचित होगा कि आप जनता और नागरिकों को उनके अधिकार वापिस दें और इस संकटकालीन स्थिति की घोषणा को समाप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की संकटकालीन स्थिति के अन्दर मितव्ययता भी एक महान् महत्व रखती है। मैं माननीय मन्त्रियों को यह निवेदन करूंगा कि वे पंजाब का जो उदाहरण है उस पर विचार करें। पंजाब का उदाहरण प्रशंसनीय है। यदि पंजाब में ३१ मिनिस्टरों से घटा कर ७ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यह स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि अगर पंजाब संकटकालीन स्थिति में ७ मिनिस्टरों से काम चलाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी—जन को, कांग्रेसजन को संतोष दिलाने के लिये आपको पॉवर ऑफ़ बार्गेनिंग करने के लिए, least line of resistance adopt करने के लिये ७ के बजाय ११ मन्त्री पर्याप्त हो सकते हैं। कहां ३१ और कहां ७? '१२ हाथ ककड़ी और १३ हाथ बीज' का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नमूना है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को, मन्त्री महोदयों को निवेदन करूंगा कि मन्त्रिमण्डल में कमी करने पर विचार करें।

राज्य कर्मचारियों के--सिद्धान्ततः उनके बारे में मैं विशेष नहीं कहना चाहता। वे शासन के रक्षक हैं। परन्तु उनसे इतना निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे दौरे अगर करें तो सोच-विचार कर करें, भत्ता कमायें न कमायें, राज्य सेवाओं के लिये यथोचित रूप से वे भत्ता लें तो मेरे ख्याल से वह उचित होगा।

इसके साथ साथ मैं यह समझता हूं, अपने व्यक्तिगत विचार से कि ग्राम सेवक फ़िजूल है। अमुक जगह परीक्षण के तौर पर ग्राम सेवक रहें, अमुक जगह विलेज वॉलन्टियर कोर बने परीक्षण के तौर पर, आप उसको सफल करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायें तो मैं समझता हूं यह बुद्धिमता है, योजनाबद्ध विचाराधारा है। लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में यह है कि अब से ही हर एक गांव में एक ग्राम सेवक रखा जावेगा और हर एक गांव में वॉलन्टियर कोर बनायी जायगी। प्रेक्टिकल रूप में, कम से कम मेरी बुद्धि से परे है, यह संभव नहीं है। ग्राम सेवकों का फिजूल खर्चा है, सरकार को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। दूसरा ग्राम-काकियां भी रख छोड़ी हैं सरकार ने।

श्री मोतीलाल चौधरी: 'ग्राम काकी' आपके यहां भी होगी?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: 'ग्राम काकियां' समस्त राजस्थान में हैं। वे तो मेरी काकी के समान हैं, लेकिन समस्त समाज के दृष्टिकोण में वे करम फोड़ती हैं।

सहकारिता के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहूंगा। राज्यों के सहकार मन्त्रियों के जल्से में अभी श्री एस. के. डे ने यह स्पष्टया प्रकट किया था कि सहकारिता आन्दोलन देश के अन्दर पूर्णतया सफ़ल नहीं हो पाया है। श्री एस. के. डे ने उसके साथ साथ यह भी कहा कि उनके मन्त्रालय को वह बन्द तक करने के लिये तैयार हैं, उसकी यदि उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। उसका मूल कारण मैं यह समझता हूं कि सरकार अपने निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर पाती। अगर सरकार अपने निर्णयों को आधे भी रूप में कार्यान्वित करती तो आज की स्थिति नहीं आती। राजस्थान सरकार इस योजना में भी काफ़ी बचत कर सकती है। मेरा अन्दाज है, लगभग २० करोड़ रुपया सरकार और जनता का इस योजना में लगा हुआ है।

एक पत्र है, मैं नहीं कहता कि सरकार उसका एक एक अक्षर स्वीकार करे, लेकिन उसने जो दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं वे सर्वथा गलत नहीं हो सकतीं। मैं एक्स्ट्रेक्ट के रूप में सुनाऊंगा। सुनाने में अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा।

"It is stated that over 15,000 co-operative societies in Rajasthan handed over Rs. 3 crores of share capital and Rs. 15 crores of working capital. A large number of these societies are reported to be existing only on paper. Gross mismanagement is rampant in most of the societies that are languishing. In all these cases, the co-operative

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

spirit is at a discount and the only motivating factor appears to be to grab as such public money as one can lay hands on."

फिर थोड़ी दूर पर यह है :--

"It would, in this connection, be germane to point out that, in several cases, co-operative societies have not been inspected at all on orders, verbal of course, of politicians, who have developed vested interest in them. It is about time, the member of Parliament and the organs of public opinion cried a halt to Mr. Dey's game of fooling all the people, all the time. This co-operative racket must be blown up to smithereens."

इतना स्ट्रोंग इसका कन्डेमेशन है।

श्री मोतीलाल चौधरी : कौनसे पेपर में है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Flame । मैं एक्स्ट्रेक्ट दे सकता हूं। मेरे पास है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अंग्रेजी में है।

(श्री ज्वाला प्रसाद के बोलने के लिए प्रस्तुत होने पर) आप कम बोलिये, डाक्टर ने आपको मना किया है। अभी ओपरेशन हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५८ में सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विचार के अनुसार यह निर्णय किया कि एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी हर-एक गांव में हो। मुझे एक हद तक यह प्रतीत होता है कि यह भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, कृत्रिम संस्थायें, इस निर्णय के फलस्वरूप पैदा हुई हैं और यह प्रोसेस बढ़ा है, यह प्रक्रिया बढ़ी है और दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट पर सर्वप्रथम क्वालिटेटिव बेसिस पर विचार किया जाय, क्वान्टिटिव पर विचार किया जाय। आप यह सोचते हैं कि हरएक गांव में कोआॅपरेटिव सोसाइटी क़ायम करें, यह आपका प्रयास सफ़ल नहीं हो सकता, किन्तु पहले हम उन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन दें जो चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से यह मूवमेन्ट धीरे धीरे सफल हो सकता है और क्वालिटी को छोड़ कर क्वान्टिटी को आधार बनाया तो सहकारी आन्दोलन सफलता किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा यह ख्याल है कि प्रत्येक गांव में कोआॅपरेटिव सोसाइटी होने के बजाय दो-तीन गांवों को मिला कर एक सोसाइटी होनी चाहिये। आपसी सहकारिता में लोग भावना रखें। एक ही गांव में सहकारिता की भावना उत्पन्न होना असंभव है। बड़ी सोसाइटीज़ बनें। क्वालिटी पर विचार करके यदि आप चलेंगे तो सहकारिता को प्रोत्साहन काफ़ी मिलेगा। उसके साथ साथ मार्केटिंग और क्रेडिट के मुद्दों को भी आप ध्यान में रखे तो मेरे ख्याल से यह आन्दोलन सफलतापूर्वक चल सकेगा।

जन साधारण की आप सेवा इस आन्दोलन के द्वारा करना चाहते हैं तो मार्केटिंग और क्रेडिट दोनों प्रकार की सोसाइटीज का ध्यान रखें और इस बात

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

का ध्यान रखते हुए यह काम मिशनरी स्पिरिट के कर्मचारियों को सौंपें तभी जाकर सफलता प्राप्त हो सकती है, वर्ना मुझे सफलता प्राप्त होना असंभव सा प्रतीत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजना के अन्तर्गत ग्रामदान की ओर भी ध्यान दिया जाय तो वहां पर भी बहुत अनियमितता हो रही हैं। पंचायत समितियों में चर्चायें होती हैं इस संबंध में कर्मचारी श्रेय लेते हैं, अधिकांश ग्रामदनी जो योजना के अन्तर्गत होती है उसके अन्दर जितनी भी कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें ८० प्रतिशत सोसाइटीज़ कृत्रिम लगती हैं। अभी हमारे डूंगरपुर ज़िले में तहसील सागवाना का जोलो नोखना गांव है, वहां पर एक आदमी को, ग्राम नोखना से कुछ दूर पड़ौसी गांव के बीड़ की ज़मीन वहां की कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी को दी गई है। उसके पच्चीस-तीस रिश्तेदार हैं। उन्होंने मिल कर तथा-कथित सोसाइटी को स्थापित की। उनके एक नेता हैं वे ही उसका लाभ उठा रहे हैं, उससे दूसरी जनता को कोई लाभ नहीं। वहां के लोग कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी और ग्राम-दान का अर्थ भी नहीं समझते। वहां के लोगों ने मुझे आकर कहा, अगर कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी कायम करने का यही अर्थ है कि तीस-पैंतीस आदमी ही उसका लाभ उठावें, दूसरी जनता को कोई फायदा नहीं हो तो वह गांव हम ग्रामदान में नहीं देना चाहते, हम तो वापिस लेना चाहते हैं। जब तक इस प्रकार की पॉलिसी चलती रही तो जिस प्रकार की नीति को हम कार्यान्वित करना चाहते हैं वह नहीं होगी। जब तक हम 'Do or die' के सिद्धान्त को लेकर काम नहीं करेंगे तब तक यह को ग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट कामयाब नहीं होगा। 'मरो या मारो' इस सिद्धान्त को लेकर नहीं चलेंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: 'मरो, मारो और मर जाओ' यह नीति चाहते हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: 'Do and die' से मेरा मतलब है 'करो या मरो',

जो गांधीजी का सिद्धान्त है। इसकी आज आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल चौधरी: हम तो इसी सिद्धान्त पर चल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आप तो गांधीजी के सिद्धान्तों से सौ कोस दूर चले गये हैं। स्वतन्त्र पार्टी गांधीजी के सिद्धान्तों पर चल रही है।

छोटे उद्योग-धंधों के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा जो कर्जा इसके लिये दिया जाता है वह कर्जा ६६ प्रतिशत व्यक्तिगत कर्ज़ चुकाने, जायदाद खरीदने, दूकानें या बंगले आदि बनाने के अंदर काम में लेते हैं। दस-पन्द्रह प्रतिशत मुश्किल से ही क़र्ज़े का सदुपयोग होता है। हर एक ज़िले के अन्दर आपका उद्योग अधिकारी है, राजस्थान सरकार का लम्बा-चौड़ा स्टाफ है। ऐसी हालत में यह जांच करना परम आवश्यक है कि जो रकम छोटे उद्योग धन्धों के लिये कर्जे के रूप में ली जाती है उसका सही तौर से उपयोग होता भी है या नहीं। सदुपयोग किस हद तक हुआ, दुरुपयोग किस हद तक हुआ, यह देखने का है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यही बात कोटाज़ के संबंध में है। उद्योगों के संबंध में दिये जाने वाले कोटे की यह हालत है कि ८० प्रतिशत पार्टीज़ जो कोटा प्राप्त करती हैं वे कोटा-खाउ हैं, कोटा पाने वाले अफसर के रिश्तेदार होते हैं या मन्त्री महोदय के रिश्तेदार होते हैं या उनके कृपा पात्र होते हैं। केवल नाम की तख्तियां लगा कर सरकार से कर्जा प्राप्त कर लेते हैं, कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इस संबंध में दो-तीन नाम उदाहरण के रूप में लेना मैं परम आवश्यक समझता हूं। यह मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सच है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, एक श्री दीना भाई हैं जिनका माननीय मुख्य मन्त्री से संबंध है। उनको दस टन नोन फ़ेरस मेटल का कोटा मिला। उस कोटे को बेच खाया। उसके बाद फिर दूसरी बार उन्हीं के नाम दस टन नॉन फेरस मेटल का कोटा मिला। इसी तरह से चतुर्भुज भाटिया हैं, जिनको श्रीनाथजी मन्दिर के इनक्वायरी के संबंध में इन पर कई प्रकार के स्ट्रिक्चर्स भी पास किये गये वे मुख्य मन्त्रीजी के बहुत कृपापात्रों में से हैं। उनके ऊपर कमीशन ने स्ट्रिक्चर भी पास किये हैं, उनको श्रीनाथजी मेटल वर्क्स, उदयपुर सिटी के नाम से दस टन नॉन फेरस मेटल का कोटा मिला। लेकिन उस मेटल फैक्ट्री का नामोनिशान नहीं। इसी प्रकार श्री ज़ाकिरहुसैन को अम्ब्रेला फैक्ट्री के लिये पन्द्रह हज़ार रुपया दिया गया। श्री मीठालाल को ३० हज़ार रुपया दो किश्तों में अम्ब्रेला फ़ैक्ट्री के लिये दिया गया, इसके लिये भी सुना जाता है कि कोई फ़ैक्ट्री नहीं खोली है। इसी प्रकार हीरालाल कसेरा को जो डूंगरपुर का रहने वाला है ६ हज़ार रुपया तांबा-पीतल के बर्तन बनाने के लिये दिया गया, उसके बजाय उन्होंने बंगला बनाया और साइकल शाप चलाते रहे। श्री भगवतीशंकर डूंगरपुर के हैं जिनको १७ हज़ार रुपया बागड ऑटो वर्क्स के लिये मिला। ऑटो वर्क्स का अभी तक तो नाम नहीं, इसके अलावा उनमें ४० हज़ार रुपया सेल्स टैक्स का बाकी है। अगर मेरी पार्टी का कोई आदमी ४० रुपये भी वक्त पर जमा नहीं कराता है....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : (नसीराबाद)

On a point of order, sir, the Leader of the Opposition is making very sweeping charges against some firms and individuals, who are not present here. These are allegations about them. So I have raised a point of order. My point of order is............

श्री रामकिशन : हिन्दी में बोलिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अपोज़ीशन लीडर ठीक हैं। जहां कहीं रुपये का दुरुपयोग होता है, हालांकि वह पार्टी हाउस में उपस्थित नहीं भी है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा सकती है; इसलिये माननीय विरोधी पक्ष के नेता कह रहे हैं उसमें अनुचित नहीं है। वे यहां मौजूद नहीं हैं, फिर भी सरकार उनकी जांच कर सकती है?

श्री ज्वाला प्रसाद : मैं अर्ज़ यह कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि यह सवाल सिद्धान्त का है। मुमकिन है कि लीडर की

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

बातों को लीडर साहब अलाउ करदें। लेकिन इस तरह से सब माननीय सदस्य नाम लेने लगे तो बहुत बड़ी लिस्ट आ सकती है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: आपने भी खादी बोर्ड के बारे में बहुत बड़ी लिस्ट रखी थी।

श्री राधा कृष्ण गोयल: लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मेरा नाम लेने की तो आप जैसों की हिम्मत नहीं हो सकती।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: मैं यह नहीं कहता उपाध्यक्ष महोदय, कि जांच नहीं होनी चाहिये। जहां भी गलती हो ठीक किया जाना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था का यह सवाल है, लीडर महोदय अलाउ कर सकते हैं, विरोधी दल के नेता किसी चीज़ को पोइन्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह देखना है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस में इतनी बड़ी लिस्ट आ सकती है इसका यहां क्या मतलब निकल सकता है? आज एमर्जेन्सी की हालत में कोई भी माननीय सदस्य भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या इतनी बड़ी लिस्ट सदन में रखना उचित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं जहां तक आपके पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर को समझा हूं आपका एतराज यह है कि जो इस सदन में नहीं है उनका ज़िक्र नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन भाषण के दौरान में अगर माननीय सदस्य कोई उदाहरण पेश करते हैं तो वह उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वे इसके सुबूत दृढ़ता के साथ दें। इस प्रकार के उदाहरण वे पेश कर सकते हैं, मैं समझता हूं इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के अनुसार जो लिस्ट दी गई है उसकी जांच होकर सदन को उससे परिचित कराया जाय कि फलां बात सच है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: वह हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : For the information of the Hon'ble Member, I only wanted to point out specific instances. I do not cast aspersions. It is necessary to point out specific instances in order to achieve my object.

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member is quite at liberty.

श्री रामकिशन : हिन्दी में कहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब मैं विशेष उदाहरण नहीं रखूंगा। ये उदाहरण ऐसे हैं जो मेरे पास आये हैं, ये मैंने सदन के विचार के लिये आपके समक्ष रखे हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अजमेर के उदाहरण बता दें तो तसल्ली हो जावेगी उनको।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: जयपुर की भी बहुत बता दी जावेगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जयपुर की तो मैं खुद पेश करूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : नसीराबाद को पहले पेश कर दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जंगल के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। जंगलों की हदबन्दी से भी लोगों को काफी उत्पीड़न हुआ है। हदबन्दी अगर हो तो ग्राम विस्तार के लिये गांवाई जंगलों की कोई न कोई सीमा निर्धारित करके पड़ौसी गांवों के लिये जंगल छोड़ने के पश्चात् सरकारी जंगलों की हदबन्दी होनी चाहिये, यह नहीं कि खेतों के पास में हदबन्दी हो जावे, लोगों के घरों के पास से हो जावे। जहां पर कुछ जंगल खड़ा हुआ देखा छोटा-मोटा, ऊट-पटांग रूप से सरकारी कर्मचारी जाकर हदबन्दी कायम करते हैं, तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। जंगलों की रक्षा करने के लिये गांव वालों को जंगलों के हित साफ तौर से समझाना चाहिये उनका सहयोग इसमें प्राप्त करना चाहिये, और यथाशक्ति उनका सहयोग प्राप्त करने के पश्चात् हदबन्दी करनी चाहिये। जो जंगल करीब करीब डीफोरेस्टेड हैं, करीब करीब नाश हो चुके हैं, परन्तु उनमें भी जंगल पैदा होने की सम्भावना हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह नहीं कहता कि ठेकेदारी बिल्कुल ही समाप्त कर दी जावे, किन्तु ठेकेदारी के सिद्धान्ततः मेरी पार्टी विरुद्ध है। परन्तु यदि ठेके भी कायम रखे जावें और सरकार यदि कायम रखना चाहती है तो एक-दो वर्ष से अधिक के ठेके नहीं देने चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह नई नीति कब से अपनाई है आपकी पार्टी ने? ठेकेदारी का विरोध करने का प्रस्ताव आपकी पार्टी ने कब पास किया?

श्री रामकिशन : आप मेम्बर बन जावेंगे तब पता लग जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो ठेकेदारियों और लाइसेन्सों और परमिटों का राज चला रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने यह ठेकेदारी प्रथा का विरोध करने का विचार ऑल इण्डिया बेसिस पर किया या राजस्थान बेसिस पर ही किया है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तीन वर्षों के लिये पानरवा जंगल १८ हजार में ठेके पर दिया गया। मैंने विश्वस्त रूप से मालूम किया है और मेरा अनुमान है कि वहां के ठेकेदार ने एक साल में १० लाख रुपया कमाया पर एक कौड़ी भी उसने आज तक इन्कम टैक्स, सुपर टैक्स, सरचार्ज ऑन इन्कम टैक्स का नहीं दिया है और वह ठेका उसी सीमा में चल रहा है जो निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं है, जो सीमा निर्धारित है उससे भी अधिक रकबे पर कब्जा किया हुआ है, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से लकड़ी कट रही है और दो-दो सौ और ढाई-ढाई सौ रुपये फी ट्रक के हिसाब से लकड़ी चली जा रही है और मनमाने तौर पर कटाई हो रही है।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : यही नहीं, खेतों की जमीन में खड़े पेड़ों पर भी कब्जा कर लिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खेतों पर लोगों के लगे वृक्ष भी काट कर ले गये हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डाकू हैं वे तो फिर।

श्री गिरधारीलाल व्यास: चाराजोई करें फिर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप मानें तो मानें, न मानें तो मत मानें।

बांसवाड़ा में चिप्स बोर्ड की फ़ैक्ट्री क़ायम की। ३० साल का ठेका दिया। यह ठेका भी सर्वथा सिद्धान्ततः अनुचित है।

मछलियों के ठेके के सम्बन्ध में भी अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, मुझे कहना है। यदि सरकार ठेकेदारी करती है तो इसको तो बड़े बड़े तालाब जो सरकार बांधती है उन पर करे। इसमें इतनी बुरी बात नहीं। पर छोटे छोटे गांवाई तालाबों में ठेका दिया जाता है और वहां पर एकदम अचानक रूप से ठेकेदार आकर खड़ा हो जाता है और मच्छी मारना शुरु करता है तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो क्षेत्र है, वह पिछड़ा हुआ है। बहुत से छोटे छोटे गांवाई तालाब हैं वहां पर भी मछली मारने का आज कई सदियों से आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है। जब गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो वे मछली मारते हैं। अब उन्हें रोकना और उनकी रोज़ी-रोटी में इस तरह से ठेस पहुचाना सर्वथा अनुचित है।

वन्य-जन्तुओं की रक्षा के सम्बन्ध में मुझे दो शब्द निवेदन करने है। चिकारा और कालिया हिरन को मारना समस्त राजस्थान में निषिद्ध कर दिया गया है। मेरे ख्याल में इससे कोई लाभ नहीं। इससे भ्रष्टाचार को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ५०० स्क्वायर माइल में ५-१० चिकारा हैं तो उनमें एक दो चिकारे कम ही होंगे, बढ़ नहीं सकते। आज लोग जिस तरह से इनको मार रहे हैं उसको देखते हुए यदि सरकार चिकारा को और कृष्णमृग को सुरक्षित करना चाहे और कृष्णमृग तो एक ऐसा जन्तु है जिसकी सानी का दूसरा मृग विश्व में शायद एक भी नहीं होगा और वह शारीरिक और सींग की स्थिति से राजस्थान में पूर्णतया प्रस्फुटित है, तो यह अच्छा है। इसलिये यदि इनकी दो-तीन जगह रक्षा की जावे तो उनकी रक्षा भी सार्थक होगी। पर मृगया जैसी वस्तु को, मृग मारने जैसी वस्तु को राजस्थान भर में बन्द कर देना मेरे ख्याल से सर्वथा अनुचित है और अदूरदर्शिता का प्रदर्शन है। मेरा यह निवेदन है कि जहां पर खास करके बिश्नोइयों की बस्ती है, वे स्वयं चाहते हों कि मृग की रक्षा हो तो कोई ऐसी बस्ती के आस-पास कोई क्षेत्र निर्धारित करके मृगों को रक्षण दिया जावेगा तो मेरे ख्याल से यह योजना क्रियान्वित सफलतापूर्वक हो सकती है।

मैं नगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको स्थगित करना अनचित होगा। इनके इलेक्शन भी होने चाहिये।

विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह भी जो हमारी इलेक्शन की पद्धति है यह कन्टीन्युइंग प्रोसेस है, लगातार सी पद्धति होगई है। यह भावनात्मक एकता के विपरीत है। इससे कटुता बढ़ती है। अगर आप विकेन्द्रीकरण की योजना चाहते हैं तो अवश्य इसको आप रखिये। पर इसको आप जनरल इलेक्शन के साथ साथ-कोटर्मिनस रखिये।

तीन वर्ष के अन्दर विकेन्द्रीकृत पंचायतों का इलेक्शन होता है। फिर होता है आम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चुनाव। इससे मेरे ख्याल में हानि अधिक है लाभ की बनिस्बत।

मैंने गये साल भी विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत न्याय पंचायतों के चेयरमैन के सम्बंध में भी निवेदन किया था। डॉक्टरों को भी सर्टिफ़िकेट चाहियें, लीगल प्रक्टिशनर को भी प्रमाण-पत्र चाहिये, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव-प्रशासन सम्बन्धी और क़ानून सम्बन्धी व्यवस्था को आप विभाजित करना चाहें, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को विभाजित करना चाहें तो मेरे ख्याल से सर्व प्रथम चरण न्याय पंचायत का है, वहां पर भी आपको कोई न कोई चेयरमैन के लिये मिनिमम योग्यता चाहिये। इसके अभाव में वहां तो बदले की भावनाएं निकलती हैं; अर्थ का अनर्थ होता है और न्याय के बजाय अन्याय होता है।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि तीन-चार और हर पांच वर्ष के बाद सरकारी कर्माचारियों का भी तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना चाहिये। बी. डी. ओ. घाटोल सात वर्षों से वहां पर हैं। मैं जानता हूं कि खुले आम कांग्रेस का प्रचार करते हैं। अब तो चुनाव का भी कोई समय नहीं है और सात वर्षों से तरह तरह के शासक पार्टी के हितों की रक्षा वे करते रहे हैं। सात वर्षों के बाद उनका अब भी अगर तबादला हो तो यह सर्वथा उचित होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

डूंगरपुर में रेन्जर आज १२ वर्ष से है, उसके बारे में तबादले पर विचार किया जाय। सागवाड़ा में डॉक्टर ६ वर्ष से है, इनके तबादले पर भी विचार किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले ३, ४, ५ वर्ष में होना परम आवश्यक है। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मेरा समय अगर समाप्त होता है तो मैं थोडी बहुत बात भूमि के संबंध में निवेदन करूंगा। गत दस वर्षों से उपाध्यक्ष महोदय, किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं उसके प्रति जो सरकार का व्यवहार है उस संबंध में भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। लगान किसानों पर ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत बढ़ चुका है। अगर कोई किसान नोतोड़ करता है तो उस पर पैनल्टी लगती है। पैनल्टी उसके लगान से दुगुनी लगाई जाती है। सन् १९६१ के बाद की नोतोड़ करने पर चार गुनी पैनल्टी लगाकर उस किसान को बेदखल कर दिया जाता है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि किसान के हितों को मद्देनजर रखते हुए अगर उसको बेदखल किया जाये तो पहले के शासन में यह नीति थी कि उसको प्रोत्साहन दिया जाता था, जितनी भी ज्यादा जमीन वह जोत सके उतनी जोतने की इजाजत दी जाती थी, उसको प्रोत्साहन दिया जाता था; उसके विपरीत आज अगर भूमि की कमी है तो कम से कम यह एलान होना चाहिय, हर गांव में एलान होना चाहिए, इश्तिहार चस्पे होने चाहिये कि अमुक समय के पश्चात् अगर कोई नोतोड़ करेगा तो उस पर पैनल्टी लगायी जायेगी। लेकिन ६१ के बाद जो नोतोड़ करेगा, चार गुनी पैनल्टी लगा कर बेदखल कर दिया जायगा यह मेरे ख्याल से बहुत सख्ती का बर्ताव है। बेटरमेन्ट लेवी, इरिगेशन सैस भी हजारों की तादाद में किसानों को देना ही पड़ता है। इरिगेशन टैक्स भी बहुत बढ़ा दिया गया है, उसका एक उदाहरण में आपके समक्ष रखना चाहूंगा

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

कि फलासिया तहसील में एक छोटा सा नाला है बहता हुआ; वहां पर लोगों ने मेहनत से पत्थर और मिट्टी से बांध बनाया और लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की और वहां पर २०-२५ बीघा गेहूं की काश्त की तो वहां पर ७ रुपया फी बीघा के हिसाब से इरिगेशन टैक्स लगाया। इस संबंध में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कई वर्षों की तकावी ताबड़तोड़ एक साथ क्यों वसूल की जा रही है? यह तो एक व्यवस्था ऐसी है कि "उल्टा चोर कोतवाल को दन्डे"। सरकार ने इतने अधिक समय की तकावी क्यों इकट्ठी बकाया रखी, उसको वसूल क्यों नहीं किया? जब इकट्ठी हो गयी तो ताबड़तोड़ रूप से वसूल करना गलत है, उसको किश्तों में वसूल किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: I will draw the attention of the Hon'ble Member....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: You have already taken more than an hour and a quarter please.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): पार्टी के अन्य स्पीकर्स को कम समय कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: Please continue.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: दो शब्द अब मैं मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के संबंध में कहूंगा। सागवाड़ा तहसील का हैड-क्वार्टर है और वहां पर हाई स्कूल है, अस्पताल है, सड़क तथा बिजली है। सलूम्बर में अस्पताल है, बिजली है, हाई स्कूल है, सड़क है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का यह सौभाग्य है कि इन चारों में से एक भी चीज वहां पर नहीं है। तो कोई न कोई युनीफॉर्मिटी तो होनी चाहिये। कोई न कोई ऐसा मापदण्ड होना चाहिये कि तहसील हैडक्वार्टर में अमुक अमुक प्रकार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भ्रष्टाचार को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि सब चीजों में मिश्रण है। घी, दूध, दही, अन्न और शासन में भी मिश्रण है। अगर स्वर्ण जैसी पवित्र चीजों में इस सरकार ने मिश्रण करके हमारी भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाई तो यह सरकार के लिये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि यदि देश के अन्दर जनतंत्र को दृढ़ बनाना है तो इस भ्रष्टाचार के विषय में विचार करें, नहीं तो हमारी आजादी खतरे में है और अवश्यमेव खतरे में है।

श्री उपाध्यक्ष: (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३.०८ म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): [संशोधन इस प्रकार है: "धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जावें:

'किन्तु खेद है कि संकटकालीन स्थिति के उपरान्त भी मंत्रि-मंडल में कटौती एवं प्रशासनिक व्यय में कमी करने का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है,"]

उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मैंने कुछ शब्द जोड़े जाने हेतु मैंने एक संशोधन रखा है परन्तु खेद है कि संकटकालीन स्थिति के उपरान्त भी मंत्रि-मण्डल में कटौती एवं प्रशासनिक व्यय में कमी करने का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह प्रस्ताव ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। पिछले दिनों में जब पिछली बार इस सदन का अधिवेशन हुआ था और २० अक्टूबर, १९६२ को भारत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की उत्तरी सीमा पर चीन ने अचानक भारी मात्रा में बर्बर हमला किया था उस समय भी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर इस सदन में वाद-विवाद भी हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार व्यक्त किये गये। उस अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर आज फरवरी का अंतिम सप्ताह है, लगभग चार महीने होने को आये। हमारे राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रयास किये गये उसका संकेत राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिया है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्र पर आई विपत्ति का सवाल है, उसका सामना करने का सवाल है, उनके प्रयत्नों में सहयोग देने का सवाल है मैं समझता हूं कि राजस्थान में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक पार्टी को छोड़कर लगभग सभी लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग सरकार को दिया है। राजस्थान के अन्दर भी जो कुछ प्रयास हुए सरकार की ओर से उन प्रयासों में सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार को इस संबंध में सावधानी रखनी चाहिये थी कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो रही हैं कि जिनके कारण उन युद्ध प्रयत्नों में कोई ढिलाई या युद्ध प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हुई है।

इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जितनी भी बातें यहां सदन में रखी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय उन बातों की ओर नहीं लेना चाहता लेकिन इतना अवश्य है कि आज राजस्थान के अन्दर कई अनेक भागों में कई प्रकार की शिकायतें सुनने को मिली हैं और मैं समझता हूं कि उन शिकायतों की जानकारी मुख्य मंत्रीजी को भी है। वे इस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे, किस प्रकार का कदम उठायेंगे यह वे बतायेंगे। जिस समय शिकायतों की सूचना मिली और हमने जब इस प्रकार की शिकायतें कीं कि कई स्थानों पर कई सरकारी अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करके चन्दों की वसूली कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के मामले नोटिस में लाये गये और जयपुर में भी उदाहरण हैं कि जहां राज्य सरकार ने व्यवस्था की कि उनको रोका जाय; लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के उदाहरण यदि सामने आये हैं और यदि सरकार ने इस प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति इस प्रकार के साधनों के द्वारा की है तो निश्चित बात है कि इसके कारण युद्ध प्रयत्नों में ढिलाई आई है।

जिन लोगों ने खुले दिल से चन्दा दिया, जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया, मैं समझता हूं यदि उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती की गई तो अगली बार चन्दा वसूल करने में, अगली बार पैसा रक्षा-कोष के लिये लेने में बहुत बडी मुश्किल हो जायगी। अनेक गांवों के लोग शिकायत करते हैं कि तहसीलों में १) रु० बीघा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, पंचायत समितियों और जिला परिषदों और तहसीलों में लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, ब्लॉक में लक्ष्य निर्धारित किया गया है और हर पंचायत समिति या जिला परिषद् इस तरह का प्रयत्न कर रही है जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने इस बात का संकेत किया है कि राजस्थान के रक्षा-प्रयत्नों की दृष्टि से जहां तक चन्दे की वसूली का सवाल है, धन-

Page No.75

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)
राशि इकट्ठी करने का सवाल है राजस्थान की पंचायत समितियों और जिला-परिषदों ने बड़ा भारी सहयोग दिया है। पंचायत समितियां और जिला परिषदें स्वायत्त-शासन संस्थाएं हैं, इनके बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनमें सरकारी अधिकारी भी काम करते हैं। यह बात नामुमकिन है कि हमारी पंचायत समितियां और जिला परिषदें लक्ष्य निर्धारित करें और विकास अधिकारी उसमें निष्क्रिय रहें। वह निष्क्रिय नहीं रह सकता है। इस दृष्टि से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदमियों की शिकायत जो आती हैं तो उन शिकायतों के बारे में यह दृष्टिकोण नहीं रखें कि ये शिकायतें निराधार हैं, सुबूत नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संबंध में सुबूत देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आखिर रक्षा-कोष में देना एक पवित्र कार्य है लेकिन इसमें नाजायज प्रभाव से लेने का जो एलीमेन्ट है वे सारी बात नहीं होनी चाहियें। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ राजस्थान में हुआ उसके साथ एक बात नहीं भुला सकते हैं जिसके कारण जनता के मन में एक विपरीत प्रभाव पड़ा और जो मुझे भी खेदजनक दिखाई दी।

रक्षा-प्रयत्नों के लिए चन्दा इकट्ठा किया जाय, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में दो करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह दो करोड का लक्ष्य राजस्थान में पूरा किया गया या नहीं? दो करोड की राशि बहुत ज्यादा नहीं है। राजस्थान जैसे राज्य के लिये जहां एक एक गांव में १९-२० करोडपति हों, यह कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दृष्टि से प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चन्दे की वसूली के लिये राशि इकट्ठी करने के लिए सरकार की ओर से जिस प्रकार प्रयास किया गया है उसके खर्चे का यदि हिसाब लगाया जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, वह राशि आधी ही रह जाय। मंत्रियों में होड़ सी लग गयी है। हर आदमी में यह हुआ कि इस जिले में इसको तोला गया है तो हम इस जिले में इसको तोलेंगे। इस तरह की बातों में नेता लग गये। एक गृह मंत्री को लाया तो दूसरे ने वित्त मंत्री को लाने की कोशिश की। वह वित्त मंत्री को ले आया तो तीसरा प्रधान मंत्री को लाने की कोशिश कर रहा है। यह जो कोशिश है इसके कारण जो एक प्रकार का टूरिंग प्रोग्राम बनता है इसके कारण जो यात्रा व दूसरी चीजों में खर्चा होता है, इसके लिये यह कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दैनिक भत्ता लेना बन्द कर दिया है, लोगों ने इस प्रकार की मांग की थी और एक प्रोटेक्टिव वाल की दृष्टि से कहा कि वे दैनिक भत्ता नहीं लेते हैं। तो यात्रा भत्ता बहुत आता है। जब उसकी आलोचना होने लगी तो कहा कि यात्रा-भत्ता नहीं लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्य जब राजस्थान की यात्रा करते हैं तो उसमें आपत्ति होने की आवश्यकता क्या है? वे यात्रा-भत्ता नहीं लेते हैं। यात्रा-भत्ता तभी लिया जाता है जब कि वे अपनी गाडी में दौरा करते हैं। अब उन्होंने अपनी गाडी में दौरा करना बन्द कर दिया है और सरकारी गाडियों में दौरा करना शुरु कर दिया है तो यात्रा-भत्ता लेने का सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ही खड़ा नहीं होता । ये लोगों को भुलावे में डालने के लिये सारी बातें हैं । वे चाहते हैं कि लोग यह समझें कि मंत्रि-मंडल के सदस्य यात्रा-भत्ता लेते नहीं हैं, दैनिक-भत्ता लेते नहीं और तनख्वाह में भी कमी कर दी है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को मैं समझता था कि बहुत मजबूत दिल के आदमी होंगे । मैंने अखबारों में पढ़ा कि वे अभी पंजाब में गये तो उनका वहां बहुत बड़ा स्वागत हुआ तो वे राजस्थान केनाल एरिया में एक लाख एकड़ भूमि पंजाब के सिपाही भाइयों के लिये दे आये । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वे भामाशाह कहलाते हैं, कई कांग्रेसी भाई उनको भामाशाह कहते हैं । मैंने सुना था कि बंगाल का जादू सिर पर चढ़ कर बोलता है, लेकिन अब बंगाल का नहीं हिन्दुस्तान में दाढ़ी वाले का जादू सिर पर चढ़ कर बोलता है और उसने राजस्थान के मुख्य मंत्री पर जोर डाल कर राजस्थान केनाल एरिया में, जब कि राजस्थान के लोग भूमि के लिये तड़फते रहे, राजस्थान के लोग चिल्लाते रहे कि हमें जमीन चाहिये, कोई उसका एलॉटमेंट नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं, फॅलो लैण्ड पड़ी हुई है, बन्जर जमीन पड़ी हुई है, सीलिंग का कानून लागू नहीं किया जा रहा है और लोगों को भूमि वितरित नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री एक स्वागत-समारोह में गये और एक लाख एकड़ पंजाब के लोगों को दे आये । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पंजाब भी हमारा है और पंजाब के नागरिक भी हमारे हैं । वहां के भाइयों की तकलीफें हमारी हैं, लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस समय घग्घर में बाढ़ आई थी उस समय सरदार प्रतापसिंह कैरों ने यह किया कि ज्यादा पानी से हमारी फसलों को नुकसान होता है तो अच्छी पैदावार करने के लिये जितना ज्यादा पानी हुआ उसको राजस्थान में धकेल दिया, जिससे राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपयों की फसलें नष्ट हो गईं । उस समय आप अपने प्रभाव को काम में नहीं लाये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आप इसको विस्तार से समझ लें कि फ्लड में पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्या करते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं समझता हूं कि इस संबंध में आप ऑल इंडिया फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड, सेण्ट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी बातों पर बातचीत कर सकते थे । उनसे कह सकते थे कि घग्घर नदी से हनुमानगढ़ में कितना नुकसान होता है । आप कहते हैं कि क्या बात करते ? आप इधर आ जाइये और मुझे उधर आने दें तो किस तरह की बातें करते हैं, यह मैं जानता हूं । यह अनजान बनने की कोशिश न करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि फ्लड जो बारिश की वजह से आता है उसके बारे में समस्या हल करने का सवाल अलग है । जब फ्लड आ रहा था तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को क्या यह कहता कि वे फ्लड को पंजाब में रख लें और यहां फ्लड न आने दें । इस तरह का फैसला नहीं हो सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं नहीं कहता कि पंजाब में ही रखें या और कहीं रखें ।

Page No.77

(श्री सतीचन्द्र अग्रवाल)

फ्लड घग्घर नदी में कई सालों से आता है और कई सालों से मांग की गई है कि राजस्थान सरकार को समुचित कार्यवाही करनी चाहिये ताकि बाकी सालों में जब बाढ़ आये तो नुकसान नहीं हो। राजस्थान सरकार का जो रवैया इस बारे में रहा है वह ठीक नहीं है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि इस प्रकार का उनके बारे में कुछ आभास होने लगा है कि the is just with a lamb's heart and lion's face.

राजस्थान में भूमि-समस्या के बारे में कितनी मांग थी, राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट्स के बारे में कमीशन बनाने की जरूरत थी। राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह हुई कि यहां सीलिंग का कानून बना और आपने बड़े जोरों से प्रचार किया कि राजस्थान सर्व प्रथम स्टेट है जिसने कि सीलिंग का कानून लैण्ड रिफॉर्म्स के बारे में उपस्थित कर दिया है। लेकिन चार साल से आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको लागू करते? विधान सभा में मंत्रिमंडल जवाब दे कि कौनसी दिक्कत है उनके सामने कि जिसके कारण से चार साल पहले से पास किये हुए सीलिंग के कानून को लागू नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ कि लोगों ने जमीनों का बंटवारा कर लिया। मैं यह कह सकता हूं कि आज की परिस्थितियों में राजस्थान सरकार को सीलिंग का कानून लागू होने पर केनाल एरिया में कौन सी जमीन मिलनेवाली है? आज से ४ साल पहले जो जमीन मिलने वाली थी वह नहीं मिलने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन मिलनेवाली है उस जमीन में क्या है कि सीलिंग के कानून के बाद जो जमीन पड़ी हुई थी उस सिवाय-चक की जमीन पर भी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और अब राजस्थान सरकार ने अपने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की दफा ९१ के अन्तर्गत कार्यवाही की और जब बड़े २ नेताओं के बेदखल होने की नौबत आई तो रिप्रेजेन्टेशन्स हुए और राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि आज राजस्थान में जिन लोगों की जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किया है उनको बेदखल नहीं किया जा सकता, उनको रेगुलराइज करना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये आपके पास कौन सा आधार है? इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई आदमी तगड़ा है, जो कानून को हाथ में ले सकता है, जिसके पीठ पीछे कोई है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि यह प्रिन्सिपल गलत है। राजस्थान सरकार बड़े पैमाने पर फैसला कर ले कि राजस्थान सरकार की जमीन पर ३१ दिसम्बर, १९६१ से पहले जिस किसी ने कब्जा कर लिया है उसके खिलाफ चलने वाले जितने भी मुकदमे हैं उनको वापिस ले लिया जायगा तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग तगड़े थे और जिनके फेवर में पटवारी, तहसीलदार, एस. डी. ओ., सरपंच या ऊपर के, मिनिस्टर थे, उनका जिनके ऊपर हाथ था उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो जमीन बची है और उसके लिये जो सरकार ने फैसला लिया है वह भी भूमि हीन किसानों को नहीं मिलेगी। आपने रूल्स बनाये 'Rules for allotment of unoccupied land for landless tenants' वे भी पता नहीं किस खत्ते में गये?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार ने एक आदेश निकाला है उपाध्यक्ष महोदय, कि हर गांव में कम्यूनिटी डेवलपमेंट स्कीम की तहत यूथ क्लब बनाये जायेंगे। पहले यह कहा गया था कि लैण्डलेस टिनेन्ट्स को कलेक्टर जमीन अलॉट करेंगे, वह भी खत्म में गया। लैंड-लेस टिनेन्ट्स भले ही प्रदर्शन करते रहें, चार साल बाद चुनाव आयेंगे तब देखा जायगा। मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ये यूथ क्लब्स कहां से बनायें ? कौनसा लैंड-लेस कहां काश्त करेगा, कितनी करेगा, किस तरह से सारी चीजें होंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन सरकार ने आदेश निकाल दिया कि हर गांव में कम्यूनिटी डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत यूथ क्लब्स बनेंगे और जमीन का अलॉटमेंट किया जायगा, अनऑक्यूपाइड लैंड का अलॉटमेंट किया जायगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। मुख्य मंत्री जी इधर-उधर आन-जाने में अधिक व्यस्त रहते हैं इसलिये शायद उनको पूरा मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि १४ जुलाई, ६२ को यह फैसला लिया गया। वह जमीन किसकी है, बंजड़ है या कैसी है, इसका झगड़ा फोरेस्ट और रेवेन्यू के बीच चल रहा है। फोरेस्ट वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। इस तरह से रेवेन्यू और फोरेस्ट विभाग दोनों झगड़ रहे हैं। पहले झगड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर और फोरेस्ट मिनिस्टर में था; था तब था, अब तो फोरेस्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर में झगड़ा नहीं होना चाहिये। आज राजस्थान में इस तरह की जो प्रोबलम्स हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा। कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ, क्रॉप कैसी है, लैंड-लेस व्यक्ति कितने हैं, कितनी भूमि ऑक्युपाइड है, कितनी अनऑक्युपाइड है किस तरह से लैंड-लेस टिनेन्ट्स को भूमि एलॉट की जायगी, इसका जिक्र एक शब्द में भी उन्होंने नहीं किया। केवल यह कहा कि हम तकावी बांट रहे हैं, हम बीज बांट रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स बांट रहे हैं। मैं कहता हूं कि सरकार यह तो बतावे कि राजस्थान में सरकार ने तकावी दी है, अच्छे बीज बांटे हैं, हथियार और इम्प्लीमेंट्स बांटे हैं तो सरकार यह तो बतावे कि रिसोर्सेज और जितने मैथड्स एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिये अपनाये हैं उनसे राजस्थान में पर एकड़ ईल्ड कितना बढ़ा है ? ये आंकड़े आप दे देंगे तो मैं समझूंगा कि ईल्ड बढ़ी है ·····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): हथियार तो नहीं बांट रहे हैं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल: आप कितना ही मक्खन लगावें, आपका नाम तो मंत्रिमंडल में आने वाला नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): Yield has sufficiently increased.

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आपका नाम तो रूल आउट हो गया है। You belong to another group.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): किसानों को हथियार कौनसे बांटे हैं, यह तो बता दीजिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गांव के किसानों के हथियार तो फावडे, गेंती आदि ही हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज सबसे बड़ी चीज तो यह है कि किसानों के बारे में अपने भाषण में राज्यपाल महोदय ने कोई उल्लेख नहीं किया है। इतना ही नहीं; मैं तो यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा किस प्रकार लोग भूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं, किस प्रकार लोग बढ़ते जा रहे हैं; यह आपके सामने है। राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि जितने भी लद्दाख और नेफा में लड़ाई लड़नेवाले हैं या जितने भी सैनिक हैं उनकी भूमि की एण्ट्रीज को तब्दील नहीं किया जायगा। उनकी भूमि को तब्दील नहीं किया जायगा, यह तो कानून में पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन शायद सरकार को यह भी मालूम है कि आज राजस्थान में एक हरे पत्ते में पटवारी किसी की टीप को रजिस्टर से काट सकते हैं और किसी को लिख सकता है। यही कारण है कि आज ९० परसेंट लिटिगेशन इस तरह के चल रहे हैं और सरकार उनको रोक नहीं पा रही है। इस सदन में भी बार बार कहा गया है कि गश्त गिरदावरी होती है उसके बारे में कानून में यह बात है कि किसी की टीप नहीं बदली जायगी, लेकिन बदली जाती है। रेवेन्यू बोर्ड से कई फैसले हुए हैं उन पर क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? १०, २० या ३० आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हो तो राजस्थान में इस तरह के इतने मुकदमे नहीं होते। आज राजस्थान के किसान मुकदमों के फेर में चक्कर काटते रहते हैं; इसलिये काटते रहते हैं कि शुरु में उन्होंने पटवारी को पत्ता नहीं दिया। एक तस्वीर तो यह है और दूसरी तरफ यदि कोई पटवारी ऐसा मिल जाता है, हालांकि बिरले ही होते हैं, कि मैं गलत टीप नहीं करूंगा तो उससे ऊपर के अफसर कहते हैं कि तुम बर्खास्त हो जाओगे। यदि कोई पटवारी फिर भी कहता है कि मौके के खिलाफ नहीं करूंगा, उसका पजेशन नहीं है, घर में बैठ कर नहीं करूंगा, मौके पर ही हो सकता है, यह जमीन गोचर में दर्ज है और १० साल से दर्ज है, मैं कब्जा नहीं दे सकता तो राजस्थान सरकार के अधिकारी कहते हैं कि तुमको टीप करना पड़गा और उसको धमकी दी जाती है कि यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जांच की जायगी और जांच के फलस्वरूप उसको बर्खास्त करके घर बैठा दिया जाता है।

आज भी मुझे बडा अफसोस है, मुख्य मंत्रीजी इस बारे में जांच करें, मैंने पिछली बार भी इस बारे में जिक्र किया था, कागज और डॉक्युमेन्ट्स पेश किये थे, जिसका इन्द्राज करने से पटवारी ने इन्कार किया था और कहा था कि तहसीलदार के कहने से झूठा इन्द्राज नहीं होगा। वह तहसीलदार मौजूद है, एस. डी. ओ. मौजूद है लेकिन पटवारी जो ईमानदारी से चलना चाहता था वह घर बैठा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह आपके समाजवादी समाज बनाने की बात है। शायद मुख्य मंत्रीजी समझ गये होंगे कि यह कौनसा मामला है। उस पटवारी ने सैस ईमानदारी से नहीं लिखा था। यह सांगानेर का श्योपुर ठिकाने का मामला है। छोटे मोटे आदमी का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आज राजस्थान ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की हुकूमत चलानेवाले इस प्रकार से नाजायज कब्जा करते हैं, यह उचित नहीं है। मेरे पास कागजी सुबूत मौजूद है। मामला अदालत में गया, इसलिये कि इंजेक्शन देकर पाबन्द किया जाय।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इंजंक्शन जारी हुआ, पावन्दी हुई । उसके बाद कोशिश चली, दवाव आया, लोगों को दबाया गया कि यदि में तुम्हारे गांव में बस गया तो गांव में नहर आ जायगी, बिजली आ जायगी । लोगों को दबा कर अदालत में दर्ख्वास्त कराई गई कि श्री एस० के० डे० के खिलाफ मामला वापिस ले लें और उनको बचा लिया जाय । मुख्य मंत्रीजी जांच करने के लिये इंजंक्शन की कॉपी चाहें तो मेरे पास मौजूद है, सूट की कॉपी चाहें, अदालत का फैसला चाहें या सूट वापिस लेने का एफिडेविट चाहें तो मौजूद है, पटवार नम्बर या खसरा नम्बर चाहें तो सारा मेरे पास मौजूद है, में मुहैया करूंगा । राजस्थान सरकार एक मिसाल पेश करे । मुख्य मंत्रीजी श्री एस० के० डे० से प्राइवेट में बात करें, अपने गुड ऑफिसेज़ यूज़ करें और उनसे यह कहें कि इसका राजस्थान के लोगों पर बुरा असर पड़ा है । राजस्थान के किसान में और दिल्ली में रहनेवाले किसान में बड़ा अन्तर है । राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अपने व्यक्तिगत ताल्लुक का लाभ उठा कर उनको मजबूर करें कि वे जमीन को सरेण्डर कर दें, गोचर की जमीन को रहने दें । २७ बीघा जमीन से कुछ नहीं होने वाला है। यदि वे लंड-लेस टीनेन्ट हैं तो उनको और कहीं जमीन देकर बसा दें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । गोचर की भूमि को लेना तो और भी पाप है । में आशा करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी पाप नहीं लगाना चाहेंगे, इसलिये कार्यवाही करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एमर्जेन्सी के सिलसिले में आज ऐसा लगता है कि सारा वातावरण ऐसा हो रहा ह कि सुरक्षा के नाम पर किसी के खिलाफ कुछ कहें, किसी भ्रष्टाचार के बारे में कहें तो भी एमर्जेन्सी के नाम की एक रामबाण दवा हाथ आ गई सी लगती है कि कहीं भी कुछ भी बोले तो एमर्जेन्सी तैयार । में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एमर्जेन्सी का ऐसा उपयोग करना है तो यह फिर ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है और आजू बाजू के अनुभवों से हमें लाभ उठाना चाहिये। आखिर जन-मानस है; केवल में और आप अकेले नहीं हैं । इस एमर्जेन्सी में हमारे सेण्ट्रल गवर्नमेंट के बारे में एक आपत्ति की, जब स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता बोल रहे थे कि यह सेण्टर का सब्जेक्ट है, अलाइनमेंट, नॉन-अलाइनमेंट, वेस्टर्न पॉवर, रशियन पॉवर । बात सही है, पर करें क्या ? हमने भी सोचा कि यह सेण्ट्रल सब्जेक्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, चलो स्थगन प्रस्ताव है तो इस पर और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत वाद-विवाद करें । लेकिन यह जो सारा अभिभाषण है, इसके अन्दर और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि इतनी ट्रेनिंग शुरु की है, इतने होम गार्ड में भर्ती हुए । यह होम गार्ड का कोई असिस्टेंट बना कर इस हाउस के समक्ष पेश कर सकता है । इसके लिये गवर्नर महोदय का ज्यादा समय जाया करना कहां तक जायज है ? यह तो कोई भी सत्तर रुपये पाने वाला क्लर्क तैयार कर सकता था कि इतने होम गार्ड में भर्ती हुए, राइफल ट्रेनिंग कितनों ने ली, इतना अमुक कार्य किया, इतना अमुक कार्य किया । में निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने अभिभाषण सुना । नेफा, लद्दाख जैसी सीमा हमारे यहां नहीं है । हमारे देश के प्रधान मंत्री ने जब रेडियो पर भाषण पढ़ा तब मालूम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुआ कि नेफा को 'बाई बाई' कर दी है। कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान की सीमा पर हमला हो जाय और वहां भी 'बाई बाई' हो जाय।

राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के बारे में इस अभिभाषण में एक पासिंग रेफरेंस है। राजस्थान स्टेट और पाकिस्तान की सीमा पर नित्य प्रति घटनायें होती हैं, डाकू आते हैं, ऊंट ले जाते हैं, गाय ले जाते हैं और यहां तक कि आदमी उठा ले जाते हैं। वे भी साधारण आदमी नहीं, हमारे आर. ए. सी. के सिपाहियों को उठा ले जाते हैं। अभी अभी हमारे बी. डी. ओ. को पकड़ लिया। हमारे विकास अधिकारी थे, उद्योग अधिकारी थे, उनको पकड़ लिया। यह अभी अभी बारां के पास हुआ। डाकू दल के लोग आ गये; इधर से आ गये और उधर से आ गये, पकड़ा धकड़ी की और पाकिस्तान में चले गये। हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि स्थिति काबू में है! मैंने कई बार अभिभाषण सुने, हमारी सरकार हर बार कहती है कि हमने राजस्थान में डाकुओं का सफाया कर दिया है। सरकार हर साल डाकुओं का सफाया करती है, फिर हर साल और कहां से डाकू आ जाते हैं? किसी दिन राजस्थान की बाउण्डरी पर भी संकट आ सकता है, इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में स्वयं दिलचस्पी लें। वे कुछ समय के लिये दौरे कम कर दें, उद्घाटन करना कम कर दें, इस ओर जरा ध्यान दें और राजस्थान पाकिस्तान की बाउण्डरी पर होनेवाली घटनाओं की समस्या को हल करें। राजस्थान के अन्दर आज स्थिति यह है, जिसे देख कर मुझे दुःख होता है, यहां एक नहीं सैकड़ों लोग इस प्रकार के हैं कि यदि मुख्य मंत्री यहां पर कोई भाषण दें, अगर केबिनट के अन्दर कोई फैसला दें तो शाम को ही पाकिस्तान रेडियो से आप सुन लीजिये।

राजस्थान के अन्दर आज भी पाकिस्तान के एजेन्ट हैं, जो अनऑथोराइज्ड तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास वेलिड पासपोर्ट नहीं हैं, जिनके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है और जो छः साल तक राजस्थान के अन्दर रह रहे हैं। इधर कुछ सख्ती दिखाई, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये तो कुछ पकड़े गये। अब कुछ पकड़ धकड़ की जा रही है, वह भी इसलिये कि उन्हें रहते हुए छः साल हो गये, उन्होंने सोचा कि छः साल काफी हो गये इसलिये पुलिस को लेना-देना बन्द कर दिया। इसलिये कुछ सख्ती से कार्यवाही हुई और कुछ लोग पकड़े गये और कुछ मामले अदालत में गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज भी करीब पांच हजार लोग ऐसे होंगे, जो बिना पासपोर्ट के राजस्थान में रहते आ रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है और मैं आश्चर्य के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग साधारण नागरिक के रूप में ही नहीं रहते बल्कि राजस्थान की सर्विस में हैं और राजस्थान की पुलिस सर्विस में ऐसे लोग रहते हैं। राजस्थान की पुलिस सर्विस में ऐसे लोग काम करते हैं जो एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज़ में भाग ले चुके हैं। ऐसे लोग राजस्थान की पुलिस सर्विस में एस. एच. ओ. बने हुए हैं, सब-इन्सपेक्टर बने हुए हैं, स्टेशन ऑफिसर बने हुए हैं। एक एस. एच. ओ. ऐसा है जो हैदराबाद के रजाकार मूवमेंट में भाग ले चुका है। जिस समय १९४७-४८ में पुलिस एक्शन हुआ था उसने रजाकार मूवमेन्ट में भाग लिया, वहां पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भाषण दिये, उसकी तस्वीर अखबारों में छपी। उस पुलिस एक्शन के बाद उसने गार्ड की ट्रेनिंग ली और गार्ड बन गया। एक बार ट्रेन ले जा रहा था तो वह पकड़ा गया। लेकिन गार्ड भाग गया। उसके खिलाफ वारंट निकला लेकिन वह पकड़ा नहीं गया और वह आखिर में राजस्थान में आकर एस. एच. ओ. बनता है। आपके यहां रजाकार एस. एच. ओ. है और वह भी एस. एच. ओ., कोई छोटे मोटे स्थान पर नहीं, चोमू जैसे स्थान पर नहीं, वह जयपुर में है; जहां सभी प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर वह एस. एच. ओ. है। फिर भी हमारी सरकार और हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति संतोषजनक है। उनको तो केडेट की सलामी मिल जाती है और कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। अखबारों में उनकी फॉटो छप जाये, यह देखते हैं। सिवाय फॉटो छापने के कोई काम नहीं। फॉटो भी पूरे साइज की छपती है। कल ही मैंने एक पत्र में नन्दवानाजी का फॉटो फुल साइज का देखा था। मैंने सोचा कि यह फॉटो हमारे चीफ मिनिस्टर का होगा। मगर देखा तो वह नन्दवाना साहब का था। इस संबन्ध की सारी बातें बजट के समय सरकार के सामने रखूंगा कि किस तरह से वे किसको ८४ हजार का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता कि राजस्थान का क्या हाल होगा, मगर इस तरह की हालत रही तो राजस्थान का क्या होगा, यह अन्दाजा लगा सकते हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कह दिया कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों के अलावा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति न्यूनाधिक रूप में साधारण रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भरतपुर में क्या हालत है और दूसरे स्थानों पर क्या हालत है, इसका उन्होंने कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या बात है, माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि डाकू लोग औरतों, बच्चों और आदमियों तक को उठा कर ले जाते हैं और दिन दहाड़े डाके डालते हैं। क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है? मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी बारां, जो कोटा के पास है वहां पर सरकारी कर्मचारियों की दावत थी और सरकारी कर्मचारियों का कुछ कार्यक्रम था। वहां दावत हो रही थी। खाना वगैरह सब तैयार हो गया था। सरकारी कर्मचारी वहां पर थे। वहां डाकू लोग आये और गोलियां दिखा कर लूट लिया और खाना खाकर चले गये। वे लोग जिन्होंने खाना बनाया था और जिनकी दावत थी वे सरकारी कर्मचारी भूखे ही चले आये। मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकारी कर्मचारियों के और अधिकारियों के लिये खाना बना और वे उसे नहीं खा सके, दूसरे लोग ही, डाकू लोग, उनको गोलियें दिखा कर खाना खा गये और उनको भूखे ही लौटना पड़ा। अपने को कोई दिक्कत नहीं, मगर वस्तुस्थिति यह है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयत्नों के लिये राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया। सभी लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये पैसा देना चाहते हैं, पब्लिक देना चाहती है। मैं हमेशा रेडियो पर सुनता रहता हूं कि आज चपरासी ने अपने एक दिन का वेतन दे दिया, एक आदमी ने अपनी लड़की के विवाह में खर्चे की बचत करके रक्षा कोष में रुपया दे दिया, तो हमारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गृह मंत्रीजी ने ६ तोला सोना रक्षा कोष में दे दिया । जब लोग यह सुनते हैं कि हमारे गृह मंत्री ने ६ तोला सोना रक्षा कोष में दिया है तो वे यह सोचते हैं कि हमारा तो हिस्सा कुछ 'माशा' में ही आयेगा । इसलिये में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको जन-मानस बनाना है तो आपको अपने खर्चे में कटौती करनी होगी; जिससे जनता पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े ।

अभी आपने खर्चे को कम करने के लिये सेक्रेटेरियट में ऐसा आॅर्डर निकाला है कि नोटिंग दोनों तरफ हो, ड्राफ्ट हो वही आॅफिस काॅपी रहे, ब्लाॅटिंग पेपर दोनों तरफ से यूज किये जावें । मगर इस प्रकार से कोई बचत नहीं होती है । अगर आपको वास्तव में बचत ही करनी है तो में यह कहूंगा कि इस प्रकार दोनों तरफ नोटिंग करने से और आॅफिस काॅपी ड्राफ्ट की वही रखने से कितनी बचत होगी ? इससे आपको कोई बचत नहीं होगी और इससे कोई लाभ नहीं होगा । अगर आप वास्तव में बचत करना चाहते हैं तो वह आपके हाथ में है । मैं मुख्य मंत्री-जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये थोड़ा सा साहस करें । आप मंत्रि-मंडल में कटौती करें । आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है । उदयपुर डिविजन के मंत्री को, जो एक कबीला है हटा नहीं सकते तो दूसरे जोरदार मंत्री हैं उनको भी आप हटा नहीं सकते ।

एक माननीय सदस्य: वे कौन कौन से हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये सभी समझ रहे हैं । आप कटौती कीजिये । मेरी सहानुभूति आपके साथ है । यों तो देखा जाए तो सारे अधिकारी ही काम करते हैं और मंत्री लोग तो पाॅलिसी डिसाइड करने का काम करते हैं । इसके अलावा यदि मैं यह कह दूं कि सभी काम आप ही करते हैं तो अनुचित नहीं होगा । दूसरे तो सब आपके पीछे हैं । यदि आप यह नहीं कर सकते तो आपको चाहिये कि हर डिविज़न के लिये एक एक गोली डाल दीजिये जिसके नाम की गोली निकल जावे, बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं । ऐसा राज्य सभाओं में भी करते हैं । यदि इसमें भी आपको किसी प्रकार की अड़चन हो तो जिस प्रकार हर आदमी सेन्टर में वोलीबाॅल में खेलने के लिये लड़ते हैं तो इस झगड़े को रोकने के लिये वोलीबाॅल में यह होता है कि रोटेशन से खेलते हैं जिससे किसी प्रकार का झगड़ा ही न रहे । इसी तरह से आप भी कर लें और हर ६ महीनों में रोटेशन से आप भी खेल खेल लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कटौती करना चाहते हैं तो कटौती करने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसा आज पंजाब ने किया है । अगर आपने इस संबंध में कोई विचार नहीं किया तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मंत्रि-मंडल में कटौती की और इसकी वजह से उनके खिलाफ किसी प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उनकी पोजिशन को डांवाडोल करने की कोशिश का प्रस्ताव लाकर उनकी पोज़िशन को डांवाडोल करने की कोशिश करेंगे तो मैं यह विरोधी दल की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपका साथ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
देंगे । आप कदम उठाइये । मैं आपको विरोधी दल की ओर से विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी वर्ग आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लावेगा तो उसको हम पास होने में मदद नहीं करेंगे ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो बातें हमें सुनने को मिली हैं, मंत्रि-मंडल में कटौती के बारे में तो मैंने निवेदन कर दिया, मगर इसके साथ साथ प्रशासन के खर्चे में भी कटौती करने की आवश्यकता है । इसके बारे में मैं बजट के समय कहूंगा जो राज्यपाल को करनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त रक्षा प्रयत्नों को मजबूत करने और जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये सरकार को चाहिये कि इधर उधर की जो संस्थाएं हैं और जिनको सरकार ग्रान्ट देती है उसे बन्द कर देना चाहिये; जैसी कि खादी बोर्ड आदि हैं । इसके लिये मैंने तो पहले नहीं कहा, उधर के सदस्यों ने ही कहा कि खादी बोर्ड में, जल बोर्ड और विमुक्त जाति संघ के मामलों में बहुत घोटाले हैं और दलित वर्ग आदि संस्थाओं को सरकार जो सहायता देती है वे किसी का कोई भला नहीं करती । मैं यह निवेदन करूंगा कि सेक्रेट्रीज के दफ्तर उनके घरों में ही कायम हैं और उन्होंने वहां पर बोर्ड लगा रखा है । इतना ही नहीं; उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से वे लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं । विमुक्त जाति संघ के अध्यक्ष उन संस्थाओं के नाम से जमीन ले लेते हैं और जो जमीन उन संस्थाओं को अलाॅट होती है वहां पर वे लोग अपना फार्म खोल कर बैठे हैं । खादी में जो सब्सिडी मिलती है वह बन्द होनी चाहिये; क्योंकि जो लोग खादी के प्रेमी हैं और ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही हैं वे दो आना पैसा ज्यादा देकर भी खादी पहिन सकते हैं । जो कांग्रेस के सच्चे भक्त हैं वे तो खादी पहिनेंगे ही । इसलिये सब्सिडी बन्द कर दी जावे और अगर सरकार खादी को सब्सिडी देना ही चाहती है तो मोटे कपड़े पर दे दी जावे, रेशम और फाइन कपड़े पर नहीं दी जाए । रेशम की २५), ३०) रुपयों की साड़ी पहिननेवालियों को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है ? इसलिये इन पर खादी को जो सब्सिडी दी जाती है बन्द की जानी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि यदि राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया तो हम बहुत कुछ कटौती कर सकेंगे । मगर मुझे अफसोस है कि राज्यपाल महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि बेकारी की समस्या किस प्रकार है । महीने भर जब गवर्नमेन्ट होस्टल में रहते हैं वहां कई बेकार आदमी उनके पास आते हैं, कोई कहता है कि राजा साहब से कह कर उसे बस का कन्डक्टर बनवा दीजिये, तो कोई कहता है कि उसको कहीं चपरासी ही करवा दीजिये । यह बेकारी का हाल है । इसको मिटाने के लिये सरकार ने क्या किया है ? पहले ४ लाख अनएम्प्लाॅएड थे । आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना भी खत्म हुई । आपने कितने अनएम्पलाॅयमेन्ट को दूर किया है, आपने कितने बेकारों की समस्या को हल किया है ? इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की टोटल वेल्थ कितनी बढ़ी है ? राजस्थान की स्टेट पर-केपिटा कितनी इन्क्रीज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुई, कितना प्रौडक्शन बढ़ा और राजस्थान की स्टेट वैल्थ कितनी बढ़ी ? इसका कोई संकेत अभिभाषण में नहीं कि इतनी स्टेट वेल्थ बढ़ी है।

आपने नेशनलाइज़ कर दिया रोडवेज़ को। रोडवेज़ चल रही है। गंगानगर में आपने इन्वेस्टमेन्ट किया मगर इनसे आपको क्या रिटर्न मिला है, इसका कोई संकेत इसमें नहीं। आप कहते हैं कि सरकार बीज-वितरण करती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कहां बांटे गये, यह पता नहीं, चाहे आपने उनको नदी में या रेगिस्तान में ही डाला हो, इसका पता नहीं, मगर विकास अधिकारी के यहां कागजों में इसका हिसाब होना चाहिये कि इतने बीज का वितरण हुआ। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से भूमि सुधार करने के लिये, कृषकों को राहत देने के लिये तकाबी दी जाती है मगर यह भी पता नहीं चलता कि कितनों को तकाबी बांटी और उसमें से कितनी वापिस वसूल हुई।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मैंने अभी उल्लेख किया हमारे यहां की मुख्य समस्याएं हैं जिनका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिये था जिससे हम यह अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान को कितना लाभ हुआ है। केवल एमर्जेंसी के नारों के आधार पर राजस्थान सरकार यह कहे कि वह यह करने जा रही है और यह करने जा रही है उससे कोई लाभ नहीं होगा। सरकार एमर्जेन्सी के नारे लगा कर लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखना चाहती है यह नहीं होना चाहिये। आप नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित करादें, यह उचित नहीं है। सरकार यह समझती है कि लोग आलोचना करेंगे। इसलिये सरकार ने कह दिया और पोस्टपोन्डमेन्ट आॅफ दी म्यूनिसिपल इलेक्शन्स के लिये बिल ले आये। उसमें भी खामियें हैं। मैं यह कहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी बाई इलेक्शन कराने जा रही है। डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों का पालन करते हैं और चीन का मुकाबला करने के लिये यह कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। यदि आप इस तरह से करके डेमोक्रेसी को खत्म करदेंगे तो मैं यह कहूंगा कि चीन और रूस और इस प्रकार की डेमोक्रेसी में कोई फर्क नहीं है। भारत में हम लोकतन्त्र के आधार पर हुकूमत चला रहे हैं और हम कहते हैं कि यदि कोई एक-तन्त्रवादी देश हमारे पर हमला करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। यदि आपने लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात किया तो आपका यह डेमोक्रेसी फ़ेज खत्म हो जाएगा, आप डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को समाप्त कर देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बिल सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके लिये सदन की भावना उसके सदन में पेश होने से पहले ही राज्यपाल महोदय को भेजदी जावे और उनसे निवेदन किया जावे कि वे अपने अधिकारों का उपयोग करके इस बिल को वापिस ले लें तो उचित होगा।

अब मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मगर एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने दबे हुए स्वर से कहा कि हमको सब भेद भाव मिटाने चाहियें। मैं भी यह कहूंगा कि जब कभी लोगों में एक दूसरे के खिलाफ़ किसी प्रकार की व्यक्तिगत व्यक्ति का व्यक्ति से या नागरिक का नागरिक से झगड़ा पैदा हो जाता है तो सरकार के पास उसको निपटाने की कोशिश करते हैं कि झगड़ा निपट जावे। आज पांच वर्ष होने को आए हमने इतने प्रयास नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किये होंगे अपने भेदभाव को मिटाने के लिये। मगर इस एमर्जेन्सी में दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो हाई कोर्ट के मसले पर और इस पर केवल इस दृष्टि से आपके सामने रखना चाहता हूं कि जोधपुर में हाई कोर्ट में जयपुर और जोधपुर की भावना अभी बनी हुई है, वह ठीक नहीं है। वहां पर भी दो पार्टीज़ काम करती हैं। मैं यह कहूंगा कि यह न तो लेजिस्लेशन के लिए और न लटीगेशन के लिए यह हैल्दी होगा व न राजस्थान में जुडीशियरी हैल्दी और बजबूत बनाएगी कोई भी माननीय सदस्य मेरे साथ जोधपुर चलें मैं उनको यह बता दूंगा। मेरा काम जोधपुर जाने का नहीं है मगर अभी चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इन्डिया आये थे तो मैं भी वहां गया। वहां देखा कि दो पार्टीज़ ने अलग अलग उनको पार्टीज दी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार से उनको एक करना चाहिये और इस प्रकार की जोधपुर और जयपुर की भावना को निर्मूल करना चाहिये। आज भी यह चीज़ बनी हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एमर्जेन्सी के समय जब सारी पार्टीज़ एक हो गई हैं, सारे विरोधी-दल के लोग एक मंच पर आकर ताल-मेल करते हैं और सब भेद-भाव मिटा दिये हैं तो ऐसे समय में इस भेद-भाव को भी मिटा दिया जाना चाहिये। मगर ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस एक नहीं हुई है। इसका असर पब्लिक पर बुरा रहता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो अभी एक नहीं हुई है वह एक हो जाए, अपने भेद-भावों को मिटाने की कोशिश करे। इसमें सबको लाभ है। यह चीज राजस्थान के हित में है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव है उसे तो पारित कर दिया जावे, क्योंकि उनका पहली बार हमारे बीच भाषण है। वे हमारे लेजिस्लेशन के हैड हैं। हमें इस प्रस्ताव को पास करने में कोई एतराज़ नहीं है। मगर मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव पास करने के साथ साथ इतना और लिख दिया जावे कि माननीय मन्त्रियों में और एडमिनिस्ट्रेशन में अवश्य कटौती करदें।

श्री रामकिशन (वैर): [संशोधन इस प्रकार है: "धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये:—

"किन्तु खेद है:—

(१) कि अभिभाषण में राज्य के बेरोजगारों की समस्या तथा भरतपुर जिले में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

(२) कि सरकार जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है।

(३) कि अभिभाषण में राज्य में फैले भ्रष्टाचार के निवारण हेतु किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

(४) कि सरकार भूमिहीनों की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है, तथा

(५) कि अभिभाषण में राज्य की वन सम्पदा तथा खनिज विकास योजनाओं का उल्लेख नहीं है।"]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रकट होता है, इसमें अधिकतर जो हिस्सा है वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

(श्री रामकिशन)

से या देश पर चीन के हमले से संबंध रखता है। इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की समस्या नहीं है, न राजस्थान में बेकारी की समस्या है, न खेती की, न भ्रष्टाचार की समस्या है। अगर कोई है तो अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। हमारे पर चीन के हमले के बाद हमारी नीति किस तरह सफल रही, इस बात को समझाने पर जोर दिया है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे पर हमला हुआ है उस पर कोई महत्व नहीं हो; लेकिन हमारे यहां की जो समस्याएं हैं उनको राज्यपाल महोदय ने छूआ तक नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार को इस समस्या पर कोई चिन्ता नहीं है।

मैं पहले, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो यह कहा कि हमारी नीति दलबन्दी से अलग रही, हम सफल रहे, इस भ्रान्ति को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार को विदेश नीति गुट से अलग रहने की कभी नहीं रही, यही नीति रही है कि कभी अमेरिका के गुट की खुशामद की तो कभी रूस की की नीति का अनुमोदन किया। जिस समय दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया में गोरी शक्तियां वहां के लोगों पर अत्याचार करती थी तो पंचवर्षीय योजना के लिये रुपया चाहिये था इसलिये अटलांटिक ग्रुप की खुशामद की, उसका अनुमोदन किया। जिस समय पोलेंड में विद्रोह हुआ था उस समय काश्मीर पर विटो की जरूरत थी रूस के, इसलिये उसका समर्थन किया। कभी उसका समर्थन किया, कभी इसका समर्थन किया, यही तटस्थता की नीति है क्या? तटस्थता की नीति उसे कहते है कि जहां पर भी जुल्म हों, अत्याचार हों उनका डट कर विरोध किया जाय। अल्जीरिया, तिब्बत को ले लें, तो कभी अटलांटिक गुट की खुशामद की और कभी सोवियत गुट की खुशामद की। राज्यपाल महोदय ने बताया कि इसी का नतीजा है कि दुनिया के अधिकतर देशों ने हमारा समर्थन किया। कल ही लोक सभा में प्रधान मंत्री ने जो सूची पेश की है कि चीन को क्या जवाब दिया गया, क्या क्या कार्यवाही की गई, उसे शायद मुख्य मंत्री महोदय ने पढ़ा होगा हिन्दुस्तान टाइम्स में। उसमें बताया गया है कि ११९ राष्ट्रों के लिये पत्र लिखे, एक तो एशिया और अफ्रीका के और दूसरे गोरे लोगों के। इनमें से ५ देशों ने मलाया कांगो, इथोपिया और लैबनॉन ने तो साफ तौर से कहा कि चीन हमलावर है, २१ की सहानुभूति रही, १५ देशों ने जवाब ही नहीं दिया, ३ देशों ने अपनी राय नहीं दी, ७ देशों ने आश्चर्य प्रकट किया, ९ देशों ने कहा कि हमें दुख है कि सीमा पर यह डेवलपमेन्ट हुआ है। तो राज्यपाल महोदय को भ्रम में डाला किसने कि दुनिया के ज्यादा देशों ने हमारा समर्थन किया है? गोरे राष्ट्र तो कहीं भी कॉम्युनिस्टों का आक्रमण हो तो उसकी निन्दा करेंगे। पर नैपाल ने, वर्मा ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, क्या कारण है कि इन्डोनेशिया, कम्बोडिया, नैपाल और बर्मा ने हमारा साथ नहीं दिया? तो मैं निवेदन कर दूं कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति दलाली की नीति रही है, तटस्थता की नीति नहीं रही। तो सरकारी पक्ष के लोग भी इस पर विचार करेंगे, कहीं अब भी उसी बात में, उसी भ्रम में न पड़े रहें। चाहे प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुन लो, चाहे छोटे से छोटे कांग्रेसी का भाषण सुन लो, एक ही बात कही जाती है कि हमारी तटस्थता की नीति रही। जो माननीय सदस्य इधर से बोल रहे थे कि तटस्थता की नीति को छोड़

(श्री रामकिशन)
देना चाहिये, इससे सहमत नहीं । कल जो लिस्ट प्रधान मंत्री ने पेश की उसमें १८ मुल्क ऐसे है जो हमारे पड़ौसी हैं । उन्होंने हमारे पत्र का जवाब तक नहीं दिया, पहुंच भी नहीं लिखी कि आपका पत्र प्राप्त हुआ । तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम सतर्क रहें और आगे नीति निर्धारित करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखें ।

राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि हम शान्ति के सहायक रहे हैं । एक माने में तो मैं मानता हूं हिन्दुस्तान की सरकार शान्ति की सहायक है कि दिन में कई बार महात्मा गान्धी का नाम ले लेती है। फर्क इतना है कि नाम गांधीजी का लिया जाता है और कर्म जवाहरलालजी के किये जाते हैं । मेरे पास आज तक के ठीक आंकड़े नहीं हैं, १३ अप्रेल, १९५७ तक १०२० बार गोली चल चुकी । तो हमारी सरकार तो शान्तिवादी है नहीं । हमारी सरकार भीरू सरकार रही है, एक कमजोर सरकार रही है चाहे वह वीटो के कारण या पंचवर्षीय योजना के लोभ के कारण सही राय जाहिर नहीं कर सकी हो । कोई भी मुल्क विदेशी कर्ज ले; पर विदेशी कर्ज से कोई मुल्क नहीं बनता । रूस जब बना तो उसके चारों तरफ घेराबन्दी की, उसमें बड़ी बड़ी पूंजियों को जब्त किया । जो प्रस्तावक महोदय थे, कह रहे थे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह का समाजवाद लाया जा रहा है । जब सन् १९४८ में अंग्रेज गये तो उस समय बिड़ला, टाटा, डालमिया के पास कितनी पूंजी थी और आज उनके पास कितनी पूंजी है ? ४८ में उनके पास ५० करोड़ की पूंजी थी; पर आज उनके पास डेढ़ अरब, दो अरब पूंजी है क्योंकि वे हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के मित्र हैं । तो समाजवाद का नाम कलंकित मत कीजिये । आप डालडा की दुकान खोल कर भी समाजवाद का नाम रखते हैं । इस तरह समाजवाद को कलंकित मत कीजिये जमीनें छीनी जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पूंजीवाद पनप रहा है, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं फिर भी आप कहते हैं 'समाजवाद समाजवाद' तो मैं यह कहना चाहूंगा कि समाजवाद का नाम लेने से पहले समाजवाद का सही मतलब समझ लें और उसके अनुसार काम करें तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकेंगे ।

राज्यपाल महोदय के भाषण में दिया गया है कि हमारी राजस्थान की महिलाओं का इतिहास शानदार रहा है । वह पुराने इतिहास की बात है, पर अब हमें इतिहास को नये ढंग से लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी । मजाक मत समझिये, यह सही बात है । मुझे शिक्षा मंत्रीजी के पास जाना पड़ा, राष्ट्रीय रक्षा में अध्यापकों का योगदान इस संबंध में अध्यापकों की मीटिंग थी उसमें शिक्षा मंत्रीजी ने बताया कि गांधीजी का कहना था कि सही माने में हमारा देश उस समय पूर्ण आजाद समझा जायगा जिस समय १४ वर्ष की लड़की कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली चल कर यात्रा कर ले ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): On a point of order, Sir, किसी का भाषण यहां पर इस तरह से साइट किया जाता है, यह उचित नहीं । साइट कर सकते हैं, पर आपका दृष्टिकोण ही दूसरा होता है ।

श्री रामकिशन : नहीं, मेरे ज्ञान की कमी हो सकती है, क्षमा मांगता हूं। उन्होंने कहा था कि १४ वर्ष की लड़की काश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली चली जाय। गांधीजी का मतलब यह हो सकता है कि सचमुच हिन्दुस्तान में औरतें आदमी के बराबर आ जायंगी तभी हम सही माने में आजादी का उपभोग कर सकेंगे। जब मैं यह कह रहा था तो मैंने देखा कि उपमंत्रीजी के पास में बैठे हुए सदस्य हैं वे उनसे कह रहे थे कि आज तो १४ वर्ष की लड़की मंत्री महोदय के बंगलों पर भी नहीं जा सकती।

(विराम)

मैं इसके दूसरे अंश से बिल्कुल सहमत नहीं, पर उनका मतलब गलत था। हिन्दुस्तान की औरतों का जैसा इसमें दिया है, राजस्थान की औरतों का एक शानदार इतिहास रहा है। इनकी राष्ट्रीय पुस्तकें हैं। मैं उन किताबों को पढ़ता हूं तो अजीब अजीब बातें मिलती हैं। राजस्थान की औरतों का प्रतीक तो पद्‌मिनी है कि जब संकट आया तो अपने आपको जला कर खाक कर दिया। यह एक पहले के युग की धारा रही है। अब आज और प्रकार का समय है इसमें अब इस धारा से काम नहीं चलेगा, उपमंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अब इससे काम नहीं चलेगा। पद्‌मिनी हमारा प्रतीक रही है, पर एक घटना बता दूं। आप सबने उस समय अखबारों में पढ़ा होगा कि जिस समय जर्मनी की फौजें रूस में घुस रही थी तो उस समय रूस की नाटाली नाम की एक लड़की जर्मन फौज में नौकर हुई। वह बड़े जर्मन अफसर के गुसलखाने में काम करती थी और बराबर जर्मनों की फौज की गतिविधि की सूचना रूस को देती रहती थी। उसका नतीजा यह हुआ कि ५० हजार जर्मन फौज फंस गई थी।

तो जहां राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि राजस्थान की महिलाओं का इतिहास शानदार रहा है तो वहां मैं कहूंगा कि आज हमें नाटाली जैसा इतिहास बनानेवाली लड़कियों की आवश्यकता है, इस युग में।

(४.० म. प.)

श्री निरंजननाथ आचार्य : सतीत्व की रक्षार्थ अग्नि में अन्तिम समर्पण करने वाली वह पद्‌मिनी थी।

श्री रामकिशन : वे उस समय की बातें हैं। आज की नाटाली महिलायें हो सकती हैं। लेकिन इससे नये समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हमारे देश पर आक्रमण होने का कारण है यहां पर जाति-पांति, बिरादरी आदि। हमारे यहां हरिजनों को अधिकार नहीं है, शूद्रों को अधिकार नहीं है, औरतों को अधिकार नहीं है। यदि अधिकार है तो चार-पांच बड़ी बड़ी जातियां हैं उनको अधिकार है, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं राज्य की बागडोर उनके हाथ में है। यदि आज उठना है तो हमको ये छोटे-बड़े भेद मिटाने होंगे। सेक्रेटेरियट में जाते हैं तो देखते हैं माथुर, सक्सेना, वर्मा। हमने यह नहीं देखा कि कोई शूद्र अफसर है। छोटी जाति के लोग बढ़ नहीं पाते। जब तक छोटी जाति के लोगों को आगे नहीं लाया जाता और उनको बढ़ाया नहीं जाता, जब तक वे देश की सेना में भाग नहीं लेते, आप देश को बचा नहीं सकेंगे। सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। जिस देश के

(श्री रामकिशन)
आप लड़ रहे हैं उसके गुण और अवगुण को सोचें।

प्रस्तावक महोदय कह रहे थे कि हम तो आर्थिक प्रगति कर रहे थे, हमें चीन के प्रति विश्वास था किन्तु उसके द्वारा हमने धोखा खाया, धोखे में रहे। कल ही प्रधान मंत्री ने कहा कि हम तैयारी कर रहे थे और हमें पता था कि चीन हमला करेगा। मैं इस सबंध में अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि कल ही सुब्रामन्यम् साहब ने सूचना दी कि चीन का इस्पात का उत्पादन १॥, २ करोड़ टन तक बढ़ गया है, जबकि उस समय हमारा उत्पादन १० लाख टन था। चीन का १॥-२ करोड़ उसके इस्पात का उत्पादन ४८ में ९ लाख टन ही था और हमारा ४०-५० लाख का उत्पादन है। अनाज के उत्पादन में चीन हमसे आगे, इस्पात के उत्पादन में भी चीन हमसे आगे है और तेल के मामले में चीन आगे है। कोई कह सकते हैं कि ये आंकड़े अविश्वसनीय हैं। मैं यह बात भी आपके साम्ने साफ कर दूं कि १२ तारीख को सोवियत यूनियन में श्री ख्रुश्चेव ने भाषण दिया कि चीन प्रगति कर रहा है। मित्र-अमित्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप इसको भी छोड़ दीजिये लेकिन पश्चिमी जर्मनी जो कॉम्युनिज्म् के खिलाफ है उसने भी आंकड़े दिये हैं, उसको पढ़ें। इसलिये हमें अपनी प्रगति की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा। तेजी कैसे लाई जा सकती है? अमेरिका से कर्ज ले लिया, तेजी हो जाय! इससे काम नहीं चलेगा। कर्ज मिले, ठीक बात है लेकिन जब तक यह गरीब और अमीर का भेद बना हुआ है और जब तक यह भेद नहीं हटता है तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता और पराजित होने से डरता रहेगा। सरकार एमर्जेन्सी को समझे और इन सब मामलों पर गंभीरता से सोचे।

इसी प्रकार सरकार की ओर से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। मुझे कोलम्बो प्रस्ताव के विषय में कुछ नहीं कहना है। कोलोम्बो प्रस्ताव मान कर हिन्दुस्तान की सरकार कुठाराघात कर रही है। कैलाश और मानसरोवर हमारे हैं, हमारी सीमा वहां तक है। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा; हम लड़ने में कमजोर, प्रचार में कमजोर। जब सब जगह से हमारे ऊपर हमला हो गया तो हमने एक नोट भेजा मिश्र को। उनको पता ही नहीं था कि वाकई हिन्दुस्तान पर हमला हुआ है चीन का। यह किताब निकाली "हमारी आजादी को खतरा"। हमारे ऊपर हमला हुआ। पहले चीन ने लद्दाख में हमला किया, हमला नहीं माना; हमारी सीमा में घुस गये, उसको सीमा-विवाद कहते गये, नेफा में सर्व प्रथम हमला किया तो उसको भी सीमा-विवाद माना। जब उसने बड़ा भयंकर आक्रमण किया तो हमने कहा कि हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है। अब विदेशी उसको क्या समझें? विदेश के लोगों ने समझा कि सीमा-विवाद है, मामूली टक्कर हो गई होगी। यह हाल है हमारे प्रचार का! हम प्रचार नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते। महरबानी करके बताइये कि आप क्या कर सकते हैं? यह आपका पब्लिकेशन है! हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार हो रहा

(श्री रामकिशन)

है। इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। हिन्दुस्तान के दो रूप हैं। एक राजनैतिक भारत है और दूसरा सांस्कृतिक भारत। यदि हम ठीक तरह से देखें तो कम्बोडिया हमारे नजदीक होगा, बर्मा हमारे नजदीक होगा, नेपाल हमारे नजदीक होगा। हमारी स्थिति यह है कि हमारा साहित्य आज अंग्रेजी में चलता है, हमारी बोली अंग्रेजी में चलती है। फिर कुछ कह रहे हैं लोकतन्त्र के नाम पर, उसको छोड़ कर। अपनी भाषा को छोड़ कर हम विदेशी भाषा में लोकतन्त्र को चलाते हैं। आज देश को वे लोग नहीं डुबाते हैं जो भारतीय संस्कृति और भाषा के पोषक हैं, किन्तु वे लोग डुबाते हैं जो कि जाति-पांति में विश्वास करते हैं और उसको प्रश्रय देते हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न हैं और अपनी बोली को छोड़ कर विदेशी बोली और विदेशी साहित्य में अपना हित समझते हैं। यह नीति का प्रश्न है और इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये और यदि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो हम संकट से मुक्ति नहीं पा सकते। इतना ही निवेदन करना है कि सरकार की नीतियों के बारे में जो प्रचार किया जाता है उसको थोड़ा समझा जाय।

कॉम्युनिस्ट और गैर कॉम्युनिस्ट का विवाद चला। मैं समझता हूं कि यह विवाद बिल्कुल व्यर्थ है। कॉम्युनिस्ट क्यों हैं और कॉम्युनिस्ट क्यों नहीं हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि कॉम्युनिस्ट अगर देशद्रोही हैं, कोई वाकयात अगर छिप छिप कर किये जाते हैं उनके द्वारा तो आखिर क्यों किये जाते हैं, क्यों देशद्रोही हैं ? पसा ये नहीं लेते। उनके मन में विश्व में सोवियत यूनियन और चीन के समान व्यवस्था हो, यह है। जिन लोगों के मन में यह व्यवस्था नहीं बैठती वे कह सकते हैं कि कॉम्युनिस्ट देशद्रोही है। कांग्रेस ने हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार फैलाया, बेइमानी फैलायी, अराजकता का कूड़ा फैला दिया। जहां कूड़ा होगा वहां कॉम्युनिस्टरूपी कीड़ा फलेगा ही।

श्री निरंजननाथ आचार्य: This is a personal remark on the members who believe in this ideology. He must withdraw it, Sir.

श्री रामकिशन : यह पॉलिसी पर है।

श्री उपाध्यक्ष: This is a remark on a party in a cursory way.

श्री रामकिशन : तो कूड़े को साफ किये बगैर कीड़ा हट नहीं सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसके लिये एक स्वस्थ भंगी की जरूरत है।

श्री रामकिशन : इसलिये जब तक सब चीजें ठीक नहीं करेंगे स्थिति सुधर नहीं सकती। एक तो निवेदन यह है।

चीन की ताकत की बात बतायी। घबराइये नहीं। चीन ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि वह दुनिया से टक्कर ले सके। अगर वह इतना ताकतवर होता और दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत उसमें होती तो वह क्यों नहीं हांगकांग की तरफ बढ़ता, फोरमुसा की तरफ बढ़ता और मोट्सु और क्यूमोय को क्यों नहीं हथिया लेता ? उसने सोच लिया कि हिन्दुस्तान की नीति स्थिर नहीं है। उसके नेपाल से, इण्डोचीन से, बर्मा से सीमा-झगड़े हैं, उनसे उसने झगड़ा नहीं किया। उसने हिन्दुस्तान से क्यों झगड़ा किया ? बहुत मोटा कारण है। हिन्दुस्तान एक लोकतान्त्रिक देश है। बड़ा देश भी है। चीन समझता है कि अगर

(श्री रामकिशन)

हिन्दुस्तान को दबा दिया जाय तो बाकी एशिया के देशों को अच्छी तरह से दबाया जा सकता है। इसीलिये जब चीन का हिन्दुस्तान पर हमला हुआ तो एशिया के दूसरे छोटे २ देश बोले नहीं। वे क्यों नहीं बोले ? क्योंकि उनका हमारी नीति पर से विश्वास उठ गया। उनकी हालत यह है कि वे यह सोचते हैं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री दिन में तीन बार भाषण देते हैं और तीनों में विपरीतता है। कभी वे कहते हैं कि सीमाविवाद है, कभी वे कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला किया गया और कभी वे कहते हैं कि हमें धोखा दिया ; जब कि हमने चीन का पूरा विश्वास किया। कल के भाषण में ही यह आया कि हमें मालूम था कि चीन हमला करेगा। जब तक हम इन बातों को नहीं सुधारेंगे चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

कलकत्ता की कॉम्युनिस्ट पार्टी का यह लेख है "चीनी महातन्त्र"। प्रचार का तरीका देखिये। उस "चीनी महातन्त्र" में यह दिखाया गया है कि पार्वती भारत की बेटी थी और शिवजी चीन के थे और वे कैलाश में रहते थे। शिवजी की ससुराल है भारत। कॉम्युनिस्ट भाई किस प्रकार प्रचार करते हैं, वे यह देख लें। मैं यह नहीं कहता कि भारत की पार्वती और चीन के शिवजी। भारत की सीमा तो मानसरोवर और कैलाश तक है। चीन कहता है कि मेकमोहन रेखा तो वास्तविक रेखा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको अपने स्वार्थवश बनाया था। तो फिर उसने बर्मा में क्यों स्वीकार कर लिया ? वह भी तो अंग्रेजों ने ही बनायी थी। तिब्बत पर अधिकार चीन का किसने माना ? यह भी तो अंग्रेजों ने ही। जो अच्छी बात है वह सब चीन के लिये है। सरकार भूगोल का ज्ञान लोगों को नहीं कराना चाहती। भूगोल का ज्ञान उनमें है भी नहीं। केवल ज्ञान है सरकार द्वारा चन्दा लेना। इस कारण देश टूट रहा है, उसमें जो हुंकार होनी चाहिये वह नहीं है, वह उठ नहीं पा रहा है इसलिये कि अपने स्वार्थवश ही उसको उठा नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि रक्षा कोष में मालदारों ने कम दिया और गरीबों ने अधिक दिया। आप मालदारों को थोड़ा दबायें, दबाने का मतलब मेरा उनके प्रति अत्याचार करना नहीं है; उनको कसें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): कसने का मतलब भी बता दीजिये।

श्री रामकिशन : राष्ट्रीयकरण की बात बतायी। मालदारों ने मदद कब दी ? सन् ५० में जब राष्ट्रीय सरकार बनी तो मालदारों ने रुपया नहीं दिया। ४५-४६ में जब कि अंग्रेजों की हुकूमत थी तो मालदारों ने ३ अरब रुपये कर्ज के दिये। विदेशी सरकार के लिये तो यहां के पूंजीपति कर्जा देते रहे; किन्तु उन्होंने देशी सरकार के लिये कर्जा नहीं दिया। गहरे विचार में गये तो इसका विशेष कारण मालूम पड़ा।

मैं इस वक्त किसी व्यक्ति-विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर में वेगन फैक्टरी है उनसे सुरक्षा फण्ड में धन लेना चाहिये था, लेकिन हमारे भरतपुर के सेन्टर में मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बिड़लाजी ने पचास लाख रुपया

(श्री रामकिशन)
दे दिया है इसलिये अब उनसे लेने की आवश्यकता नहीं है मैं किसी व्यक्ति विशेष पर शक नहीं करता, लेकिन भरतपुर में जो फैक्टरी है उससे सुरक्षा फंड में पैसा लेना चाहिये था, लेकिन हमारे मंत्री महोदय इन्कार करते हैं, उनसे धन नहीं लिया गया। मेरा निवेदन है कि जब उन पर कॉम्युनिज्म की मार पडेगी तो बिडला पर ही पड़ेगी न कि और किसी पर। हम तो उसी पक्ष के हैं हमारे पर उसका कोई असर पडनेवाला नहीं। आप इस प्रस्ताव की जांच करें कि केन्द्रीय मंत्रीजी ने इसका विरोध किया या नहीं? मैं बार बार मुख्य मंत्रीजी! शिकायत नहीं करता लेकिन यह एक विशेष बात है कि जिसके लिये मुझे निवेदन करना पड़ता है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से धन लेते हैं, आपको लेना चाहिये इसमें चुनाव में जीतने आदि का ख्याल न रखें। आपकी जो इस प्रकार की नीतियां बन गई हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रीजी! आप आज हैं, कल आप नहीं रहते हैं क्योंकि यह जनतन्त्र है, बड़ी बड़ी हुकूमतें बदल गई हैं। आपका ध्येय जो यह रहता है कि गरीबों के मन को गर्मायेंगे तो उनके द्वारा पचासों हुकूमतें बदली गई हैं, लोकतन्त्र में हुकूमतें बदलती रहती हैं इसलिये आपको समान दृष्टिकोण रखना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बेकारी की समस्या को मिटाने का कोई जिक्र नहीं किया। पहलेवाले अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक बेकारी को समाप्त कर देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि विधान सभा के इस अधिवेशन में जो स्टेटिस्टिक्स आपके विभाग की ओर से मिले हैं उसमें यह बात नहीं दी है। ६०-६१ के आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अन्दर दो लाख बेरोजगार थे, यह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज की सूची है। आपकी क्या बेकारी के संबंध में नीति है, क्या योजनायें आपने बनायी हैं उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं।

हमारे राजस्थान में निरक्षरता की समस्या है, दूसरी तरफ शिक्षित लोग बेकार काफी हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि पढ़े-लिखे लोग और बेरोजगार हैं उनकी एक सेना बनायी जाय, चाहे आप पचास हजार ले लें, तीस हजार ले लें उनकी एक निरक्षरता विरोधी सेना बनायें। आप उन लोगों को तनख्वाह दें; १००) रुपया नहीं दे सकते तो ५०) रुपया दें। उनसे कहें कि कुछ समय काम करने के बाद आपको वेतन १००) रु. कर दिया जावेगा और उनको निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम सौंपा जाय। इस तरह से मेरे इस सुझाव पर अमल करेंगे तो निरक्षरता हम राजस्थान से मिटा सकेंगे।

दूसरा, हमारे गांवों में भी बेकारी की समस्या है उसके लिये मेरा सुझाव है कि हमारे यहां राजस्थान में काफी जमीन पडत पड़ी हुई है। जैसे मेरे पास आकड़े हैं, पड़त जमीन जो हमारे पास है उसमें ८० प्रतिशत जमीन ऐसी है जो खेती के लायक है। गांवों में हरिजन, शूद्र, आदिवासी हरिजन रहते हैं। उन लोगों की पचास हजार की एक सेना बनाई जाय। अगर आप एक आदमी को ८०) रुपया माहवार पर भी रखें तो चार करोड़ रुपया खर्चा होगा और दूसरी तरफ

(श्री रामकिशन)
हम जो विदेशों से अन्न मंगाते हैं वह एक अरब और ४० करोड़ रुपये का है। हम भारत सरकार को कहें कि हमारे यहां बेकार जमीन पडी है हम उस पर अन्न का उत्पादन कर सकते हैं, आप हमें इतनी मदद दीजिये। जिस प्रकार आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में १६ लाख टन अनाज पैदा करने का टार्गेट रखा है अगर भारत सरकार को थोड़ा समझाया जाय कि उनको तो रुपया देना है, विदेशों से अन्न मंगाने के लिये देना पड़ता है इसलिये वे यदि थोड़ा रुपया हमें दे दें तो हम तीन, चार, पांच सालमें चालीस-पचास लाख टन अनाज पैदा करके उनको दे सकते हैं। इससे हमारे राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी और जो रुपया विदेशों में जाता है वह बच सकता है। ये तरीके हैं जिनसे मुल्क बनते हैं। इनको हमें अपनाना होगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में दो चीजों का जिक्र किया है। एक तो सुरक्षा के बारे में और दूसरा जिक्र यह किया कि सुरक्षा व्यय बढ़ जाने से हमारे पर बहुत भार बढ़ गया है, इसलिये हमें त्याग के लिये तैयार रहना चाहिये। उनका मतलब है, हम टैक्स देने के लिये तैयार रहें। जहां तक टैक्स देने का सवाल है कोई भी नागरिक इसके लिये इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन हमें देखना यह है कि जो हमारे पास आमदनी बढ़ाने के साधन हैं उनका हम भली प्रकार से उपयोग कर भी रहे हैं या नहीं।

आप अपने माइन्स डिपार्टमेन्ट को संभालिये। मैं आपको ५१ के स्टेटिस्टिक्स बताता हूं। इसमें हमारी आमदनी ३६ लाख रुपये होती थी, जब कि राजा-महाराजाओं का सामन्ती शासन था उस समय यह आमदनी थी। उसके बाद राजस्थान बनने के बाद १ करोड़ रुपये की आमदनी हुई। अगर हम इस क्षेत्र में पैसा लगायें, प्राइवेट क्षेत्र में नहीं, पब्लिक सेक्टर में; तो हमें टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजस्थान में जिस प्रकार रॉ-मेटीरियल मिलता है उतना अन्य प्रान्तों में नहीं। सारे हिन्दुस्तान में बढ़िया किस्म की धातु दो ही प्रान्तों म मिलती है उड़ीसा और राजस्थान में; जिनको हम पिछड़ा हुआ प्रान्त कहते हैं; यहां की सरकार भी पिछड़ी हुई है। अगर प्रोग्रेसिव सरकार होती तो इसका नक्शा और ही होता।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप जैसों की · · · ·

श्री रामकिशन : तो कभी का हो गया होता। लेकिन हमें तो पिछड़ी हुई सरकार मिली है। मैं वे ही स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रख रहा हूं जो मुझे आपके विभाग द्वारा मिले हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसके विकास के लिये हम कितना काम कर रहे हैं। आज हम जो उद्योग-धंधों में पैसा खर्च करते हैं उसको सही रूप में लगायें और उद्योग धंधों को खोलें तो हमारे यहां ये टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहे। बस एक, दो योजनाओं का नाम ले लेते हैं, लेकिन यदि सरकार के मंत्रीगण योजना पर सही रूप से अमल करें और इस पर गंभीरता से विचार करें तो राजस्थान में कर लगाये बगैर भी हम काफी आमदनी कर सकते हैं।

हम अपनी फिजूल खर्ची को कम करें। आज जहां हम दो अरब रुपया खर्च करने वाले हैं उसमें आसानी से २०-२५ करोड़

(श्री रामकिशन)
रुपया बचा सकते हैं। फिजूल खर्ची का हाल यह है कि राज्यपाल के पिछले भाषण में देखा, जो पुराने काम उठाये गये उनका क्या हाल हुआ, वे पूरे हुये या नहीं, इसका कहीं उल्लेख नहीं होता। मैं आपको प्रमाण दूं। खनिज विभाग का हाल यह है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, वह दो साल से दर्ख्वास्त दे रही है कि उसको ठेका दिया जाय, लेकिन डाईरेक्टर साहब के यहां से वह दर्ख्वास्त निकलती नहीं। कहा यह जाता है कि पैसे नहीं खिलाते, निकले कहां से। आज राजस्थान में यह वर्ग हावी है। यह कांग्रेस के राज में चलता है। मुख्य मंत्री महोदय के पास दो साल से कागजात पड़े हुये हैं, लेकिन वे निकलते नहीं। हमें दुखः इस बात का है कि इस तरह से हम योजनाएं पूरी कर रहे हैं। सिचाई विभाग का हाल यह है कि इसके संबंध में जब सिंचाई मंत्रीजी से बातचीत करते हैं तो वे हंस कर उस बात को टाल देते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर): हंसे और फंसे।

श्री रामकिशन: मैं सिचाई मंत्री जी को भरतपुर के बारे में बराबर निवेदन करता आया हूं। भरतपुर में छोटे छोटे बांधों से काफी सिंचाई हो सकती है। स्टेट के टाइम में भरतपुर में २१६ बान्ध थे, आप लिस्ट मंगवाइये आपको पता चल जायगा।

२१६ में से ४६ टूटे पड़े हैं। लागत उनको सुधारने की ज्यादा नहीं। हजार, हजार, दो, दो हजार की लागत है। पानी रोक दिया जावे तो पैदावार बढ़ेगी, लोग सिंचाई कर सकेंगे, फ्लड भी रुक जावेगा; पर खेद है कि यह सारा काम करे कौन? उस क्षेत्र का तो कोई मन्त्री नहीं इस मंत्रि-मंडल में। यह मुश्किल है। यह उदयपुर के लिये भी होता तो मैं बुरा समझता हूं। पर अगर वहां यह होता तो मामला कभी तय हो गया होता। अब यहां क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां का कोई मंत्री नहीं है। मंत्री रखना मेरे बूते की बात नहीं है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो लगातार हमने कहा कि फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड के पास पैसा है। मिनिस्टर साहब से कहते हैं तो भाषण देते हैं कि बोर्ड करेगा। सिचाई मंत्री भाषण देंगे और यह कह देंगे कि हमने इसके लिये बोर्ड बिठा दिया है।

मैं पूछता हूं, यह वाटर लोगिंग की प्रोब्लम ५७ से चली आ रही है। खाली बोर्ड बैठा देने से क्या होगा? तो इस तरह यह सरकार तो निष्क्रियता में पड़ गई और मंत्रियों का हाल यह कि कोई अफसर को टेलीफोन करें। अब टेलीफोन करें तो वे अफसर मंत्रियों के बारे में क्या राय रखते हैं, यह तो भगवान् जानें, वे समझें अपने आपसी सम्बन्धों को। वे तो टेलीफोन कर दें। अफसरों से मिलना दिक्कत का मामला है और मंत्री से कहें तो ऐसी हालत में क्या कहें? एक तरफ तो नियम बना रखा है कि विधायक किसी अधिकारी से मिल कर दबाव नहीं डालें। अब मिनिस्टरों को कहें तो यह हाल है! मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा एक बहुत भ्रष्ट मामले के बारे में। मैं आम तौर पर उनसे कभी मिलता नहीं। वे काफी व्यस्त रहते हैं। एक ने मुझे कहा कि उनसे मिलो, वे बहुत मिलनसार हैं। बात आप उनके सामने रखेंगे तो वे सुनेंगे। मैं मिला

(श्री रामकिशन)
एक बार तो उन्होंने जवाब दिया कि मामला विचाराधीन है। आठ महीने हो गये। अब शायद उस पर पानी फेर दिया गया है। राजस्थान में यह सरकार कोई क्रियाशीलता दिखा सकेगी, इसमें मुझे तो शक है।

जैसा प्रस्तावक महोदय ने स्वयं ने भी अपने भाषण में कहा कि विकास की गति भी यहां विधान के अनुसार ठीक नहीं है। वे ठीक कहते हैं। मैं भी यही कहता हूं। हमारे राजस्थान में, हमारे क्षेत्रों में किनका विकास होता है? जहां के मंत्री होते हैं। मैं अपने ही इलाके की बात कह दूं। सन् ६१ के स्टेटिस्टिक्स हैं मेरे पास। भरतपुर में पोस्टआफिस ज्यादा है। क्यों? वहां के एक मंत्री पोस्ट ऑफिस के मंत्री हैं, दिल्ली हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी आपस में सोचे इस बात को तो अच्छा है। जहां का मंत्री हुआ तो वहां पोस्ट ऑफिस बहुत अधिक खुल गये। इसी तरह से सडक कहां ज्यादा हैं? उदयपुर में। कारखाने कहां ज्यादा हैं? उदयपुर में। पर-कैपिटा बिजली कहां ज्यादा है? कोटा में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उदयपुर का तो पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर नहीं है।

श्री रामकिशन: जब पी. डब्लू. डी. का मिनिस्टर अलवर का हुआ तो वहां ज्यादा सड़कें हुईं। एक-दो साल भरतपुर में भी सड़कें आईं। तो इसका मतलब क्या है? मैं किसी व्यक्तिगत बात के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं सिद्धान्त रूप में इस चीज का विरोध करता हूं। मंत्रीजी जो होते हैं वे सारे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं। अब अगर वे इस तरह से करते हैं तो विधान की मर्यादाओं को तोड़ते हैं। मंत्री होने के नाते वे राजस्थान के हैं, उनको राजस्थान का विकास करना है, किसी क्षेत्र-विशेष का नहीं, उदयपुर का नहीं। सुखाड़ियाजी रहें या नहीं, यह बड़ी बात नहीं, हमारा राजस्थान रहे, देश रहे, राजस्थान बढ़े, देश बढ़े और फूले फले, यह बड़ी बात है। इस भावना से हम अगर काम करेंगे तो अच्छा है। यह नहीं, बिजली मंत्री हुआ तो झालावाड़ में ही बिजली अधिक से अधिक हो, सड़क मंत्री अलवर का हुआ तो अलवर में अधिक सड़कें बनने लगीं, सिंचाई मंत्री कहीं का हुआ तो वहां पानी का प्रबन्ध सबसे अधिक हो जाय, पोस्ट ऑफिस का मंत्री कहीं का हुआ तो वहां पोस्ट ऑफिस ही हो जायें। तीन तीन घरों के गांव में पोस्ट ऑफिस खोल रखा है! यह हालत है! तो मैं इसका व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करता हूं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप जब तक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं अपनावेंगे तब तक आप देश को बचा नहीं सकेंगे। इस तरह से हर मामले को मैं रखता हूं। फ्लड के लिये दर्ख्वास्त दी, चिट्ठी लिखी, सुझाव लिखे और जवाब क्या आता है, मैंने आप को चीफ इन्जीनियर साहब से मिला दिया। चीफ इन्जीनियर से मिलाकर मानो बड़ी भारी कृपा कर दी।

श्री निरंजननाथ आचार्य: ये व्यक्तिगत चल रहे हैं। अपने पूर्व के सारे प्रश्न रख रहे हैं।

श्री रामकिशन: यह तो पैदावार गिरने के कारण बता रहा हूं। राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ रहा है और वाटर लोगिंग आ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह भाषण उनका हूबहू वह का वह है जो वे पहले सत्र में दे चुके हैं। किताब मेरे पास है।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय गलत किताब बता कर सदन को भ्रम में डाल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप तो फिर वही वाटर लोगिंग में आ गये।

श्री रामकिशन : जब आप राष्ट्रीय भावना से काम करेंगे तभी सारे देश की और हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ सकती है, अपनी हालत सुधर सकती है।

अब भ्रष्टाचार का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय के तमाम भाषण में इस भ्रष्टाचार का कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान में यह भ्रष्टाचार कहीं रहा ही नहीं। पर मैं इसके एक-दो प्रमाण आपके सामने रखता हूं।

नीम का थाना है। वहां एक एस.डी.एम. हैं। मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं, कोई पहिचान नहीं। उनकी भयंकर शिकायत होती है। रिश्वत और पैसा वे खाते हैं कि नहीं, यह तो अलग रहा, उनकी तो बड़ी बड़ी अजीब शिकायतें हैं। व्यक्तिगत उनके चरित्र में जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं। एक रेप का केस हुआ वहां। उसमें कभी कुछ डॉक्युमेन्ट्स दिये गये। उन्होंने वे डॉक्यूमेन्ट्स बदल दिये। मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। उसका फॉटो और तथ्य सदन की मेज पर रखता हूं।

कृपया फॉटो स्टेट कापी राजस्थान विधान सभा के टेबिल ऑफिस में देखें मैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला। उनको सब कागजात दिखाये। पर एक एस. डी.-एम. का क्या रोब है, वे कोई महापुरुष हैं या राजपुरुष हैं कि जिसके बारे में बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया, जनता ने प्रदर्शन किया, वह आज भी वैसे ही हैं। सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, sir, मैं आपका ध्यान रूल २७३ की तरफ दिलाता हूं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसा एलीगेशन जो पर्सनल एलीगेशन है, वह जब तक प्रीवियस नोटिस टू दी स्पीकर न दिया जावे, तब तक ऐसा नोटिस आन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस नहीं आ सकता। मैं उसे पढ़ देता हूं:-

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned; so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

तो मेरी सिर्फ अपील सदन से यही है कि किसी पर्टीक्यूलर पर्सन के सम्बन्ध में अगर कोई आपत्ति है और वे एलीगेशन के आधार पर कोई बात कहते हैं तो उसका प्रीवियस नोटिस देकर उस मद्दे को उठाया जावे ताकि प्रोपर ऑपोर्चुनिटी मिल सके डिफेन्स करने की।

श्री उपाध्यक्ष : I hope in future the Hon' ble Member will keep this in mind.

श्री रामकिशन : मैं हिन्दी बगैर समझ नहीं पाऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन यही है कि मेरा कोई व्यक्तिगत

(श्री रामकिशन)

आरोप यह नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री महोदय को साल भर से कहा जा रहा है। आपको उस स्थिति का पता नहीं। आपके गृह मंत्रीजी के पास इसकी साल भर से सुनवाई नहीं होती। इसमें फिज़िकल एजूकेशन, जिसके आप मंत्री हैं, उसका भी जिक्र आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: अंग्रेजी में मत बोलिये।

श्री रामकिशन: जो आपने लिखा है वही पढ़ा है। शारीरिक शिक्षा के बारे में जिक्र किया है। उस जोधपुर कॉलेज के बारे में कितनी शिकायत है।

श्री मथुरादास माथुर: नीम का थाना वाले केस के बारे में जिक्र किया। इसका जवाब तो वैसे जब जवाब दूंगा तब दूंगा। पर साल भर से यह मामला चल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, यह जो कहा गया उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि यह मामला जनवरी में मेरे पास आया। डॉक्युमेन्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, आपके पास तो बाद में आये होंगे। १७ जनवरी को शिकायत आई है और इसके बाद में जांच हुई है, रिपोर्ट मौजूद है और इसका फैसला जल्दी ही देंगे। इस पर माननीय सदस्य यह कहें कि साल भर से चल रहा है और सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके लिये फिर माननीय सदस्य को साल भर का और महीने का अन्तर समझाना पड़ेगा।

श्री रामकिशन: स्थिति यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने को संबंधित मंत्री समझ लिया।

श्री मथुरादास माथुर: मैं सम्बन्धित मंत्री हूं। कोई सरकारी अफसर रेप के मामले में आए तो केस मेरे पास आवेगा। मैं सम्बन्धित मन्त्री हूं, यह माननीय सदस्य को सूचना होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तो रेप का संबंध आपसे है?

श्री मथुरादास माथुर: कोई भी क्राइम हो, उसका सम्बन्ध मेरे से है।

श्री रामकिशन: आप जरा समझें।

श्री मथुरादास माथुर: समझा है। आपने एक रेप का मामला रखा है?

श्री रामकिशन: आप अधीर क्यों हो रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है?

इसी तरह से जोधपुर के फिजिकल एजूकेशन कॉलेज का मामला है। वहां की एक बिल्डिंग इस कॉलेज के लिये खरीदी गई। मैं निवेदन करूं कि मेरे पास एक फॉटोस्टेट कापी है एक चिट्ठी की। जिसका वह मकान था उसने एक चिट्ठी लिखी है कॉलेज के प्रिन्सिपल को कि अगर आप इतने में मेरा मकान खरीदवादो तो १० हजार रुपया दे दिया जावेगा। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की और इस तरह के मामलों में पड़ने की। पर इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि मालिक मकान मानता है कि १.४५ लाख (एक लाख पैंतालीस हजार) में मैं अपना मकान बेच दूंगा और इसके लिये १० हजार तुमको दूंगा और उधर सरकार उस मकान को खरीदती है २॥ लाख में। इसमें अब क्या राज है, यह तो सरकार ही जाने। उसने चिट्ठी लिखी है कि १.४५ हजार में मैं देने को तैयार हूं और सरकार ढाई लाख में खरीदती है।

(श्री रामकिशन)

तो एक तरफ तो सरकार अपने खर्चों में कमी करने की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह के भ्रष्टाचार पनपते हैं और पैसा बर्बाद किया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): यह चिट्ठी आपको लिखी गई है ?

श्री रामकिशन: आपको भी नहीं लिखी गई। आपको लिखी जाती तो आप उसे दबा जाते। वह प्रिन्सिपल को लिखी गई है। मैं सदन का समय इस बारे में अधिक बहस करके खराब नहीं करना चाहता।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपके पास कैसे आई फिर यह चिट्ठी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह एक सीरियस एलीगेशन है, इस तरह से हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री रामकिशन: आप जरा कहने तो दीजिये मुझे। बीच में इस तरह से टोकिये नहीं। यह फॉटो है। यह कोई सरदार सुजानसिंहजी हैं प्रिन्सिपल वहां के कॉलेज के, जो मकान मालिक हैं ज्ञानसिंह या भानसिंह उन्होंने लिखा है कि सरदार सुजानसिंह आपका बंगला १ लाख ४५ हजार में बिकने पर आपको १० हजार रुपया दूंगा। फिर आगे मारवाड़ी में लिखा है जोधपुर के मंत्री अच्छी तरह समझ सकते हैं 'खेल ठीक रहेगा'। पता नहीं क्या लिखा है; यह फॉटो है जिसे मैं सदन की मेज पर रख देता हूं। सरकार उसकी जांच करे......

(फॉटो स्टेट कॉपी कृपया विधान सभा के टेबल ऑफिस में देखें)

श्री निरंजननाथ आचार्य: पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वह जो फॉटो है उसकी ओरीजिनल कहां है या फिर यह कहां से किस तरह प्राप्त हुआ, इसको बताया जाये ताकि आप जो पढ़ने में गड़बडी कर रहे हैं उसको हाउस ठीक तरह से पढ़ सके। असली कागज पहले रख दिये जायें और फॉटोस्टेट बाद में। This is a secondary evidence. Primary भी रखना चाहिये। फॉटो उस हालत में प्रस्तुत किया जाता है जब कि प्राइमरी एवीडेन्स न हो। आप खुद भी इस बारे में कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या लिखा है, क्या नहीं; इसलिए आप ओरीजिनल पेपर्स प्रस्तुत करें।

श्री रामकिशन: ओरीजिनल मेरे पास नहीं हैं। मेरे पास तो फॉटो आया है जोधपुर से।

श्री निरंजननाथ आचार्य: फिर उपाध्यक्ष महोदय, आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करने का समय दिया जाये। आप ओरीजिनल पेपर्स बतायें और उसके बताने में असमर्थ हैं तो फिर यह बतायें कि आपने उनका कैसे फॉटोग्राफ लिया, यह नकल कैसे आ गई। या यह बात है कि दरअसल ओरीजिनल पेपर्स थे ही नहीं और फॉटोग्राफ बना ली गयी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह तो मंत्री महोदय को पता है; यहां तक कि मामला पुलिस में है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बुलाया और अपने बयान भी दिये। सरकारी पत्र-व्यवहार भी हुआ। तो इस बात को छिपाने से कोई बात नहीं है। यह तो आप रास्ता निकालें कि ऐसी गड़बडी क्यों हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपको ओरीजिनल पत्र देने में क्या आपत्ति है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ××××

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने मन्त्री का और सब का नाम लिया यह उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि स्पेसिफ़िक यह बात रखी जानी चाहिये। इस तरह से शुरुआत की जाये तो गलत बात होती है। वास्तव में क्या चीज़ है वह स्पष्ट होनी चाहिये, नहीं तो इससे वगनेस क्रियेट होती है।

श्री रामकिशन : मैंने नहीं कहा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : My submission is that it is a serious allegation. I want observation of the Chair, Sir. What about the original letter, Sir ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह आवश्यक नहीं है कि जो माननीय सदस्य यह फ़ॉटो स्टेट कॉपी रखें वे सोर्स बतलायें। माननीय सदस्य यह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि कहां से इन्फ़ोर्मेशन आती है, कहां से नहीं आती। कई इनफ़ोर्मेशन तो मन्त्रियों की ओर से आती हैं, वह कैसे बता सकते हैं? सवाल आता है, वह कैसे बता सकते हैं? यह है कि फ़ॉटो स्टेट कॉपी है, उनका बयान ले लिया जाये, जो कुछ जानकारी होगी वह बाद में बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो ऐतराज़ किया मैं उसकी ताईद करता हूं कि जिन मन्त्रियों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है जब तक मन्त्री का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया जाये उस समय तक इस बात को रखना उचित नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य जिन्होंने मन्त्री महोदय के ऊपर आरोप लगाया और जैसा वे कहते हैं कृपया वे उनका नाम बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संबंध में खुले आम पब्लिक मीटिंग में पर्चे बंटे हैं। वे मेरे पास हैं। उनमें साफ़ तौर से यही लिखा है। उनमें स्पष्ट आरोप लगाया गया है। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार कुछ नहीं बोली।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं बता सकते तो इन वर्ड्स को विथ्ड्रॉ कीजिए।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो खुले आम पब्लिक मीटिंग में आरोप लगाये गये हैं।

श्री प्रतापसिंह : This is an afterthought.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि इस चीज़ की आप जांच तो करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको कहता हूं कि जितना लाइटली उसको लेना चाहते हैं यह बहुत सीरियस चार्ज है कि कोई रेस्पोन्सिबल सदन का सदस्य मन्त्री महोदय पर आरोप लगाये। अगर ऐसा है तो उनको खुले रूप से कहना चाहिये; यह क्या कि आपने कह दिया।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय श्री रामकिशन पज़ेशन ग्रॉफ दी हाउस में हैं और उन्होंने जो फॉटो वगैरह पेश की हैं उसके बारे में वे अधिक स्पष्टीकरण दें कि वह फॉटो उनको किस प्रकार से उपलब्ध हुई है, क्या ग्राधार है ?

श्री मथुरादास माथुर : कौन से कॉलेज के बारे में है ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से ग्रानेवाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह बहुत सीरियस है। या तो वे माफी मांगे या फिर इसको विथ्ड्रा करें या स्पष्ट कहें कि क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि वक्ता महोदय इसमें स्पष्टीकरण दे दें।

श्री रामकिशन : जहां तक मेरा मामला है, मैंने कोई ग्रारोप नहीं लगाया।

श्री मथुरादास माथुर : यह कॉलेज कहां की है ?

श्री रामकिशन : यह फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर का है। इसमें कोई सुजानसिंह नाम के प्रिन्सिपल हैं; जिन्होंने यह पत्र लिखा है, उनका नाम भानसिंह है। क्योंकि मेरे पास इस समय ग्रोरीजिनल पेपर्स नहीं हैं। इसलिए मैं नहीं दे सकता। ग्राप चाहें तो इसके बारे में जांच कर लें। यह पुलिस के पास मामला है ग्रौर शिक्षा विभाग के डिप्टी डाईरेक्टर ने भी संबंधित ग्रादमी को बुलाया। जांच की जा रही है ग्रौर इसके ग्राग विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो जब ग्राप इस मामले को लेंगे उस समय में ग्रोरीजिनल कागज जिनके पास हैं उनके पास से लाकर पेश कर दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऐसा मालूम पड़ता है कि सुजानसिंह कोई प्रिन्सिपल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: I will not permit this personal conversation.

श्री मोतीलाल चौधरी : यह तो प्राइवेट संस्था की बात होगी।

श्री रामकिशन : यह तो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप स्पष्टीकरण जो कुछ दना चाहें वह दे दें।

श्री रामकिशन : मैं तो दे चुका हूं। मेरे पास जो शिकायत ग्रायी है वह दूसरे लोगों की है। कागज उनके पास है, ग्राप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा निवेदन यह है कि एक बहुत ही सीरियस एलीगेशन हाउस के प्रांगण पर लगाया है। फिर ग्राप कहते हैं कि यह हमारे ग्रौर ग्रापके समझने की बात है। परन्तु यह तो हाउस के समझने का प्रश्न है। इसलिए बेसिस ग्रॉफ एलीगेशन कहां से प्राप्त हुई है, यह बता दें ताकि हाउस के सामने सारा स्पष्टीकरण किया जा सके। माननीय सदस्य ग्रौर मेरे बीच में कोई डॉमेस्टिक ग्रफेयर नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापसे ग्राग्रह किया जाये कि इसको स्पष्ट किया जाये ताकि प्रांगण पर जवाब दिया जा सके। नहीं तो जहां तक मैं समझ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
पाया हूं स्थिति यह है कि इसको हाउस नहीं समझ पाया है, "नेचर ऑफ एलीगेशन"

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय वक्ता महोदय इस बात पर ध्यान देंगे और सारी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे क्योंकि सारी बातें जब हाउस के सामने आ चुकी हैं तो उनको खुलासा कहना आवश्यक है।

श्री रामकिशन : जहां तक मेरा संबंध है इससे ज्यादा सूचना मेरे पास नहीं है। हाउस इस बारे में कोई कमेटी बैठा दे, और तरह से जानकारी की जा सकती है। मेरे पास ओरीजिनल कागज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उप शिक्षा मंत्री बहुत होशियार हैं। बच्चों से बहला कर सारी बात पूछ लेते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाउस को पता है या नहीं। हाउस को पूरी तरह ज्ञान नहीं है। आप इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण दें ताकि जितना सीरियसली आपने कहा है उसी सीरियसनैस से इसका जवाब दिया जा सके और हाउस इस पर डिसीज़न ले सके। यह आपके या मेरे व्यक्तिगत ज्ञान का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशन : इसमें अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्क्वायरी पुलिस के पास है। गृह मंत्रीजी और जांच कर लें। मेरे पास और कागज नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आइन्दा ऐसे मसले को न रखा जाये।

श्री रामकिशन : आप कागज मांग रहे हैं, मैं देने में असमर्थ हूं।

अपव्यय बढ़ रहा है और टैक्स लगाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात और कही गई है कि वर्तमान संकट काल में औद्योगिक श्रमिकों ने पूर्ण सहयोग दिया। जब यह शुरू हुआ था, यानी चीन का आक्रमण हुआ था उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री पधारे थे और उप-मंत्रीजी भी थे तो यह तय हुआ था कि न तो मालिक छंटनी करेंगे और न मज़दूर हड़ताल करेंगे। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० में छंटनी हो रही है और श्रम संगठनों को तोड़ा जा रहा है, तालाबन्दी हो रही है। रामगंज मंडी में सरकार की डीफेन्स फैक्ट्री है उस डीफेन्स फैक्ट्री मे ५-६ तारीख को तालाबन्दी रही। कलेक्टर साहब को सूचना दी गई और श्रम विभाग के इन्सपेक्टर को सूचना दी गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। बड़े २ लोग तालाबंदी कर देते हैं और कहा जाता है कि श्रम शान्ति रही। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब जानते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० में छोटे २ लोग कितने हटा दिये गये हैं। कोटा में हटाये हैं, झालावाड़ में हटाये हैं और भरतपुर में हटाये हैं। सरकार खुद अपने समझौते को तोड़ रही है। इस एमर्जेन्सी के समय में मज़दूरों का सहयोग लेना आवश्यक है। रामगंज मंडी में एक उद्योग है, लोहेवाले का उद्योग है। वहां पर ५ और ६ तारीख को हड़ताल रही। उसकी सूचना दी गई जिलाधीश महोदय को, श्रम विभाग के इन्सपेक्टर को सूचना दी गई कि बगैर नोटिस वगैरह के तालाबन्दी कर दी गई है, लेकिन इन दोनों

(श्री रामकिशन)

मामलों में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं समझता हूं कि सरकार अगर यह चाहती है कि लोग देश में उत्पादन बढ़ायें, लोग उसमें सहयोग दें तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वातावरण बनाना पड़ेगा, अपने कर्म और आचरण के द्वारा लोगों में विश्वास पैदा करके यह बताना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान की अगर हमें जीत करनी है तो सरकार सतर्क है। यह फिजूलखर्ची की बात नहीं है, मंत्रि-मंडल के विस्तार की बात नहीं है, दूसरे लोगों की बात करता हूं। आपके यहां १८ मंत्री और उप-मंत्री हैं। आपकी पर-केपिटा इनकम और पंजाब की पर-केपिटा इनकम क्या है? उत्तर प्रदेश की पर-केपिटा इनकम क्या है? उसके बारे में यह तर्क देते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ को निश्चित् तौर पर हटा सकते हैं। आप तो त्याग करने वाले हैं। अगर आप अपील करेंगे तो आप तो त्यागी हैं। वैसे ही हट जायेंगे। एकाध उपमंत्री का तो बिल्कुल ही उपयोग नहीं। हम जयपुर आते हैं और टेलीफोन करते हैं और पूछते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि गुसलखाने में हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: इतना तो आपसे मिलते हैं, फिर क्यों XX बोल रहे हैं?

श्री रामकिशन : अगर कुछ को हटा दें तो देश में एक वातावरण बनेगा और उत्साह पैदा होगा।

दूसरा निवेदन करना यह है कि अपील हो रही है कि आप लोग त्याग करें और धन इकट्ठा हो रहा है। अगर आप इस संबंध में जांच करेंगे, मैंने एक प्रश्न भी पूछा है और आपकी सूची आ जायगी कि १,००० से ऊपर तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचरियों ने राष्ट्रीय रक्षाकोष में कितना पैसा दिया। आप सूची में पावेंगे कि वह नगण्य है। जितने भी बड़े अफसर उन्होंने कब दिया है। मैंने मंत्रियों और अफसरों के ही बारे में पूछा था। जो मंत्रीजी बहुत ज्यादा बोल रहे है उन्होंने भी एक फोटो खिचवाते हुए अंगूठी का दान कर दिया है। शादी की अंगूठी मधुरता की निशानी है उसको नहीं देते, लेकिन मंत्री जी ने फोटो खिचाने के लिए शादी की अंगूठी देदी।

एक माननीय सदस्य : एक ही नहीं कई अंगूठियां हैं उनके पास।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन: मैं सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। इस तरह से आप यह चाहते हैं कि देश और राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बने तो मेरा निवेदन यह है कि मंत्रि-मंडल में कमी करें। एक हजार से ज्यादा पाने वाले अफसरों ने पैसा नहीं दिया उनसे भी रक्षा कोष में पैसा लिया जाय तो देश में एक वातावरण बनेगा और छोटे लोगों में हिम्मत आयेगी। एक हजार से ऊपर जो खर्च करने वाले लोग हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें भी प्रेस करें कि इस योजना में पैसा लगाना ही पड़ेगा। अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने प्रभाव को काम में लायें तो वे लगा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। राजस्थान में विकास हो रहा है जिसके लिए एक बड़े राष्ट्र की मदद मिली हुई है। जब तक सारा देश एक बड़े पैमाने पर तैयारी

XXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री रामकिशन)

नहीं करेगा तो हम समझते हैं कि हम फंस सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसी चीजें हैं जो हमने अखबारों में पढ़ ली हैं। मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, जहां तक वीर शहीदों के परिवार वालों को जो सुविधायें दी हैं उनकी तारीफ करता हूं। राजस्थान सरकार का स्वागत करता हूं कि उसने वीर सैनिकों का सम्मान रखा है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इस प्रकार का सरकार का दृष्टिकोण है उस पर धन्यवाद की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित करने का सवाल उठता ही नहीं है। इस पर जो बातें हमने ठीक समझी वे कही हैं उन पर गम्भीरता से सोचेंगे, समझेंगे तो राज्य का कल्याण हो सकेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) ओन ए पोइन्ट आफ आडर, सर, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने न तो अपने शब्दों को विथड्रा किया है और न वे एक्सपन्ज हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमन्त्री) : यों ही कह गये।

श्री उपाध्यक्ष : Order ?Order? Actually he was not in possession of the House. It was just a cursory remark not to be taken serious notice of.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : वे लफ्ज एक्सपन्ज हो जाने चाहिए जो वर्डस उन्होंने कहे।

एक माननीय सदस्य: यानी उनको वापिस ले लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: They can be expunged.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय,...........

श्री उपाध्यक्ष : I have got a slip with me..........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : पार्टी लीडर्स पहले बोलेंगे, उसके बाद में आप बोलेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर): एमेंडमेंट्स जिन्होंने मूव किये हैं वे पहले बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष :Please continue.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह, आप बोलेंगे।

(अनेक माननीय-सदस्य खड़े होते हैं।)

अब पहले लीडर्स बोल लें, यही उचित है; इसलिए आप कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो आपको बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): जिस समय माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने यह प्रश्न आया था उस समय इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि पहले जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किया है वे बोलें। यह बताया था कि पार्टी लीडर्स जो बोलेंगे वे बाद में बोलेंगे और उनके सामने समय का

(श्री भैरोंसिंह)

कोई प्रश्न नहीं होगा । उस व्यवस्था को वेव करते हैं तो दूसरे प्रकार के आधार पर बोलने की क्रिया तय करें । अब यह चाहते हैं कि पार्टी लीडर्स पहले बोल ले, तो मैं समझाता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी उसके विपरीत जावेगा, उसका निर्णय कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: Order please । एमेंडमेंट्स जिनके आये हैं वे माननीय सदस्य तो बोल चुके हैं । . .

श्री मानसिंह महार : अभी बाकी हैं; There are nine amendments.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. I could not see that amendment. Shri Hardatt Singh !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यवस्था यह थी कि पार्टी लीडर्स जिन्होंने अमेंडमेंट्स भी दिये हैं वे पहले बोलेंगे, और जिन पार्टी लीडर्स ने एमेंडमेन्टस नहीं दिये हैं वे भी पहले बोलेंगे । उसके बाद में दूसरे बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please । सारा भ्रम यही है । पहले अमेंडमेंट्स वाले बोलेंगे । यह ध्यानान्तरित हो गया था । श्री हरदत्तसिंह के एमेंडमेंट्स हैं इसलिए वे बोलें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order Sir, आप स्पीकर महोदय की दी हुई व्यवस्था को पढ़ लें । उनकी स्पष्ट व्यवस्था यह थी कि पहले पार्टी लीडर्स बोलेंगे चाहें अमेंडमेंट्स हों या न हों ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं समझता कि स्पीकर साहब ने ऐसी व्यवस्था दी हो । पहले अमेंडमेंट वाले बोलते हैं । इसलिए उस परम्परा के अनुसार मैं श्री हरदत्तसिंह का नाम एनाउन्स करता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसी कौनसी परम्परा आई है ।

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा जो पहले से चली आई है वही है । Order please ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : परम्परा यह रही है कि जो अमेन्डमेन्ट का सब्जेक्ट है उस पर ही बोलें, लेकिन आज स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी है कि अमेन्डमेन्ट दे दिये हैं तो . . . .

श्री उपाध्यक्ष : जी नहीं, मुझे सूचना मिली है कि यह व्यवस्था नहीं दी थी ।

व्यवस्था इस प्रकार की है कि पहले जिन्होंने अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं वे बोलेंगे और उनके पश्चात् पार्टीज के लीडर बोलेंगे जो परम्परा है उसको उखाडना नहीं चाहते मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य मुझे सहयोग देंगे और जो अमेन्डमेन्ट्स देने वाले माननीय सदस्य हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अधिक समय न लेकर शीघ्रातिशीघ्र भाषण समाप्त करें ।
श्री हरदत्त सिंह ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य, उप-मंत्री (शिक्षा): इसके लिये टाइम की व्यवस्था करदी जाय ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसके बारे में मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है । [संशोधन इस प्रकार है :--

(श्री हरदत्तसिंह)

"धन्यवाद-प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश नहीं डाला है:—

(क) वर्तमान संकटकालीन परिस्थिति में सरकार को जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त करना परम आवश्यक है जिसके लिए राज्य सेवाओं में और विशेषकर पुलिस विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए प्रभावशाली ठोस कार्यक्रम अपनाया जाना अनिवार्य है।

(ख) सुरक्षा प्रयत्नों और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की उन्नति में अत्यधिक योग-दान की प्राप्ति के लिये कृषि उत्पादन के साधनों यथा भूमि, कृषि, पैदावार, कृषि यंत्र, ऊंट इत्यादि पर से कर भार यथा-सम्भव कम किया जाना आवश्यक मान कर कृषि-उत्पादन को बढ़ाने में प्रोत्साहन देने के लिये भू-राजस्व में बढोतरी न किये जाने की घोषणा करना सरकार के लिए अत्युचित है।"]

अभिभाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अभिभाषण पर चीनी आक्रमण की काली छाया है, उसका असर पड़ा है जिसकी वजह से राजस्थान की बहुत बडी समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाने से रह गया है।

आज हमारे देश के सामने चीनी आक्रमण की शक्ल में राष्ट्रीय संकट आ खड़ा हुआ है और इस संकट की वजह से हमारे देश की जो कमजोरी थी वह बढ़कर सामने आई है। हमारे देश की राष्ट्रीय सरकार ने देश की सुरक्षा के लिये सैनिक तैयारी की जो कमी रखी थी उसकी वजह से हमारे देश को काफी आर्थिक, जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा है और उसको विभिन्न पार्टियों के नेता लोग हिमालय जैसी भूल कह कर देखना पसन्द करते हैं। लेकिन मैं साथ ही यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हमें चीनी आक्रमण से नुकसान हुआ है वहां लाभ भी हुआ है। चीनी आक्रमण की वजह से हमारा देश एक आदमी की तरह उठ कर राष्ट्रीय एकता के लिए खड़ा हो गया है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता की लहर आई है, और दूसरा लाभ यह हुआ है कि जो सैनिक-तैयारी में पहले कमजोरी रखी थी उस ओर भी ध्यान गया है। सैनिक तैयारी में देश को सम्पन्न बनाने के लिये राष्ट्रीय नेताओं ने बाहरी राष्ट्रों से इमदाद मांगी है। मेरे से पहले बोलने वाले लोगों ने इस पर एतराज किया है। लेकिन मेरी मान्यता है कि राष्ट्रीय संकट के समय बाहर की सहायता लेना बड़े से बड़े राष्ट्र के लिये आवश्यक होता है; इसलिये हमें चाहे कोई भी राष्ट्र इमदाद दे, चाहे रुपये में बारह आना दे, आठ आना, चार आना या पैसा भर भी इमदाद दे तो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

चीन के साथ हमारा जो झगड़ा है वह विचार-धारा का है। जो चीन के दोस्त हैं वे हमारे दुश्मन हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। जो चीन के साथी है वे राष्ट्र के दुश्मन हैं। मैं सामाजिक या आर्थिक मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। मैं एक ही मुद्दा सामने रखता हूं। जो राष्ट्र की सीमा रखी है उसमें चीनी विचारधारा के समर्थक हैं वे राष्ट्र के गद्दार हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों या कोई भी

Page No.107

(श्री हरदत्त सिंह)

पार्टी हो और जो हमारी राष्ट्रीय सीमा रखी है उसमें जो पार्टी हमारा साथ देती है, चाहे वह कॉम्यूनिस्ट पार्टी हो या और कोई हो, उस पर लांछन लगाना देश के विभाजन की तरह है, कूटनीति की तरह है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिये आज जो भी चीन के दुश्मन हैं वे आज हिन्दुस्तान के दोस्त साबित हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि आज करीब-करीब सभी लोग मानते हैं, हम अपने प्रथम मोर्चे में जो कि युद्ध का मोर्चा था उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। उसमें चीन के मुकाबले में पीछे हटे, क्योंकि सैनिक तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ यह भी अनुभव करता हूं कि इसमें पराभव हुआ; उसमें सेना की तैयारी नहीं थी। सैनिक पूरी ताकत के साथ लड़े, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी लेकिन जो भी कमजोरी थी वह सरकार की थी।

साथ ही साथ में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दूसरा मोर्चा जो उत्पादन का था उसमें भी सरकार कसर रखती है। दूसरे मोर्चे में उत्पादन का सबसे जरूरी मसला कृषि का है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिस पर दाद दी जा सके। मिसाल के लिये मैं गंगानगर के लिये अर्ज करना चाहता हूं। गंगानगर के किसानों ने इतना सोना दिया है कि उन्होंने राजस्थान का, हिन्दुस्तान भर में रेकॉर्ड कायम किया। लेकिन यहां के किसानों की बढ़ोतरी का जब सवाल आता है, सरकार की सहायता का सवाल आता है, वहां सरकार पूरी तरह से फेल रही है। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों २० हजार एकड़ भूमि भाखरा में खाली पड़ी थी जो सिंचित थी, उसको काश्तकारों ने लिया, उस पर सरकार ने १५ गुना तावान टैक्स लगाया है। इसका मतलब यह है कि ६५ रुपया फी बीघा तावान के तौर पर देना पड़ेगा। उनका कुसूर यह था कि सरकारी अफसरों की परवाह नहीं करते हुए भी उन्होंने अधिक उत्पादन का प्रयत्न किया। इसलिये मैं आपकी मार्फत कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन किसानों का कुसूर यह था कि वे खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं उन पर यदि ६५) रु० फी बीघा तावान लेने का जो फैसला किया था उसको हटा देंगे तो सरकार के प्रति किसानों का जो असंतोष है वह नष्ट हो जायगा। सरकार एक दल की है लेकिन फिर भी राष्ट्र के लिये संकट को देखते हुए यह लाजमी है कि हम चाहे किसी मोर्चे पर हों उसका सामना करने के लिये तमाम पार्टी के लोग सरकार को सहयोग दें। यह तभी हो सकेगा जब कि आम लोगों का असंतोष जो सरकार के प्रति है, वह दूर हो जायगा।

सोने की बात करते है। थोड़ी देर पहले विरोधी-पक्ष के नेता का भाषण मैंने सुना। उन्होंने कहा कि सोने की किसानों को भी जरूरत है, मध्यम वर्ग के लोगों को भी उसकी जरुरत है, लेकिन गंगानगर के लोग इस बात को नहीं चाहते हैं। हम मानते हैं कि हमको सोने की जरुरत नहीं है। हम सोना निद्रा को मानते है। हम कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिये जितना सोना है उसको हम देने को तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि आप सोना लीजिये, लेकिन जिस प्रकार आप खादी की विचारधारा लेकर चलते हैं, आप अपने पास से पैसा

Page No.108

(श्री हरदत्तसिंह)

लगाते हैं ग्रौर खादी खरीदने वालों को रिबेट देते हैं उसी तरह से धन-राशि की सहायता देकर सोडियम सल्फेट ग्रौर ग्रमोनियम सल्फेट जो किसानों के खाद के काम में ग्राते हैं उनको ग्राधी कीमत से दीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रकेला गंगानगर इतना ग्रनाज देगा कि कि सारे प्रान्त के लिये काफी होगा। इसकी प्राप्ति में कोई बाधा नहीं लगावें। राज्यपाल महोदय ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। किसान लोग जो मेहनत करके पैदावार बढ़ाते हैं उसके बदले में सरकार उनको देती क्या है? उनकी उपज पर टैक्स लगाया, चनों पर टैक्स लगाया है। एक बार मुझे मालूम है कि भाखरा का लगान चौगुना करने के लिये हनुमानगढ़ में रेन्ट रेट ग्रॉफिसर का दफ्तर लगाया था। जब उसके खिलाफ दरख्वास्तें पेश हुई तो वहां से वह दफ्तर छू-मंतर हो गया। दूसरा कदम उसी तरह का बंदोबस्त के लिये लिया जा रहा है। बीकानेर ग्रौर चूरू जिलों में बंदोबस्त की ग्राड़ लेकर किसानों पर टैक्स लगाने की तजवीज की जा रही है। ग्राज गरीब किसानों का शोषण करके उनकी ग्रास्था सरकार के प्रति नष्ट करेंगे तो सरकार घाटे में रहेगी। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी मारफत सरकार से ग्राश्वासन चाहता हूं कि जब तक इस देश में इस तरह की परिस्थिति मौजूद है, देश पर संकट मौजूद है, उस समय सरकार को ग्राश्वासन देना चाहिये कि किसी भी हालत में सरकार लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ायेगी।

दूसरी बात जो मैंने ग्रपने ग्रमेन्डमेन्ट में रखी है, वह यह है कि ग्राज बार-बार दुहाई दी जाती है कांग्रेस मंच से, सरकारी मंच से कि हमने तरक्की की है, योजनाएं बनाई हैं, मैं मानता हूं कि ग्रापने तरक्की की है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please। सदन का समय समाप्त हुग्रा। सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बजे दिनांक २८ फरवरी, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक, बुधवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६३

नगरपालिका रायसिंह नगर के वेतन स्तर

तिजारा (जिला अलवर) के अस्पताल की आवश्यकताओं की पूर्ति।

जिला पुलिस प्रशासन के लिये सलाहकार समिति ।

बीकानेर स्टेट के रूरल रीकन्स्ट्रक्शन विभाग के तहत डेरी में गबन।

जयपुर और बीकानेर स्थित उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में अन्तर ।

अलवर शहर में जैन औषधालय के लिये भूमि एलॉट करने के लिए सिफारिश ।

नगरपालिका कामां की नल-योजना।

पुलिस चौकी बड़ोदा मेव में एक व्यक्ति की पिटाई ।

चौमू नगरपालिका की नल-योजना।

नगरपालिका कर्मचारियों के सेवा-नियम।

बांसवाड़ा-दाहोद के बीच अनास नदी का पुल।

भरतपुर जिले के डेरी फार्म।

सांचोर में मुंसिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट।

इलेक्शन स्टाफ को रेवेन्यू स्टाफ से मिलाया जाना ।

आदर्श नगर, जयपुर में बिजली, पानी व सड़क व्यवस्था।

स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण ।

जिला गंगानगर के बोर्डर-क्षेत्र का सड़क द्वारा देहली से सम्बन्ध ।

पशुपालन विभाग की जीपें ।

श्री लाखेरी नगरपालिका के फूड इन्स्पेक्टर।

नसीराबाद में एलोपैथिक दवाखाने।

उदयपुर नगर परिषद् के चुनाव।

सीकर जिले में सार्वजनिक निर्माण-विभाग की शाखा ।

भीलवाड़ा-मांडलगढ़ सड़क ।

रोडवेज की बसें व उनका स्टाफ ।

उद्योग और कृषि हेतु बिजली की दरें ।

बीकानेर नगर परिषद् की सिनेमाघरों के विरुद्ध बकाया रकमें ।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षा शुल्क ।

बांदीकुई-राजगढ़ सड़क ।

कोलायत तहसील के गांवों में बिजली।

उदयगढ़-बांसवाड़ा सड़क ।

भू-संरक्षण (Soil Conservation) योजना ।

जयपुर नगर के अस्पतालों के लिये विजीटर्स कमेटी।

जवानों को श्रद्धांजली

अध्यक्ष महोदय ने उन जवानों के प्रति श्रद्धांजली अर्पित की जो चीनी-आक्रमण के समय देश सेवा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।

सदस्य उनके सम्मान में कुछ मिनट तक खड़े रहे।

शोक प्रकट

स्वर्गीय महारावल श्री संग्रामसिंह, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा एवं श्री बी. एन. दातार, राज्य मन्त्री, केन्द्रीय गृह मंत्रालय, के निधन पर अध्यक्ष महोदय ने श्रद्धांजली अर्पित करते हुए समवेदना प्रकट की।

सदस्यों द्वारा कुछ देर मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई।

स्थगन-प्रस्ताव

राजस्थान में डकैतियों की घटनाओं, विशेषकर पाकिस्तान से लगी सीमा-क्षेत्र में हुई डकैतियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(१) राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने २५ फरवरी, १९६३ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

(२) विधेयकों का विवरण

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी। विधेयकों का विवरण इस प्रकार है:—

(क) विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई—

राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२

(The Rajasthan Veterinary Practitioners Bill, 1962)

(ख) विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई—

(१) राजस्थान विधि-निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२

[The Rajasthan Laws Repealing and Amending Bill, 1962]

(२) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

[The Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Bill, 1962]

(३) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

[The University of Rajasthan (Amendment) Bill, 1962]

(३) अध्यादेश

निम्नांकित अध्यादेशों को सदन की मेज पर रखा गया :—

(क) राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६२)

[अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित]

(ख) राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६२)

[अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित]

(ग) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ४, सन् १९६२)

(घ) राजस्थान नगर-सुधार (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ५, सन् १९६२)

[अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण सहित]

(ङ) राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश संख्या १, सन् १९६३)

(४) नियम आदि

निम्नांकित नियम आदि सदन की मेज पर रखे गये:—

(१) नियुक्ति विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें जिनके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फन्कशन्स) रेग्युलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ ३ (१७) नियुक्ति (ए) ।६१, दिनांक २८ मार्च, १९६२

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. १४ (८) नियुक्ति (ए)। ५६, दिनांक २० मई, १९६२

(२) होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (६) (२०) एच. बी. I।६२, दिनांक २० नवम्बर, १९६२ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ (डेवलपमेन्ट) नियम, १९६२ के नियम ६ में संशोधन किये गये हैं।

(३) होम (बी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (१) (३) एच. बी. I।६१, दिनांक १६ फरवरी, १९६३ जिसके द्वारा टैक्निकल कोऑपरेशन मिशन ऑफ यू. एस. ए. आई. डी. (U.S.A.I.D.) की समस्त गाड़ियों को कर मुक्त किया गया है।

(४) राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ की धारा १० के अन्तर्गत बनाए गए राजस्थान होम गार्ड्स नियम, १९६२।

(५) वित्त (रेवेन्यू तथा इकोनॉमिक एफेयर्स) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (६)इ. एण्ड टी. । ६२, दिनांक २० नवम्बर, १९६२ जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

विधायी कार्य—पुर:स्थापित किये गये विधेयक :

निम्नांकित विधेयक पुर:स्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६३

[The Rajasthan State Cattle Fairs Bill, 1962]

(२) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Public Parks (Amendment) Bill, 1963]

Page No.112

(३) मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Motor Vehicles (Rajasthan Amendment) Bill, 1963]

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर श्री ब्रजसुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा, ने उन्हें निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्तुत किया :—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री फूलचंद जैन, सदस्य, विधान सभा, ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

उपरोक्त धन्यवाद-प्रस्ताव पर निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये :—

(१) महारावल श्री लक्ष्मण सिंह

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(३) श्री राम किशन

श्री हरदत्त सिंह अपने संशोधन प्रस्तावों पर बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार, दिनांक २८ फरवरी, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्यपाल, राजस्थान (डॉ० सम्पूर्णानन्द): अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,

इस महान् सदन के सदस्य, आप सब महानुभावों का इस वर्ष के प्रथम सत्र में मैं अत्यन्त हर्ष के साथ स्वागत करता हूं।

आपके समक्ष भाषण देने का मेरे लिये यह प्रथम अवसर है, अतः मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वर्तमान पद को स्वीकार करने में अपने आपको गौरवान्वित समझने के साथ ही साथ मैंने इस पद के कर्त्तव्यों के गुरुभार का भी पूरा एहसास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य के निवासियों के हित-साधन में मैं अपनी सम्पूर्ण योग्यता के साथ सदैव प्रयत्नशील रहूंगा।

२. यह अत्यन्त खेद का विषय है कि हमारे देश पर, जो सदैव शान्ति का प्रबल समर्थक रहा है, खुले रूप में आक्रमण किया गया है और वह भी एक ऐसे देश द्वारा जिसमें हमें अटूट विश्वास तथा निष्ठा थी। इस संकट के परिणामस्वरूप हम लोगों में उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना की जो लहर आई है उसे देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। चीनी आक्रमण के फलस्वरूप हमारे राष्ट्र में जिन उदात्त भावनाओं का उदय हुआ है वे बड़ी उत्साहजनक हैं। सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़कर अपनी सम्पत्ति, बचत, सेवायें, यहां तक कि अपना रक्त भी सहर्ष दान करते हुए देखना, सचमुच एक रोमांचकारी अनुभव है। इतना ही नहीं, हमको पृथ्वी के लगभग सभी राष्ट्रों से जो समर्थन तथा सहानुभूति प्राप्त हुई है उसका श्रेय हमारी शान्तिपूर्ण और दल-बन्दी से अलग रहने की नीति को है।

३. वर्तमान संकटकाल में इस राज्य के लोगों ने देश-रक्षा के कार्यों में जो योगदान दिया है वह वास्तव में ऐसा है जिस पर हम सब वास्तविक गर्व कर सकते हैं। इस क्षेत्र के निवासियों की रण-शूरता और अदम्य साहस का इतिहास साक्षी है। लद्दाख तथा नेफा की सीमाओं पर हमारे उसी गौरवपूर्ण इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा आप सब महानुभावों की ओर से उन शूरवीरों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजस्थान का इतिहास यहां की स्त्रियों की वीरता और देश-भक्ति की गाथाओं से भरा पड़ा है और आज हमारी महिलाओं ने राष्ट्र-रक्षा के क्षेत्र में जिस त्याग और उत्साह का परिचय दिया है वह इस बात का प्रमाण है कि वह पुरानी परम्परा आज भी पूर्ववत् जागृत है।

४. राजस्थान के युवक बड़ी संख्या में अपने आपको देश की सशस्त्र सेना में सेवा

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)
के लिये पेश कर रहे हैं, यह बड़ा आल्हादकारी अनुभव है ।

५. सशस्त्र सेनाओं के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ड्राइवरों, वायरलैस ऑपरेटरों तथा शिल्पकारों, के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर दी गई है ।

६. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिनांक १३-२-६३ तक हमारा अंशदान नकद दो करोड़ आठ लाख रुपये और सोना दो लाख तिरासी हजार ग्राम से अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जैसे कि ऊनी सामान, सूती कपड़े, दवाइयां, खाद्य पदार्थ, सिले हुए कपड़े आदि विपुल मात्रा में, यहां तक कि भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति भी, सुरक्षा-सेवाओं के लिये भेंट स्वरूप प्राप्त हुई है ।

७. शासन के सभी स्तरों पर, वर्तमान संकट संबंधी मामलों को अत्यावश्यक समझते हुए यथोचित रूप में निपटाया जा रहा है । राज्य के सुरक्षा प्रयत्नों को संगठित और सुचारु रूप से संचालित करने के लिये मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बना दी गई है जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक संकटकालीन समन्वय समिति भी कार्य कर रही है जो सरकार और अन्य संस्थाओं की कार्यवाहियों में आवश्यक समन्वय स्थापित करती है तथा यह व्यवस्था करती है कि इस संबंध में जो निर्णय लिये जायं उन्हें अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय ।

८. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये सहायता प्राप्ति के कार्यों में समन्वय लाने की दृष्टि से राज्य में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसके सदस्य सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं तथा संकटकालीन प्रयत्नों के विभिन्न पहलुओं पर यथोचित कार्यवाही करने के लिये उप-समितियों का गठन किया गया है । ऐसी ही समितियां जिला स्तर पर जिलाधीशों की अध्यक्षता में भी गठित की गई हैं ।

९. सुरक्षा प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण अंग नागरिकों को समस्त सम्भव आकस्मिक स्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करने के लिये प्रशिक्षण देना है । इस उद्देश्य-पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने कई प्रशिक्षण योजनायें चालू की हैं । इनमें से सब से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

[१] **नागरिक सुरक्षा:** राज्य के मुख्य मुख्य स्थानों के लिये नागरिक सुरक्षा योजनायें तैयार की गई हैं और सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के स्वयं-सेवकों को नागरिक सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है । २०,००० से अधिक व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा चुका है । एडीशनल इन्सपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन सिविल डिफेंस के डाइरेक्टोरेट की व्यवस्था की गई है और जिलाधीशों को अपने अपने जिलों का सिविल डिफेंस कन्ट्रोलर नियुक्त किया गया है ।

[२] **राइफल ट्रेनिंग:** राइफल क्लब पहले से मौजूद थे, उन्हें अब पुनर्जीवित कर दिया गया है और उनमें संख्या बढा दी गई है । नागरिकों को राइफल ट्रेनिंग देने के लिये १७९ राइफल ट्रेनिंग सेंटर खोले गये हैं । इस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जा रहा है ।

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)

[३] **नेशनल केडेट कोर :** प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं को काफी हद तक विस्तृत कर दिया गया है और केडेटों की संख्या १२,००० से बढ़ाकर २१,६०० कर दी गई है। आगामी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से समस्त कॉलेज छात्रों के लिये एन. सी. सी. में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया जा रहा है। जूनियर एन. सी. सी. की शाखाओं में भी संख्या काफी बढ़ाई जा रही है।

[४] **शारीरिक शिक्षा :** शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं की ओर शिक्षा संस्थाओं में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना को सब मिडल स्कूलों, हाई स्कूलों तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए पाठचर्या में अलग समय रख दिया गया है। बहुत से स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए अलग शिक्षक रखे जाने की तथा वर्तमान शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

[५] **ग्राम स्वयं-सेवक दल :** ग्रामीण जनता के प्रयत्नों को गतिशील बनाने और उनमें अनुशासन की भावना पैदा करने के लिये, राज्य के सब ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम स्वयं-सेवक दल का निर्माण करने की योजना चालू की गई है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिये एक मुख्य अधिकारी होगा, जो स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् गांव के अन्य स्वयं-सेवकों को प्रशिक्षित करेगा। मुख्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरम्भ हो गया है और लगभग १,५०० अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जनता को उत्पादन कार्यक्रमों और सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देने के लिये उत्साहित करने में भी यह दल मूलाधार का कार्य करेगा।

[६] **होम गार्ड्स :** शहरी क्षेत्रों के लिये, एक होम गार्ड्स संगठन की स्थापना की गई है। ऐसा निश्चय किया गया है कि इस संगठन में होम गार्ड्स की संख्या कुल चौदह हजार चार सौ रखी जाय। होम गार्ड्स के प्रशिक्षण का कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है।

[७] **फर्स्ट एड तथा होम नर्सिंग की ट्रेनिंग :** इस ट्रेनिंग के लिये २४१ केन्द्र चालू किए गए हैं जिनके द्वारा अब तक ११,००० से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

[८] **शिल्पकारों को प्रशिक्षण :** इस योजना के लक्ष्यों में वृद्धि कर दी गई है। अत्यावश्यक शिल्प-कार्यों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये अल्प-कालीन पाठ्य-क्रम तैयार किये गये हैं। इस प्रकार आगामी वर्ष में १,६८० अधिक शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

१०. चीन के साथ सैनिक संघर्ष में जो व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुए हैं अथवा जो शारीरिक असमर्थता के शिकार हो गए हैं सरकार ने उनको एवं उनके आश्रितों को अनेक प्रकार की रियायतें दिये जाने की आज्ञा जारी की है। सेना में भरती होने वाले

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)
व्यक्तियों को भी रियायत दी जायेगी । इनमें से मुख्य ये हैं :

(१) जो सैनिक कर्मचारी स्थायी रूप से असमर्थ हो गये हैं उनको अथवा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके आश्रितों को, नकद-अनुदान और डिफेन्स सेविंग्ज सर्टिफिकेट दिये जाते हैं ।

(२) शूरवीरता सूचक विविध सम्मान प्राप्त करने वालों को राज्य सरकार द्वारा विशेष नकद-अनुदान दिये जाते हैं ।

(३) सुरक्षा सेवा में जो कर्मचारी पंजाब और राजस्थान के निवासी हैं उनके लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में क्रमशः एक एक लाख एकड़ भूमि सुरक्षित कर दी गई है ।

(४) असमर्थ भूतपूर्व सैनिकों के लिये अथवा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों के लिये भी चम्बल सिंचित क्षेत्र में कुछ भूमि सुरक्षित कर दी गई है । दान में प्राप्त हुई कृषि भूमि भी ऐसे ही व्यक्तियों को दी जायगी । सुरक्षा सेवाओं के असमर्थ व्यक्तियों को अथवा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को समग्र राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भूमि दी जायगी ।

(५) जो सैनिक सामरिक क्षेत्र में कर्त्तव्य-रत हैं अथवा कर्त्तव्य-रत थे और जो राजस्थान म बस गये हैं, उनके आश्रितों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं ।

(६) राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं कि राज्य की विभिन्न सेवाओं में जो रिक्त स्थान सीधी भरती द्वारा भरे जाते हैं, उनमें से ५० प्रतिशत स्थान युद्ध-सेवा से आने वाले उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रहेंगे ।

(७) सुरक्षा सेवाओं में भरती होने वाले राज्य कर्मचारियों को भी नाना प्रकार की रियायतें तथा सुविधाएं दी जा रही हैं जैसे कि उनके पद-धारणाधिकार (लियन) को कायम रखना, सशस्त्र सैना में व्यतीत अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य-रत अवधि मानना, उनके परिवारों को चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं जारी रखना, युद्ध-सेवा पर्यन्त सरकारी मकान उनके परिवारों के कब्जे में रहने देना, आदि आदि ।

११. भारत सरकार की मांग पर हमने सशस्त्र पुलिस दल की एक बटालियन उनके अधीन कर दी है । तीन और बटालियन राज्य में प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

१२. वर्तमान संकटकाल में कीमतों में स्थिरता रखने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं । आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकने के लिये बड़े बड़े शहरों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोले जा रहे हैं । मुझे इसकी बहुत खुशी है कि इस संकट-काल में आवश्यक वस्तुओं की सामान्यतया कोई कमी नहीं रही और कीमतें भी स्थिर रही हैं ।

१३. जयपुर सूचना केन्द्र ने कई प्रकार के नये कार्य अपने हाथ में लिये हैं । जयपुर में और जोधपुर, बीकानेर तथा अजमेर में भी वायर ब्राडकास्टिंग सर्विस प्रारम्भ कर दी गई है । इस सर्विस को कुछेक अन्य नगरों में भी निकट भविष्य में ही प्रारम्भ कर देने की तजवीज है । यह जनसाधारण को खबर तथा आवश्यक सूचनाएं देने का स्थाई साधन है । अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर तथा कोटा में भी सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है ।

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)

१४. चालू वित्तीय वर्ष में हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ३५.४० करोड़ रुपये लगाने की योजना बनाई थी जिसमें से ३५ करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। यह हर्ष का विषय है कि पिछले दो वर्षों में हमने वे लक्ष्य करीब करीब पूरे कर लिये हैं जो योजनाओं में निर्धारित किये गये थे।

१५. वर्तमान स्थिति में योजना की सर्वांगीण पूर्ति का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है क्योंकि वह हमारे सुरक्षा प्रयत्नों का सारभूत अंश है। योजना का आधारभूत उद्देश्य औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ाना है जिसके लिये टेक्निकल प्रशिक्षण तथा विद्युत् शक्ति का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी भांति शैक्षणिक विकास की गति भी धीमी नहीं की जा सकती। इस पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखकर ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई और प्राथमिकताएं वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित की गई हैं। सामाजिक सुख-सुविधा संबंधी कार्यक्रमों के विषय में अधिक खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है और उन पर अब तक जितना व्यय किया जाता रहा है भविष्य में अपेक्षाकृत कम किया जायेगा। भवन निर्माण कार्यक्रमों में बहुत कुछ कमी करदी गई हैं ताकि हमारे साधनों को सुरक्षित रखा जा सके और इमारती सामान के उपयोग में मितव्ययता लाई जा सके।

१६. सुरक्षा प्रयत्नों और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की उन्नति में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान की आशा कृषि उत्पादन के क्षेत्र से है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिये जो कार्यक्रम चुने जायं वे ऐसे होने चाहियें जो शीघ्र फलदायी हों। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और उसके अन्तर्गत सिंचाई के लघुसाधन, मेंडबन्दी, भू-संरक्षण, खाद वितरण तथा पौधों की रक्षा जैसे कार्यों के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है। कपास और तिलहन की, जो ऐसी मुख्य फसलें हैं जिनसे विदेशी मुद्रा की बचत और उसका अर्जन होता है, पैदावार चुने हुये क्षेत्रों में सघन खेती के जरिये बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ऐसे सुव्यवस्थित प्रयत्न कर रही है जिनसे समस्त उपलब्ध कृषि-योग्य बंजर भूमि को कृषि के लिये काम में लिया जा सके। इसी प्रकार पशु-पालन क्षेत्र के अन्तर्गत भेड़ तथा ऊन, कुक्कुट-पालन के विकास, तथा मत्स्य संवर्धन संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। समस्त राज्य में कृषि कार्यों के निमित्त बिजली की दरों को भी घटाकर १२ नया पैसा प्रति यूनिट कर देने का निश्चय किया गया है।

१७. परिहार्य सामाजिक सुविधाओं के कार्यक्रमों के लिये नियत राशि को घटाकर तथा स्टाफ संबंधी व्यवस्था में संशोधन करते हुए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्वरूप में भी संशोधन कर दिया गया है ताकि कृषि, पशु-पालन, सिंचाई और नौ-तोड़ के कार्यक्रमों के लिये अधिक धन उपलब्ध किया जा सके। इसका अर्थ यह होगा कि फर्स्ट स्टेज खण्डों की स्कीमों में कृषि उत्पादन के लिये रखे हुए मौजूदा ३८ प्रतिशत की तुलना में अब ५० प्रतिशत व्यय किया जायगा। सैकिण्ड स्टेज खण्डों में इसके लिए २७ प्रतिशत के स्थान पर अब ४० प्रतिशत तक व्यय किया जायगा। ग्राम सेवक के कर्त्तव्यों को अधिकांश में कृषि और पशु-

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)
पालन संबंधी कार्यक्रमों के विस्तार और ग्राम के उत्पादन विषयक कार्यक्रमों की तैयारी तथा उनकी क्रियान्विति तक ही सीमित कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक रखे जाने की तजवीज है। यह पंचायत के सेक्रेट्री के रूप में भी कार्य करेगा और सर्विस कोआपरेटिव सेक्रेट्री पद के लिये भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप समन्वय तथा विस्तार के कार्यों में अधिक कुशलता आवेगी, ऐसी आशा है। जिन क्षेत्रों में कृषि-कार्य तथा भेड़-पालन का कार्य गहनता से किया जाना है वहां के विकास खण्डों में एक एक विस्तार अधिकारी और रक्खा जायगा।

१८. जिन जिलों में अधिकांश जन संख्या आदिम जन जाति के लोगों की है वहां ऐसी आबादी के लिये तीन विशेष विकास खण्ड खोले गए हैं। इन खण्डों में भी कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिए जाने की तजवीज़ है।

१९. पंचायती राज की स्थापना, लोकतान्त्रिक निकायों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्य और सहकारिता आन्दोलन के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि यथासम्भव, न्यूनतम अवधि में, प्रौढ़ व्यक्ति काफी अनुपात में पढ़ने लिखने की योग्यता प्राप्त करलें। अतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को गतिशील बनाने एवं ग्राम स्कूल अध्यापकों को साक्षरता कक्षाओं का इन्चार्ज बनाये जाने की तजवीज है। ऐसे हर अध्यापक एक वर्ष में कम से कम ४० प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार आगामी वर्ष में तीन लाख व्यक्ति साक्षर हो सकेंगे।

२०. ग्राम स्तर के आर्थिक संगठनों का उत्पादन कार्यक्रमों में प्रभावशील रूप से योगदान अभीष्ट है। अतः निश्चय किया गया है कि सदस्यों को दिये जाने वाले समस्त ऋण, जिनमें मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि वाले ऋण भी शामिल हैं, सहकारी संस्थाओं के मार्फत ही दिये जावें। आगामी वर्ष के आरम्भ में कुछेक चुनी हुई पंचायत समितियों के द्वारा इस कार्य को आरम्भ करने की तजवीज है। उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने के लिये, भिन्न भिन्न स्तरों पर अवस्थित स्थानीय शासन निकायों तथा सहकारी संस्थाओं के बीच और अधिक समन्वय का होना आवश्यक है। अतः पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् स्तर पर पंचायत संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं में पारस्परिक प्रतिनिधित्व रखने की व्यवस्था भी विचाराधीन है। ग्राम पंचायतें सर्विस कोआपरेटिव्ज में भी शेयर खरीद कर उत्पादन में सहयोग दे सकें ऐसा प्रबंध किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र के ऐसे कार्यक्रमों को, जो उत्पादन अभियान में सहायक हो सकते हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है। यह भी विचार है कि १९६३-६४ वर्ष के अंत तक ७९ प्रतिशत ग्रामों को तथा ४० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय।

२१. सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को अधिकतम सीमा तक शीघ्र पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९६३-६४ में लगभग ५.३ लाख एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। अपूर्ण सिंचाई योजनाओं के कार्य को निश्चित अवधि के पूर्व ही पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि समय से पहले ही उनसे लाभ मिलना आरम्भ हो जाय। इस प्रकार ऐसे कदम

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)

उठाये गये हैं कि १९६३-६४ में १२,००० एकड़ अधिक भूमि में और १९६४-६५ में १८,००० एकड़ अधिक भूमि में कुछेक मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई की जा सके।

२२. भारत सरकार ने एक रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजस्थान में स्थापित करने का निश्चय किया है जो कि अजमेर में प्रारम्भ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित भूमि निश्चित कर दी है और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह कॉलेज उन चार कॉलेजों में से एक है जो देश में बहुद्देशीय स्कूलों के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित किये जा रहे हैं।

२३. राज्य में उत्पादक इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को यथासंभव, हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि गत वर्षों में जिन औद्योगिक इकाइयों को लाइसेन्स दिये गये थे उनमें से निम्नलिखित उद्योगों में तो उत्पादन प्रारंभ भी हो गया है:--

(१) नाइलोन फक्ट्री, कोटा;

(२) काटन स्पिनिंग मिल्स, उदयपुर;

(३) ऑक्सीजन और एसीटीलिन गैसेज़ मैन्युफेक्चरिंग प्लांट, जयपुर; और

(४) स्पिनिंग और वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा।

अन्य बहुत सी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में भी, जिन्हें गत वर्ष लाइसेन्स दिया गया था, अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उनमें शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ होने की संभवना है। उनमें से मुख्य ये हैं:--

(१) जिंक स्मेल्टर प्लांट, उदयपुर;

(२) वूल टाप्स फेक्ट्री, कोटा;

(३) स्ट्रा बोर्ड प्लान्ट, कोटा;

(४) इलैक्ट्रिकल (पी. वी. सी.) केबिल्स फैक्ट्री, कोटा;

(५) टैक्सटाइल मिल्स, किशनगढ़ और भवानी-मंडी;

(६) रेयन टायर कार्ड प्लांट, कोटा;

(७) कास्टिक सोडा और पी. वी. सी. फैक्ट्री, कोटा;

(८) वूलन मिल्स लिमिटेड, जोधपुर।

२४. कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, जिनको हाल ही में लाइसेन्स दिये गये हैं, नीचे लिखे अनुसार हैं :

(१) पिग आइरन प्लांट, उदयपुर;

(२) गुआर गम फैक्ट्री, बिसाऊ, जिला झुंझुनूं;

(३) प्रिसीशन ग्लास फैक्ट्री, जयपुर;

(४) वाटर मीटर्स फैक्ट्री, जयपुर;

(५) फायर ब्रिक्स और स्टोनवेयर पाइप्स और फिटिंग्ज मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट, भरतपुर;

(६) ट्रान्सपोर्ट इक्विपमैन्ट्स मैन्यूफ़-क्चरिंग यूनिट, कोटा;

(७) टायर फैक्ट्री, कोटा;

(८) सीमेन्ट फैक्ट्री, नीम-का-थाना।

डीडवाना में सार्वजनिक क्षेत्र में जो सोडियम सल्फेट प्लांट स्थापित किया जा

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)

रहा है, उसमें भी अक्टूबर, १९६३ के पूर्व उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ।

२५. ग्राम-क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सघन विकास के लिए दो ग्रामोद्योग परियोजनाएं, एक चूरू जिले में और दूसरी नागौर जिले में, चालू की गई हैं जिनके अन्तर्गत कई राष्ट्रीय विस्तार खण्ड आ गये हैं ।

२६. योजना में, पॉवर सेक्टर की स्कीमों को प्रर्याप्त प्राथमिकता दी गई है । बिजली के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों में सन्तोषप्रद प्रगति हो रही है । राज्य में इस वर्ष अब तक ५७ बस्तियों में बिजली और पहुंचा दी गई है तथा वर्ष के अन्त तक कुछ और बस्तियों में भी पहुंचा दी जायेगी । आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग ६० अतिरिक्त बस्तियों के लिये बिजली की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसी आशा है । विभिन्न स्थानों पर जल-विद्युत् पहुंचाने और उसका वितरण करने के जो सघन कार्यक्रम हमने चालू किए हैं उनके द्वारा हम जल-विद्युत् का पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर सके हैं । इस प्रकार इस वर्ष में हमने करीब ४,००० किलोवाट के स्थान पर ३०,००० किलोवाट जल-विद्युत् का उपयोग किया । १९६३-६४ में १७,००० किलोवाट अधिक बिजली का उत्पादन करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, जोधपुर और कोटा में जो थर्मल सैट्स रखे हुए हैं और जिनसे अभी काम नहीं लिया जा रहा उनको भी उपयोग में लाने का विचार है जिनसे लगभग १०,००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत् प्राप्त होगी । ऐसी संभावना है कि आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम इस राज्य में उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण विद्युत् का पूरा पूरा उपयोग कर सकेंगे । राणा प्रतापसागर पर अणु बिजलीघर की स्थापना के संबंध में भी प्रारम्भिक कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली है ।

२७. जल व्यवस्था योजनाएं संतोषजनक प्रगति पर हैं तथा इस प्रयोजन के लिए नियत धन-राशियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है । आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़ कर शेष सभी जिलों के हैडक्वार्टर्स पर जल व्यवस्था के लिए नलों की स्कीम नियमित रूप में चालू कर दी जायगी । तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व बाड़मेर और जैसलमेर के कस्बे भी इस स्कीम के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

२८. वर्तमान संकटकाल में औद्योगिक श्रमिकों का योगदान भी अनुकरणीय रहा है । नवम्बर, १९६२ में श्रमिकों एवं नियोजकों की संयुक्त बैठक में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि संकटकाल के दौरान में हड़तालें अथवा ताला-बन्दियां नहीं होंगी । आपको यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि इस निश्चय का पूरी तरह से पालन किया गया है । श्रमिकों एवं नियोजकों ने उत्पादन में वृद्धि के निमित्त भी बहुत से उपाय किये हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों की न्याय-संगत शिकायतों को तुरन्त दूर करने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना भी की गई है ।

२९. संकटकाल का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप स्वभावतः राज्य के कोष पर अति-रिक्त खर्चे का भार पड़ा है । सुरक्षा प्रयत्नों के साथ साथ राज्य का सुनियोजित विकास किया जाना भी आवश्यक है । राष्ट्रीय

(डॉ० संपूर्णानन्द)

आय में वृद्धि करने तथा यहां के लोगों को काम दिलाने के संबंध में हम अपने प्रयत्नों को शिथिल नहीं कर सकते। इनमें एक सीमा से अधिक कमी करना घातक होगा। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करना आवश्यक है। जिन कार्यों के लिए हम वचनबद्ध हैं उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटाने के प्रश्न पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना ही होगा। इसके लिए निस्सन्देह हमें त्याग करना पड़ेगा परन्तु वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और इस राज्य के, जो कि अपेक्षाकृत अल्प विकसित हैं, संतोषप्रद विकास के लिए यह अपरिहार्य है।

३०. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री के लिए अखिल-भारत सेवाओं का गठन किए जाने के विषय में राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और सम्भव है कि इस बारे में भारत सरकार द्वारा जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाय।

३१. हनुमानगढ़ क्षेत्र में सन् १९६२ में अभूतपूर्व बाढ़ आई जिसके फलस्वरूप फसल और अन्य अचल सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची। जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें आवश्यक सहायता दी गई। घग्गर नाली के पट में बसे हुए कुछ मुख्य मुख्य गांवों को पुनः क्षति न हो, इसके लिये अल्पकालीन उपाय किये जा रहे हैं। घग्गर नाली की बाढ़ को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है जिसकी अब भारत सरकार द्वारा तक्नीकी जांच कराई जा रही है। इस योजना के पूरा होने में पांच करोड़ रुपये से अधिक धनराशि और तीन वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है। इस योजना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

३२. पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों के अलावा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति न्यूनाधिक रूप में साधारण रही है। तथापि सीमावर्ती जिलों में इस वर्ष डकैती की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश घटनाएं पाकिस्तान से डाकुओं के गिरोह के घुस आने के कारण हुई थीं। राज्य सरकार इस खतरे का सामना करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने के लिये कृतसंकल्प है। सीमा रक्षा-दल की संख्या को बढ़ा दिया गया है और गश्त-व्यवस्था को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। इन उपायों के परिणाम भी प्रकट होने लगे हैं। सन् १९६२ में १०४ डाकू पकड़े गये, १० डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और दो डाकू, जो भारत-पाक सीमा पर उत्पात करते थे, गोली से मारे गये।

३३. भारत सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु ५५ से ५८ वर्ष बढ़ा दी जाय। यह महसूस करते हुए कि ऐसा ही निर्णय राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लिया जाय, राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति आयु ५५ से ५८ वर्ष बढ़ा दी जाय। साथ ही साथ, राज्य सरकार किसी भी ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर्मचारी को, जो ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा योग्य न समझा जाय, तीन माह का नोटिस देकर सेवा से निवृत्त कर सकेगी। राज्य कर्मचारी भी ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी को तीन माह का नोटिस देकर स्वतः सेवा निवृत्त हो सकेंगे।

(डॉ० सम्पूर्णानन्द)

३४. अपना अभिभाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं वर्तमान संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक बार फिर कुछ कहना चाहूंगा तथा आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूंगा कि देश की रक्षा और विकास के इन प्रयोगों में सफलता जनता के उत्साहपूर्ण सहयोग से ही संभव है। इस अवधि में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों ने वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने नकद और जिन्स, दोनों रूपों में पर्याप्त चंदा इकट्ठा किया है तथा राष्ट्र के सुरक्षा प्रयत्नों में रचनात्मक योगदान देने के लिये ग्रामवासियों के प्रयत्नों को समन्वित करने में भी परिश्रम किया है। जनता का उत्तरोत्तर एवं अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये हमारे प्रयत्नों का अविराम चलते रहना अत्यन्त आवश्यक है और इसी उदात्त एवं महत् कार्य के लिये मैं आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी अपील को और अधिक मूर्त्त रूप देने के लिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जन मानस में उत्साह की भावना भरने, कृषि उत्पादन पर विशेष बल देते हुए सब प्रकार के उत्पादन में वृद्धि करने के अभियान में सहायता देने एवं विभिन्न बचत योजनाओं में रुपया लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करने के त्रि-सूत्री कार्यक्रम में आप अपना योग दें। आप जनता के नेता और विश्वासपात्र हैं, इसलिए निराधार अफवाहों को दबाने का महत्वपूर्ण काम भी आप सुगमता से कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मातृभूमि के हितार्थ काम करने में, अपने उदार दृष्टिकोण तथा दृढ़ संकल्प के साथ, आप पूर्ण उत्साह से मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। इस समय लड़ाई बन्द सी प्रतीत होती है पर हम अपनी सतर्कता में ढिलाई नही कर सकते।

३५. विधान सभा के वर्तमान सत्र में आपको अनेक ऐसी समस्याओं पर विचार करना होगा जो इस राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

मैं आपके विचार-विमर्श में सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७	१९	संम्बंध में	सम्बन्ध में
८	१३	माना जावे की	माना जावे कि
१४	७	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१७	१३	,, ,,	,, ,,
२०	१४	,, ,,	,, ,,
२४	६	,, ,,	,, ,,
४९	७	जिले म	जिले में
५०	अन्तिम से २	म राज्य	म राज्य
५३	प्रथम		श्री बी. एन.
५५	१९	अध्या	अध्यादेश
५६	१७	अध्याश	अध्यादेश
५७	शीर्ष	(श्री बरकतुल्ला खां)	—
५९	११	श्री बालकष्ण कौक	श्री बालकृष्ण कौल
६०	२	विधेयश, १९६३	विधेयक, १९६३
६२	१५	चाहगा कि	चाहूंगा कि
६५-७६	शीर्षक	अभिभाषण धन्यवाद . . . . . . सम्बन्धी	अभिभाषण पर धन्यवाद . . . . सम्बन्धी
६५	१९	का बिनेस	का बिजनेस
६६	८	असेम्बली म	असेम्बली में
७४	२५	by anoth r	by another
७९	२०	कि उन्हों	कि उन्होंने
८२	१४	म रहें।	में रहें।
१०२	१३	हमें ब्रटेन	हमें ब्रिटेन
१०३ व १०७	शीर्ष	(फूलचन्द जैन)	(श्री फूलचंद जैन)
,,	अन्तिम से द्वितीय	थप्रम कर्त्तव्य	प्रथम कर्तव्य
१०५	शीर्षक	के अभि ाषण	के अभिभाषण
,,	४	अधिक सहलियत	अधिक सहूलियत
,,	६	विचार करगी	विचार करेगी
,,	१८	पहले म	पहले मैं

१	२	३	४
१०६	अन्तिम से द्वितीय	के वार	के वारे
१०९	६	श्री मुरलीधर ठ स	श्री मुरलीधर व्यास
११५	२६	रूप म	रूप में
,,	अन्तिम	मदद ल	मदद ले
१३२	अन्तिम से ४	आप सवा	आप सेवा
१३४	शीर्षक	२६, फरवरी, ६३	२७ फरवरी, ६३
१३६	१६	Th s are	These are
१३८	१४ व १६	out specif c	out specific
१४६	१०	के लिय	के लिये
,,	१६	श्री उपाध्यक्षः (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)	श्री उपाध्यक्षः श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—
,,	२५	में नही हैं	में नहीं है
,,	अन्तिम से ५	है उपायक्ष	है उपाध्यक्ष
१४९	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द	(श्री सतीशचन्द्र
,,	७	करत हैं	करते हैं
१५०	अन्तिम से द्वितीय	करना शरु	करना शुरू
१५२	१२ व २६	मुखाडिया	मुखाड़िया
१५३	शीर्ष	(श्री सतीचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१०-११	(he is just wt h a lmbs heart and l ons &ce	He is just with a lamb's heart and lion's face
१५४	२७	तगड थे	तगड़े थे
१५५	२०	आन-जाने में	आने-जाने में
१६५	प्रथम	गह मन्त्रीजी ने	गृह मन्त्रीजी ने
१६७	२०	मदरयों ने	सदस्यों ने
१६८	१४	कि याद	कि यदि
१७१	१२	बजबूत बनाएणी	मजबूत बनाएगी
,,	२३	निवदन करूंगा	निवेदन करूंगी
१७३	शीर्षक	महोदय क	महोदय के
१७४	२४	थ क्या	साथ क्या
,,	२५	इन्डान शिया	इन्डोनेशिया
१७७	१०	बैठ हुए	बैठे हुए
१७८	२६	छोट-बड मद मिटान	छोटे बड़े भेद मिटाने
१८०	२४	विवाद मा ।।	विवाद माना
१८१	अन्तिम से द्वितीय	पसा ये	पैसा ये
१८४	२	न ही।	ने ही।
१८८	९	म मिलती	में मिलती
१९३	२७	फाटो	फोटो
,,	२९-३०	कृपया फॉटो स्टेट कॉपी राजस्थान विधान सभा के टेबिल ऑफिस में देखें में उनके बारे	(कृपया फोटो स्टेट कॉपी राजस्थान विधान सभा के टेबल ऑफिस में देखें) में उनके बारे

१	२	३	४
१९४	अन्तिम से ६वीं	उस मद्दे को	उस मुद्दे को
१९९	१०	इससे वगनेस	इससे वेगनेस
२०२	१३	दना चाहें	देना चाहें
,,	१७	में दिखा	मैं दिखा
२०७	अन्तिम से ७	Order : Order ::	Order ! Order !।
,,	,, २	वे लफ्ज	वे लफ्ज
,,	अन्तिम	वर्डस उन्होंने	वर्ड्स् उन्होंने
२०८	१६	उपाध्यक्ष महोदय।	उपाध्यक्ष महोदय :
२०९ से २२४	शीर्षक	अभिभाषण पर वाद-विवाद —२७ फरवरी, १९६३— प्रस्ताव सम्बन्धी	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण—२७ फरवरी, ६३—पर वाद-विवाद
२०९	५-६	ले, तो मैं समझाता	लें, तो मैं समझता
,,	१९	एमेन्डमेन्टस	एमेन्डमेन्ट्स
,,	अन्तिम से ५	बोलेंगे चाहें	बोलेंगे चाहे
२१०	६	Order Pleae	Order please !
,,	१७	परम्परा है	परम्परा रही है
,,	१८	समझता हैं	समझता हूं
,,	२४-२५	, उप-मन्त्री (शिक्षा)	(उप-मन्त्री, शिक्षा)
२१२	२७	का ह	का है
,,	३०	मद्दों पर	मुद्दों पर
२१४	अन्तिम से ६	मानते हैं।	मानते हैं।
,,	अन्तिम	अपन पास	अपने पास
२१५	२	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक, बुधवार दिनांक २७ फरवरी, १९६३	(बुधवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६३) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक
२१६	१२	यह ह कि	यह है कि
२१९	४	देश सेवा की रक्षा	देश की सीमा की रक्षा
,,	२०	से लगी	से लगे
२२४	अन्तिम पंक्ति के पश्चात्	—	गुरूवार, २८ फरवरी, १९६३ की कार्य-सूची (१) कार्य-सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन (२) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद
२२५ व २२७	अन्तिम	सैना में	सेना में
२२६	१४	कपड़े आदि	कपडे आदि
२२७	७	लिये, एक	लिये एक

१	२	३	४
२२९	५	सैना में	सेना में
२३०	२२	नाइलोन फक्ट्री	नाइलोन फैक्टरी
"	२३	काटन स्पिनिंग	कॉटन स्पिनिंग
२३२	१०	को प्रर्याप्त	को पर्याप्त
"	१२	हो र ा है	हो रही है
२३३ (प्रथम कॉलम)	२६ व २९	घग्गर	घग्घर
"	२७	पटे में	पेटे में
२३३ (द्वितीय कॉलम)	अन्तिम से ४	कमचारी भी	कर्मचारी भी
" " "	३	निर्यक्ति	नियुक्ति